राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07] पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का दो सौ चौबीसवां दिवस [संख्या: 27

मंगलवार,

20 सितम्बर 2022

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल। श्री वाजिब अली।

नगर के विद्‌यालयों में रिक्त पद

461. श्री वाजिब अली (नगर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर विधान सभा क्षेत्र के विद्‌यालयों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद रिक्त हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) विधान सभा क्षेत्र नगर जिला भरतपुर में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के विद्‌यालयों में निम्नानुसार श्रेणीवार पद रिक्त है-

क्र.सं.	पदनाम	रिक्त पद
1	प्रधानाचार्य	33
2	उप प्रधानाचार्य	64
3	व्याख्याता	27
4	वरिष्ठ अध्यापक	101
5	अध्यापक लेवल-2	162
6	अध्यापक लेवल-1	147
7	शा. शिक्षक ग्रेड-1	01
8	शा. शिक्षक ग्रेड-2	05
9	शा. शिक्षक ग्रेड-3	33

(शिक्षा मंत्री)

क्र.सं.	**पदनाम**	**रिक्त पद**
10	प्रयोगशाला सहायक	03
11	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	11
12	वरिष्ठ सहायक	02
13	कनिष्ठ सहायक	03
14	पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड-2	07
15	पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड-3	06
16	जमादार	31
17	सहायक कर्मचारी	57
18	प्रयोगशाला सेवक	05

(2) जी हां। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापक लेवल-प्रथम व द्वितीय के रिक्त पदों को भरने के हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम, 277 (क) में उल्लेखित प्रावधानानुसार अध्यापक सीधी भर्ती, 2021-22 अन्तर्गत लेवल प्रथम के 15500 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई, जिसमें से 14695 अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 25.08.2022 तक कार्य ग्रहण कर लिया गया है। अध्यापक के 46500 रिक्त पदों हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन माह जनवरी, 2023 में प्रस्तावित किया गया है।

इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के माध्यम से विभिन्न पदों पर आयोजित भर्ती परीक्षा के तथा विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पात्र एवं चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

श्री वाजिब अली (नगर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो रिक्त पदों की डिटेल है, माह अगस्त में ज्वाइनिंग के बाद ये पद रिक्त हैं। इनकी परसेन्टेज अगर देखें तो उप प्रधानाचार्य 65 में से 64 खाली हैं और आधे स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं हैं। ये इन भर्तियों के बाद की बात है। अगली भर्ती तो 2023 की बात हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार एटलीस्ट कुछ व्यवस्था तो इसकी करे, बिकॉज ये मेवात क्षेत्र है..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री वाजिब अली (नगर): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ये है कि जहां शिक्षा का स्तर बाकी प्रदेश से आधा है, अगर वहां पद भी आधे रहेंगे तो हम लोग कैसे उनका एजुकेशन लेवल ठीक कर पायेंगे? मंत्री महोदय का इस बारे में क्या सोल्यूशन है? क्या करना चाहते हैं ताकि ये परेशानी दूर हो?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य एवं समकक्ष पदों की वर्ष 2022-23 डीपीसी की कार्यवाही शासन स्तर पर नियम संशोधन के तहत प्रक्रियाधीन है। नियम संशोधन के उपरांत तत्काल पदोन्नति कर दी जायेगी और रिक्त पदों को भर दिया जायेगा। उप प्रधानाचार्य, वर्ष 2022-23 की प्रधानाचार्य की डीपीसी सम्पन्न होने के पश्चात् उक्त डीपीसी की जा सकेगी। अभी हाल ही में जो 15 हजार 500 एल-1 के टीचर्स भर्ती किये गये थे, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि 64 एल-1 के सदस्य हमने प्राथमिकता के आधार पर नगर में लगाये हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी। माननीय सदस्य, अलाउ नहीं प्लीज। I will name you. I will throw you out. It is out of limit.

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी, मैं आपको बोलने के लिये डिप्राइव करूंगा हाउस में, यदि आप इस तरह से बोलते रहेंगे। आप नियम कानून की पालना नहीं चाहते। आप सीनियर लीडर हैं। What example you want to set? यू-ट्यूब पर लोग देख रहे हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं भारतीय जानता पार्टी के। माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, भाग 2 में जो पूछा है, उसका उत्तर इसमें नहीं है। क्या सरकार उक्त रिक्त पद, कौनसे, ये जो सब आपने ऊपर एक लिस्ट दी, को भरने का विचार रखती है? इसके बारे में आपका कुछ भी जवाब नहीं है कि आप भरना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? कब करेंगे, इन विभिन्न कैटेगरीज का, ये प्रश्न का मतलब था। मैं सोचता हूं कि वह इसमें उत्तर नहीं है। केवल जो आपने किया है थर्ड ग्रेड का, उसका आंकड़ा दे दिया और 2023 में परीक्षा होगी। होगी या नहीं होगी, वह तो कब होगी? इस प्रश्न के इस भाग का उत्तर बिलकुल अछूता छूटा, हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको इसके बारे में बताओ। इनके बारे में क्या स्थिति है, वह बताओ।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): बता देता हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित नई भर्तियां, उसमें अध्यापक विशेष शिक्षा लेवल-1 के भरे जा चुके हैं। बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक, इनकी अर्थना भेजने की दिनांक 17/01/2022 थी। इसकी विज्ञप्ति फरवरी में जारी हो चुकी थी। परीक्षा की तिथि 18 व 19 जून, 2022 थी और इसके परीक्षा परिणाम 07/09/2022 को आ चुके हैं। व्याख्याताओं के 6000 पद आरपीएससी को भेजे हुए हैं। विज्ञप्ति जारी 28/04/2022 को हो गयी। परीक्षा की तिथि...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, कल्ला साहब, स्पेसिफिक क्वेश्चन इस कांस्टीट्यूएंसी का है। इस कांस्टीट्यूएंसी के पद लिख दिये कि इतने-इतने खाली हैं, यह तो हम जनरल बात कर रहे हैं। उनका उद्देश्य था कि ये पद कब तक भरेंगे? उत्तर का जो पार्ट बी है, वह पार्ट उससे रिलेवेंट नहीं है। विभाग खाली माननीय सदस्य को सूचित कर ले कि ये-ये पद हैं और कब तक भर्ती होंगे, दैट्स आल।

अगला प्रश्न। श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल।

भीलवाड़ा की नगरपालिकाओं की सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन

462. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नगरपालिका लेखा नियम 1963 के नियम 46(ख) के अनुसार बोर्ड के कब्जे की समस्त क्रीत या अर्जित स्थावर सम्पत्ति के ब्यौरे अर्थात् लागत, माप अर्जन की तारीख तथा अर्जन की रीति दर्शाते हुए प्रारूप 23 में रजिस्टर में उल्लेखित किया जाना आवश्यक है? यदि हां, तो उक्त नियमों की जिला भीलवाड़ा की कौन-कौनसी नगरपालिकाओं एवं नगर परिषद् द्वारा अवहेलना की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त जिले की नगरपालिकाओं, नगर परिषद् द्वारा भूमि, भवन व अन्य स्थावर सम्पत्तियों की पंजिका संधारण की जा रही है? यदि नहीं, तो कौन-कौनसी नगरपालिकाओं, नगर परिषद् द्वारा उक्त पंजिका का संधारण नहीं किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त स्थावर सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन आवश्यक है? यदि हां, तो उक्त जिले की कौन-कौनसी नगरपालिका, नगर परिषद् का 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2021 तक कब-कब भौतिक सत्यापन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। इन नियमों के परिप्रेक्ष्य में भीलवाड़ा जिले की मात्र एक नगरपालिका हमीरगढ़ द्वारा इस नियम की पालना नहीं की गई है।

(2) जी हां। शेष भाग का उत्तर भाग संख्या 01 के उत्तर में निहित है।

(3) जी हां। भीलवाड़ा जिले की जिन नगरपालिकाओं द्वारा 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2021 तक भौतिक सत्यापन किया गया है, उनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**नगर परिषद्/पालिका का नाम**	**भौतिक सत्यापन की तिथि**
1	माण्डलगढ़	27.07.2021
2	गंगापुर	03.04.2020, 09.04.2021
3	गुलाबपुरा	31.03.2019
4	शाहपुरा	10.08.2020
5	आसीन्द	24.09.2020

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल बड़ा साधारण था, जवाब पूरा आया नहीं। सात महीने से आपको नगर परिषद् भीलवाड़ा ने वहां पर भौतिक सत्यापन हुआ या नहीं, इसकी कोई सूचना ही नहीं दी। हर वर्ष भौतिक सत्यापन होना अपेक्षित है। कई नगरपालिकाओं ने दो-दो साल में एक-एक बार भी भौतिक सत्यापन नहीं कराया। मेरा इतना ही प्रश्न है कि ये जो गलतियां रही हैं, इनको ठीक करने का आदेश दें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रश्न किया था, वह किया था न केवल भीलवाड़ा के लिये बल्कि भीलवाड़ा जिले की समस्त नगरपालिकाओं के बाबत। नगरपालिकाएं वहां पर आठ हैं।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): आप देखिए तीसरे कालम में, नगर परिषद् के बारे में भी मैंने पूछा है। उसका जवाब ही नहीं है। आप तीसरा कालम देख लीजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जवाब मैं दे रहा हूं, साहब। मेरा पहले पूरा जवाब सुन लें आप, उसके बाद में जो कुछ फरमाना हो, वह फरमा दें। मैंने आपको निवेदन किया कि इन नियमों के परिप्रेक्ष्य में, जो नियम आपने कोट किया 46(ख), नियमों

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

के परिप्रक्ष्य में भीलवाड़ा जिले की मात्र एक नगरपालिका हमीरगढ़ ऐसी है जिसके द्वारा नियम की पालना नहीं की गयी। नियम की पालना न करने का कारण सिर्फ इतना-सा था कि ये हमीरगढ़ जो नगरपालिका है, इसका गठन ही अभी मई में हुआ है। अब ये जो पुरानी नगरपालिकाएं चल रही हैं, उनकी स्थिति मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने 2019 के बाद में पूछा कि 2019 से लेकर के 2021 तक की क्या स्थिति रही? मैं तो आपको ये स्थिति बताना चाहता हूं कि इनकी स्थिति क्या है? वाकई आपने जो चिन्ता जाहिर की है, उस चिन्ता से तो हमारा पूरा विभाग जाग्रत हो गया एक तरह से। उसे पता लग गया कि ये कितनी बड़ी कमी है जो होने जा रही है। निश्चित तौर पर इसकी वजह से भीलवाड़ा और जहाजपुर ये दो नगरपालिकाएं हैं, जिनको हमने स्ट्रिक्ट नोटिस दिया है, क्यों नहीं आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए? क्योंकि इन्होंने तो रजिस्टर ही मेंटेन नहीं किया, दूसरों ने मेंटेन तो किया। जैसे मान लीजिए मांडलगढ़ है, मांडलगढ़ ने मेंटेन कर रखा है। गंगापुर ने मेंटेन कर रखा है और उसका बाकायदा भौतिक सत्यापन भी करवाया है। गुलाबपुरा ने भी किया है। शाहपुरा ने भी किया है और आसीन्द ने भी किया है, लेकिन इन दो नगरपालिकाओं ने तो आज तक रजिस्टर ही मेंटेन नहीं किया। स्थिति ये है। अब आपके प्रश्न पूछने के बाद ही, बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूं, हालत ये थी कि, मैं आपको दो मिनट निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 2019 से आपने सवाल पूछा, वर्ष 2019 के पहले की क्या स्थिति थी? वर्ष 2019 के पहले कोई भी नगरपालिका इस प्रकार का रजिस्टर मेंटेन करती ही नहीं थी। चाहे वह गुलाबपुरा हो, चाहे वह भीलवाड़ा हो, चाहे जहाजपुर हो, चाहे हमीरगढ़ हो, सॉरी हमीरगढ़, चाहे मांडलगढ़ हो, चाहे गंगापुर हो, चाहे शाहपुरा हो, चाहे आसीन्द हो, कोई भी रजिस्टर मेंटेन ही नहीं करती थी। वर्ष 2019 के बाद में हमने कुछ कार्यवाही की तो कुछ नगरपालिकाओं ने रजिस्टर मेंटेन करके उसका भौतिक सत्यापन करवाना चालू किया, लेकिन जो सेक्शन 74 एक्ट के तहत जिस प्रकार से उनको डायरेक्टर लोकल बोडीज के पास में वार्षिक रिपोर्ट भेजनी चाहिये थी, वह किसी ने भी नहीं भेजी। अब हमने सख्त नोटिस दिया है। भीलवाड़ा को भी दिया है, जहाजपुर को भी दिया है और दूसरी नगरपालिकाओं को भी दिया है कि अगर रजिस्टर मेंटेन करके उसका भौतिक सत्यापन करके उसकी कॉपी हर वर्ष डाइरेक्टर लोकल बोडीज के यहां पर नहीं पहुंचाई जायेगी तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नरपत सिंह राजवी।

गोडावण एवं खरमोर के संरक्षण की कार्ययोजना

463. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में राज्य पक्षी गोडावण एवं खरमोर पक्षी के संरक्षण एवं विचरण क्षेत्र एवं अन्य सुविधाओं हेतु कोई योजनाएं संचालित हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी योजनाएं कब-कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विगत पांच वर्षों में उक्त पक्षियों की संख्या में वृद्धि या कमी हुई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विगत पांच वर्षों में उक्त पक्षियों के शिकार एवं तस्करी के मामले सामने आये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर? उक्त अवधि में उक्त मामलों में दर्ज मुकदमों की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

वन मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण एवं विचरण क्षेत्र के सुधार हेतु की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। साथ ही 2018 में हस्ताक्षरित एम ओ ए के तहत खरमोर के 7 चूजों का प्रजनन किया गया है। वन मण्डल अजमेर में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी की सहायता से खरमोर संरक्षण का कार्य करवाया जा रहा है। कैम्पा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 से निरन्तर खरमोर पक्षी संरक्षण हेतु विभाग प्रयासरत है।

(2) वन विभाग द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से विस्तृत रूप से सम्पूर्ण थार मरुस्थल जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर व बीकानेर के कुछ क्षेत्र को शामिल करते हुए गोडावण गणना कार्य 2017-18 में करवाया गया था। उक्त गणना में गोडावण की संख्या 128 प्लस माइनस 19 आंकलित की गई।

उक्त गणना के अलावा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष ग्रीष्मकालीन वन्यजीव गणना वाटरहोल पद्धति से करवाई जाती है, जिसके तहत देखे गये गोडावण की संख्या परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

वन मण्डल अजमेर में गत पांच वर्षों में खरमोर पक्षी की संख्या का विवरण, BNHS (Bombay Natural History Society) के सर्वे अनुसार परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) विगत 5 वर्षों में इन पक्षियों के शिकार एवं तस्करी का कोई भी

(वन मंत्री)

प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है तथा इस सम्बन्ध में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकार का मुकदमा तो दर्ज कहां से होगा जब सरकार खुद ही शिकार करने जा रही है। बारां जिले में 2018 के एम.ओ.ए. के बाद में जमीन अलाट हुई, आज तक वह टेरिटोरियल डी.एफ.ओ. को दिये? आप तो पांच वर्षों में टेरिटोरियल से वाइल्ड लाइफ में इसको हस्तांतरित नहीं कर सके। विद् इन द डिपार्टमेंट ही करना है और वहां पर माइनिंग हो रही है। खुले तौर पर आपकी सरकार के गठन के बाद में वहां पर माइनिंग हो रही है और माइनिंग की ब्लास्टिंग के कारण और ओवरबर्डन डालने के बाद वह कितनी ग्रासलैण्ड रह जायेगी? प्रजनन नहीं होगा, सुरक्षित आवास नहीं मिलेगा, इसी कारण से आपकी संख्या जो आपने 2017-18 में दिखाई है, वह आधी से कम रह गयी है। इसके सुधार के लिए आप क्या कार्ययोजना रखते हैं और अरवल गांव में जहां पर काफी बड़ा ग्रासलैण्ड है, उस ग्रासलैण्ड में तो जूलीफ्लोरा का एक फोरेस्ट डवलप हो गया है, उस जूलीफ्लोरा की इरैडिकेशन के लिए आपका कोई फोरेस्ट डिपार्टमेंट का प्लान है क्या?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): सोरसन वन क्षेत्र में गोडावण के संरक्षण एवं प्रजनन के बारे में कहा है। राजस्थान सरकार, पर्यावरण वन्य एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं वन्यजीव संस्थान, देहरादून के मध्य त्रिपक्षीय समझौता दिनांक 03.05.2018 को किया गया, जिसके अनुसार वन मण्डल, बारां के सोरसन वन क्षेत्र में गोडावण संरक्षण क्षेत्र स्थापित किया जाना है। 10 फरवरी, 2019 को सी.डब्ल्यू., एल.डब्ल्यू. एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान के प्रोजेक्ट एसोसिएट द्वारा पुन: प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के पश्चात् टेरिटोरियल वन क्षेत्र का निम्नानुसार संशोधित वन क्षेत्र चिह्नित किया गया:-

वन खंड-1, अमलसरा, इसमें वन खंड का कुल रकबा 226.12 हैक्टेयर है और क्षेत्रफल जो गोडावण संरक्षण प्रजनन केन्द्र में आया है वह है 94.49 हैक्टेयर। इसी तरह अमलसरा-सैकण्ड, अवर्गीकृत, रकबा 222.17 हैक्टेयर और गोडावण संरक्षण प्रजनन केन्द्र के अन्दर आया है 106.18 हैक्टेयर और सोरसन के लिए संरक्षित है 1026.65 हैक्टेयर और उसमें से गोडावण संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र में आया है 475.23 हैक्टेयर इस प्रकार गोडावण संरक्षण एवं

(श्री हेमाराम चौधरी)
प्रजनन के लिए 676 हैक्टेयर रकबा आया है। विभाग द्वारा दिनांक 06.03.2019 से कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम हेतु सोरसन वन क्षेत्र की 676 हैक्टेयर वन भूमि उपलब्ध करवा दी गयी है। इस वन भूमि को भारतीय वन्यजीव संस्थान को Conservation Breeding Centre विकसित करने हेतु एवं परियोजना उपरांत पुन: लौटा दिये जाने की शर्त पर उपयोग हेतु दी गयी है। जिला कलेक्टर, बारां के पत्र दिनांक 21.05.2019 से ग्राम अमलसरा में खसरा नम्बर 235 रकबा 3.43 हैक्टेयर भूमि आधारभूत संरचना हेतु आबंटित की गयी है। भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा GIB Conservation Breeding Centre स्थापित करने की कार्यवाही अपेक्षित है।

दूसरा, आपने जो जूलीफ्लोरा के बारे में कहा है, यह वन्यजीव से सम्बन्धित नहीं है, यह अलग है। यह जूलीफ्लोरा से जमीन का बहुत नुकसान हो रहा है। जूलीफ्लोरा के कारण न तो वहां पर कोई घास होती है और न ही अन्य, तो इसको हटाने के लिए विभाग प्रयासरत है, इसके लिए विभाग कार्यवाही भी कर रहा है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जूलीफ्लोरा तो आपका नहीं आता होगा, ग्रासलैण्ड में जूलीफ्लोरा होने के कारण से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, be relevant. आप वहां पर न जायें। Be relevant about Godavan and Kharmor. Otherwise, there is no end to it.

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): जूलीफ्लोरा के कारण से ग्रासलैण्ड एग्जिस्टेंस में ही नहीं रही है। It is relevant to juliflora forest. How is it not relevant with it? रेलेवेंसी के बाद में उसका कोई प्लान तो बनाइये।

श्री अध्यक्ष: Don't ask me this question whether I have a right to raise it or not. Please don't ask me.

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): पहले भी तालछापर से जूलीफ्लोरा हटाने का प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, अब भी ले सकते हैं। दिक्कत कहां है?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर अवैध खनन हो रहा है, अवैध खनन वहां पर हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: आपको कोई तकलीफ है? फेविकोल मंगवाऊं क्या मैं? कोई तकलीफ है आपको? सारा विजडम आप ही में है? सारा विजडम आप ही में है? माननीय कटारियाजी, it is a limit. एक सीनियर मैम्बर होते हुए वे इस तरह से करेंगे तो I will not tolerate it. And I will deprive him not to participate in any debate. If suo moto he can speak; let him speak. I am on the Chair and I will not allow him. It should be very clear. मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं लेकिन यह अधिकार उनको नहीं है कि हर बार खड़े हो जायें। माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में जो इन्होंने खंड 2 में लिखा है कि गोडावण गणना कार्य वर्ष 2017-18 में करवाया गया। उक्त गणना में गोडावण की संख्या 128 प्लस 19, मतलब 147 थी और पीछे आपने हमको जो परिशिष्ट-2 दिया है, इसमें आपने जो लिखा है कि यह जो विभाग द्वारा करवायी जाने वाली वाटरहोल पद्धति पर आधारित ग्रीष्मकालीन वन्यजीव गणना के मुताबिक गोडावण की संख्या आप 43 बता रहे हो। उधर तो आप बता रहे हो, यह आपका ही जवाब है, आप 147 बता रहे हो वर्ष 2017 में जो गिनती की है, तो इसमें कौनसा सही है? यह सही है या यह सही है?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अलग-अलग एजेंसीज हैं। यह मैंने कहा कि यह भारतीय वन्य जीव संस्थान के सहयोग से करवाया गया। उन्होंने तो जो संख्या बतायी वह मैंने इसमें दर्शायी है और जो वाटरहोल सिस्टम है, उसके तहत जो करवायी गयी, वहां पर जो पीने के पानी के लिए जगह है, उस पर ये जो गोडावण आ जाते हैं, उससे इसकी गणना हुई, तो वह गणना सही हो यह जरूरी नहीं है क्योंकि जो यहां पीने के पानी के लिए आयेगा, उसकी ही गणना होगी और जो गोडावण वहां पर आयेगा ही नहीं तो वह उस गणना में शामिल नहीं होगा, इसलिए इसमें अंतर है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह समझता हूं कि जो कामन आदमी आपके सवालों का जवाब पढ़ेगा, उसको अपनी सामान्य बुद्धि से यह विषय समझ में आयेगा क्या कि आप एक जगह तो लिख रहे हो कि वर्ष 2017-18 में जो इसकी जनगणना हुई वह 147 है और अब आप कह रहे हो, हर आदमी तो यह नहीं समझता कि यह जनगणना कैसे होती है? आपने ही यह चार्ट लगाया है, हमने तो लगाया नहीं है। उसमें आप जो बता रहे हो वह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

43 बता रहे हो, तो सामान्य आदमी की समझ में कैसे आयेगा कि आज वास्तव में गोडावण की स्थिति राजस्थान में क्या है, क्योंकि अब तो 19 पर आ गयी यानी आप जो 147 कह रहे हो वह ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया साहब, यह जोड़ 43, 42, 29 और 19, इन सबकी जोड़ 143 है। मैं यह समझता हूं कि वे इसको समझाने में, वह जो पद्धति है, उस पद्धति को इसके बीच में उनको यह लिखना चाहिए कि इस पद्धति से यह संख्या है तो कोई कांट्राडिक्शन नहीं होता। मैं समझता हूं कि उन्होंने उधर तो लिख दिया वाटरहोल पर और इधर लिख दिया टोटल में तो, माननीय मंत्रीजी, जब जवाब दें तो दोनों चीजों के बीच में जो कांट्राडिक्शन है उसको ध्यान में रखें। संख्या लिखे तो वहां पर उसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी कि किस आधार पर गणना की, इसलिए मेरे ख्याल से इसमें कंफ्यूजन हो गया। मैं यदि करेक्ट हूं तो आप माननीय कटारियाजी को करेक्ट कर दें कि आपकी टोटल संख्या 143 है और इस पद्धति से उसमें काउन्ट हुई है, तब तो मामला ठीक होगा लेकिन पद्धति अलग बतायेंगे और संख्या अलग बतायेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। पता नहीं विभाग का क्या दृष्टिकोण है।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): दो अलग-अलग पद्धति से करवाया है। इस पद्धति में क्या अन्तर है, उसकी जांच करके और अधिकारियों से बात करके बताऊंगा। इन्होंने भारतीय वन्य जीव संस्थान के सहयोग से जो सर्वे करवाया, उसमें तो यह संख्या आयी है और यह प्रति वर्ष वाटरहोल पर जो पानी पीने के लिए आते हैं, उसके हिसाब से यह है। यदि अन्तर है तो उसको भी दिखवा लेंगे या जोड़ है तो उसको भी दिखवा लेंगे। कटारियाजी ने जो पाइन्ट उठाया है, उसको हम दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: आपके प्रश्न का उत्तर नहीं आया। प्रति वर्ष ग्रीष्मकालीन वन्य जीव गणना वाटरहोल पद्धति से करवायी जाती है तो वाटरहोल का सम ही 128 है। आपने उसको अलग-अलग कर दिया। गणना सही होती तो कन्फ्यूजन नहीं होता। फिर भी चैक करवाकर आप इसको करेक्ट कर दें।

अगला प्रश्न। श्री राकेश पारीक।

रामगढ़ (मसूदा) में नवीन उप-तहसील की स्थापना

464. श्री राकेश पारीक (मसूदा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री राकेश पारीक)

(1) क्या सरकार मसूदा विधान सभा क्षेत्र के रामगढ़ में नवीन उप-तहसील खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां नवीन उप-तहसील खोलकर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): (1) जी नहीं। राजस्व ग्राम रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र मसूदा की तहसील बिजयनगर में स्थित है। वर्तमान में तहसील बिजयनगर में 5 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 21 पटवार मण्डल स्थित हैं। यदि तहसील बिजयनगर को पुनर्गठित कर रामगढ़ में नवीन उप तहसील सृजित की जाती है तो इससे तहसील व उप तहसील दोनों ही प्रभावित होंगी एवं राजस्व मण्डल द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार भी नहीं होगी।

सामान्यतः माननीय मुख्य मंत्री द्वारा नवीन राजस्व इकाइयों के सृजन हेतु बजट घोषणा/अन्य घोषणा किये जाने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जाती है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मसूदा में अजमेर की 02 तहसील बिजयनगर एवं भिनाय शामिल हैं। बजट सत्र 2021-22 के दौरान तहसील भिनाय में नवीन उप तहसील बान्दनवाड़ा का सृजन अधिसूचना दिनांक 31.05.2021 से किया गया है। वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र में तहसील/उप तहसील सृजित करने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न संख्या 465

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। सुश्री दिव्या मदेरणा।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री जोगेश्वर गर्ग।

बागरा ग्राम (जालौर) के तालाब में डूबने से बचाने वाले बालक को वीरता पुरस्कार

466. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बागरा तहसील जालौर के तालाब में 08 अगस्त, 2022 को एक बालक को डूबने से बचाने में एक अन्य बालक की मृत्यु हो गई थी? यदि हां, तो उक्त घटना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

(2) सरकार द्वारा उक्त बालक को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार दिए जाने की दिशा में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त बालक की विधवा मां को क्या-क्या सहायता उपलब्ध करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) दिनांक 17.08.2022 को जालौर तहसील के ग्राम बागरा में तालाब में डूबने से एक बालक नरेन्द्र कुमार उर्फ नरेश पुत्र भंवरलाल जाति भील की मृत्यु हो गई थी। पटवारी, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी व अन्य ग्रामीणों की मौका फर्द रिपोर्ट के अनुसार पैर फिसलने से डूबने के कारण मृत्यु होना बताया गया है। बालक के परिजनों के बयानों में नरेन्द्र की मृत्यु का कारण बालक युवराज को डूबने से बचाने हेतु तालाब में कूदना बताया गया है।

(2) बाल शक्ति पुरस्कार हेतु दिनांक 26.08.2022 को ऑनलाइन आवेदन मृतक के परिजनों द्वारा किया गया है।

(3) विभाग द्वारा बालक की विधवा मां को उक्त घटना से पूर्व से ही जून, 2017 से विधवा पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना अन्तर्गत मृतक की माता नेनूदेवी के बैंक खाता में सीधे ही रुपये 5.00 लाख (अक्षरे पांच लाख रुपये) का भुगतान ऑनलाइन किया जा चुका है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अध्यक्ष महोदय, वह गरीब बच्चा जिसको उसने बचाया, वह उसका रिश्तेदार नहीं था, उसकी जाति का भी नहीं था, फिर भी उसको बचाने के चक्कर में उसने अपने प्राण खो दिये। उस सारे मामले में जिला प्रशासन ने जिस तत्परता से सारी कार्यवाही की, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं जिला प्रशासन का। अब मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि वीरता पुरस्कार के लिए राज्य सरकार भारत सरकार को रिकमण्ड करेगी क्या?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): राज्य सरकार जब रिकमण्ड करती है तो कई मामलों को देख कर और उनका परीक्षण करने के बाद करती है। अब परीक्षण चल रहा है। इसका चश्मदीद गवाह कोई नहीं था। जो चार आदमी इसके परिवार वाले थे, माता थी, दोनों भाई थे और एक चाचा थे। चाचा घर पर थे। वह कहते हैं बालक को बचाने के लिए यह कूदा और कूद कर वहां पर मर गया लेकिन जिस आदमी ने लाश निकाली जयसिंह दईया ने, जयसिंह दईया का यह

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

स्टेटमेंट है कि मैं बस स्टैण्ड पर खड़ा हुआ था, वहां पर हल्ला हुआ कि एक लड़का कूद गया, कूद गया, दो लड़के कूद गये, तो मैं भाग कर गया। मैंने उस लड़के को बचाने का प्रयत्न किया। जो मंद बुद्धि वाला लड़का था, जो बच गया। उसको तो मैंने निकाल लिया लेकिन दूसरे को नहीं निकाल पाया और वह मर गया। कारण क्या रहा? वाकई मंद बुद्धि वाले लड़के को डूबते हुए को बचाने के लिए वह कूदा और मर गया या वहां पर जिस प्रकार से मौका फर्द बनायी गई है पटवारी के द्वारा, जिस पर कि सरपंच के भी दस्तखत हैं, बीडीओ के भी दस्तखत हैं और करीब आठ दूसरे आदमियों के दस्तखत हैं, वे यह कहते हैं कि वहां पर चिकनी मिट्टी थी। चिकनी मिट्टी पर खेलते हुए दोनों के दोनों गिर गये थे। उस वजह से यह डैथ हुई है तो इसका परीक्षण करवाया जा रहा है। परीक्षण करवाने के बाद यदि उचित समझा जायेगा तो भेजी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपके जवाब में आ रहा है कि युवराज को डूबने से बचाया तो यह तो तय है कि वहां युवराज डूब रहा था, उसको बचाया गया, वह बाहर आया। यह जो लड़का है नरेन्द्र, वह उस युवराज को डूबते हुए को बचाने के लिए कूदा था। अगर युवराज बच गया तो इसका मतलब उसको किसी न किसी ने तो बाहर निकालने का प्रयत्न किया होगा न? चाहे एक्स करे, वाई करे, जेड करे। किसी ने तो किया होगा तभी तो युवराज बाहर आया होगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उसको बचाया जयसिंह दईया ने। मैंने जैसाकि आपको निवेदन किया कि जयसिंह दईया का कहना यह है कि वहां पर चिकनी मिट्टी थी और चिकनी मिट्टी पर वह दोनों बालक खेल रहे थे और खेलते-खेलते गिर गये, लेकिन मैं बस स्टैण्ड पर खड़ा हुआ था। बस स्टैण्ड पर जब मैंने हल्ला सुना तब मैं भाग कर गया। मैं और पन्ना लाल दोनों ने जाकर उस बच्चे को बचाया। उसको तो बचाया लेकिन दूसरे को नहीं बचा पाये। मंद बुद्धि के लड़के को बचाने वाला जयसिंह दईया था।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जगसी राम।

रेवदर मुख्यालय पर फसलों के भण्डारण की व्यवस्था हेतु कार्ययोजना

467. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जगसी राम)

(1) क्या यह सही है कि रेवदर विधान सभा क्षेत्र की कृषि, फसलों, मसाला फसलों, गैर मसाला फसलों, उद्यानिकी फसलों, फल-फूल एवं सब्जी की होने वाली बम्पर पैदावार के विपणन हेतु रेवदर मुख्यालय पर पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रेवदर मुख्यालय पर ही प्रत्येक किस्म की फसल के विपणन, भण्डारण, शोधन की पर्याप्त व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री मुरारी लाल): (1) कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड के अधीन गौणमण्डी यार्ड रेवदर घोषित है। गौणमण्डी यार्ड रेवदर 6 बीघा 04 बिस्वा भूमि पर निर्मित है परन्तु गत वर्ष यार्ड की भूमि के सामने की मुख्य सड़क की अधिकांश भूमि नेशनल हाईवे की सीमा में आ जाने से इस यार्ड में निर्माण कार्य हेतु मात्र 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि ही शेष रहती है। यह भूमि मण्डी प्रांगण विकास की दृष्टि से अपर्याप्त है। मण्डी प्रांगण विकास हेतु मौजा रेवदर तहसील रेवदर के खसरा नम्बर 626 रकबा 601.07 बीघा किस्म गौचर में से 50.00 बीघा भूमि जिला कलेक्टर सिरोही के आदेश दिनांक 13.09.2022 से कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड को नि:शुल्क आबंटित की गई है।

(2) मण्डी निर्माण के लिए आबंटित 50 बीघा भूमि पर मण्डी विकास परियोजना बनायी जाकर वित्तीय उपलब्धता के अनुसार क्रियान्विति की जावेगी। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 लागू है, जिसके अन्तर्गत किसान व उद्यमी पात्र परियोजनाओं के तहत फसल के विपणन, भण्डारण, शोधन की पर्याप्त व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं।

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने मण्डी के बारे में जवाब दे दिया है कि आबूरोड में मण्डी संचालित है और उसके पास में जमीन भी पड़ी है। उसमें कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए माननीय मंत्रीजी, क्या आप घोषणा करेंगे? नम्बर दो, रेवदर में पहले से जो 6 बीघा 4 बिस्वा आबंटित जमीन है, उसमें से 1 बीघा 4 बिस्वा जो शेष रही है, उसके बाद अभी सरकार ने जो 50 बीघा अलाट की है, उसमें मण्डी का निर्माण करने का प्रावधान नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि पिछले कई वर्षों से रेवदर उप खण्ड स्तर पर मण्डी नहीं है और

(श्री जगसी राम)
अभी जो 50 बीघा जमीन अलाट की है, उसके लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं किया है। माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि बजट के लिए क्या प्रावधान रखा है?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय अध्यक्ष महोदय, रेवदर पहले गौण मंडी थी। अभी हाल ही में हमने बजट 2022-23 में इसको मंडी घोषित किया है। पहले तो माननीय सदस्य को माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहिये। अभी हाल ही में इसमें बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। 13.09.2022 को इसके लिये भूमि अलाटमेंट हो गयी है और अतिशीघ्र आने वाले टाइम में हम इसका डवलपमेंट करेंगे। आप जो भी डवलपमेंट चाहते हैं, इस मंडी के अंदर हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संदीप कुमार।

स्थानीय उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की नीति

468. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार स्थानीय उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में कोई नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता (श्री अशोक): रोजगार विभाग द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में कोई नीति बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह नीतिगत निर्णय है।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जिन किसानों के रोजगार का एकमात्र साधन उनकी जमीनें हैं और वह जमीनें हमने अवाप्त कर लीं और उनको 10-10 वर्षों तक कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो उनको रोजगार देने में ऐसी क्या कानूनी अड़चन है? उन लोगों के पास दूसरा कोई साधन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पालिसी पर क्वेश्चन नहीं, आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जिन लोगों की जमीनें अवाप्त कर लीं और उनके पास रोजगार

(श्री संदीप कुमार)

का दूसरा कोई साधन नहीं है, उनको आप रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं, उसका क्या कारण है कि हम उन स्थानीय लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर यदि कोई प्रस्ताव माननीय सदस्य भिजवायेंगे तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुमित गोदारा।

लूणकरणसर के राजकीय महाविद्यालय को भूमि का आबंटन

469. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय महाविद्यालय, लूणकरणसर को कब व कितनी भूमि का आबंटन किया गया तथा उक्त का भवन निर्माण कब व कितनी लागत से कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त राजकीय महाविद्यालय की चारदीवारी का कार्य अपूर्ण है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय के दोनों द्वारों का स्थानीय विधायक की अनुशंसानुसार विधायक निधि से निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री राजेन्द्र सिंह यादव): (1) राजकीय महाविद्यालय, लूणकरणसर को दिनांक 03.03.2015 को 15.16 बीघा भूमि का आबंटन किया गया। उक्त महाविद्यालय का भवन निर्माण दिनांक 08.12.2016 को राशि रु. 285 लाख की लागत से कराया गया।

(2) जी हां। महाविद्यालय की चारदीवारी का निर्माण संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर यथासमय करवाया जा सकेगा।

(3) जी हां। राजकीय महाविद्यालय, लूणकरणसर के आगमन द्वार का निर्माण कार्य स्वीकृत विधायक निधि से पूर्ण हो चुका है तथा निकास द्वार के निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न

(श्री सुमित गोदारा)
यह है कि क्या लूणकरणसर कालेज में जो लैब व क्लासरूम की कमी है, उसको सरकार बनाने का विचार रखती है? दूसरा, क्या विधायक कोष से, जो कोविड की बची हुई राशि है, वह महाविद्यालय में उपयोग करने का सरकार विचार रखती है, जिससे इन कमरों की पूर्ति महाविद्यालय में हो सके।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): जो एम.एल.ए. लैड का पैसा है, वह नीतिगत मेडिकल का है, उसके लिये आप राज्य सरकार से बात करें। जो आपकी लैब और क्लास रूम की बात है, उसके लिये आप प्रस्ताव भिजवा दें। उसके ऊपर जो भी कार्यवाही होगी, वह समय के साथ हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामस्वरूप लाम्बा।

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना में प्राप्त आवेदन

470. श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के कुल कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं तथा अधिकतम कितने पात्र बेरोजगारों को भत्ता दिया जा सकता है? क्या सरकार बेरोजगारी भत्ते की संख्या में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की कुल संख्या कितनी है? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने स्नातक बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए सरकारी कार्यालय या RSLDC के मान्यता प्राप्त संस्थानों से इंटर्नशिप के तौर पर चार घंटे काम करने की शर्तें लागू की हैं? यदि हां, तो अब तक कुल कितने स्नातक बेरोजगारों ने इंटर्नशिप पूरी की है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता (श्री अशोक): (1) प्रदेश में मुख्य मंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिये दिनांक 14.09.2022 तक कुल 29,017 आवेदन पोर्टल पर लम्बित हैं, जिनमें से 4,090 आवेदन जांच उपरान्त स्वीकृति हेतु लम्बित हैं एवं 24,927 जांच किये जाने हेतु लम्बित हैं। योजना के नियमानुसार एक समय में अधिकतम दो लाख आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देय है। योजनान्तर्गत वर्तमान में दो

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)
लाख की निर्धारित सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह एक नीतिगत निर्णय है।

(2) प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में विभागीय पोर्टल पर विभिन्न श्रेणी के पंजीकृत बेरोजगारों की कुल संख्या 17,31,653 है। जिलेवार संख्यात्मक सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार ने स्नातक बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए सरकारी कार्यालय या RSLDC के मान्यता प्राप्त संस्थानों से इंटर्नशिप के तौर पर 4 घन्टे काम करने की शर्तें लागू नहीं की, अपितु मात्र राजकीय विभागों में ही प्रतिदिन 4 घन्टे इंटर्नशिप करवाये जाने का प्रावधान किया गया है। योजनान्तर्गत इंटर्नशिप करवाये जाने का प्रावधान अधिकतम दो वर्ष तक है। इंटर्नशिप हेतु दिनांक 09.09.2022 तक भिजवाये गये कुल 1,50,297 आशार्थियों द्वारा विभिन्न राजकीय विभागों में इंटर्नशिप की जा रही है। जिलेवार सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री अध्यक्ष: माननीय रामस्वरूप जी, आपको पूछना है कि राजेन्द्र जी पूछें?

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): मैं पूछ रहा हूं। आपने बताया कि खण्ड-2 में जो पंजीकृत बेरोजगार हैं उनकी संख्या 17 लाख से अधिक है, तो इनको भी किसी योजना के माध्यम से भत्ता या और कोई सुविधा सरकार देने का विचार रखती है या नहीं?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा के मुताबिक पढ़े-लिखे बेरोजगारों को भत्ता देने की बात थी और इस योजना में भी स्नातक और स्नातकोत्तर बेरोजगारों को देते हैं। उसमें मात्र 29 हजार लम्बित हैं, बाकी जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनमें से 6 लाख 4 हजार इस योजना का फायदा उठा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, खण्ड-1 में आपने कहा कि मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना की अधिकतम सीमा 2 लाख है और खण्ड-3 में आपने कहा कि यह सरकारी विभागों में चार घण्टे ही इंटर्नशिप करने का प्रावधान है और इस हेतु 09.09.2022 तक 1,50,297 आशार्थियों की इंटर्नशिप किये जाने की सूची

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रेषित की है। आप मुझे यह बतायेंगे कि वास्तविक रूप में जो सूची आपने 1,50,297 की प्रेषित की है, क्या यह सही है कि इनमें से मात्र 33,600 लोगों ने ही विभिन्न राजकीय कार्यालयों में ज्वाइन किया है, बाकी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, इंटर्नशिप के लिये समय दिया जाता है कि आपको इतने समय में इंटर्नशिप ज्वाइन करनी है। 1,50,297 लोगों को डिपार्टमेंट अलाट कर दिया गया है। जिन लोगों ने इंटर्नशिप शुरू नहीं की तो आटोमैटिक उस सीमा के बाद में उनका नाम कट जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैंने तो सिर्फ संख्या पूछी है कि आज की तारीख में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, बैठकर सुनें। प्लीज बैठें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्षजी, मैं तो सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि इन्होंने बताया कि समय सीमा समाप्त होने पर अपने आप लैप्स हो जायेंगे। आज की तारीख में क्या यह सही है कि युवा सम्बल योजना में 4 घंटे सरकारी रोजगार कार्यालय के अंदर इंटर्नशिप करने वालों की संख्या जो आपने भेजी है 1,50,297, यह नहीं होकर 33,600 के लगभग है, हां या नहीं? और अगर हां तो जो भेजी है इनमें से कितनों के लैप्स कर दिया और कितने वास्तविक रूप से आज आपसे भत्ता ले रहे हैं, इतना बता दो मुझे।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सूची बिलकुल सही है। 1,50,297 ही इंटर्नशिप कर रहे हैं और इनको बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हरीश मीणा। एक मिनट बैठें। कटारिया जी पूछ रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह जो 2 लाख का कैप लगा रखा है, क्या यह इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि सरकार, जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनको केवल और केवल दो लाख लोगों को ही रोजगार देने का मानस है और इसीलिए कैप लगा रखा है, तो फिर घोषणा यह क्यों थी कि सबको हम 3500 रुपया और 3000 रुपया देंगे? यह क्यों कहा आपने?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष को मैं बताना चाहता हूं कि पूर्व में इसके

(श्री अशोक)

ऊपर एक लाख की कैप लगा रखी थी, हमने उसको बढ़ाकर 1 लाख 60 हजार किया और फिर हमने उसको बढ़ाकर 2 लाख किया और 6 लाख 4 हजार लाभान्वित हो चुके हैं, मात्र 29 हजार अभ्यर्थी ही बाकी हैं। वह भी इस योजनान्तर्गत फायदा ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पेंडेंसी हैं जिनको मिल गया वह 6 लाख 4 हजार हैं और जिनको नहीं मिला वह मात्र 29 हजार है, तो सरकार की मानसिकता साफ है कि हर बेरोजगार, जिसको जरूरत है, उसको इस योजना से हम लाभ पहुंचायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हरीश मीणा।

नासिरदा (देवली-उनियारा) में पुलिस थाना खोलने की कार्ययोजना

471. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत तीन वर्षों में कितने नये पुलिस थाने खोले गये? विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के नासिरदा कस्बे में पुलिस थाना खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) प्रदेश में विगत तीन वर्षों (2019-20, 2020-21 व 2021-22) में कुल 25 नये पुलिस थाने खोले गए हैं, जिनमें 16 थाने नवसृजित किये गये हैं एवं 9 पुलिस चौकियों को पुलिस थानों में क्रमोन्नत किया गया है, जिनका विधान सभावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) गृह विभाग के आदेश क्रमांक प.27(क)(5)गृह-2/2022 दिनांक 01.04.2022 द्वारा नासिरदा (देवली) जिला टोंक में नवीन पुलिस थाना खोले जाने की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि नासिरदा थाने की स्वीकृति 1.4.2022 को जारी कर दी गयी है। मेरा मंत्रीजी से सवाल है कि यह कागज में ही रह जाएगी या आज की तारीख में वहां पर थाना चालू है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, देवली से आने वाले माननीय सदस्य, आप ही की विधान सभा का सवाल है, आप ही की इच्छा के अनुसार नासिरदा का थाना खोला गया है। आपको मालूम ही होगा कि वहां पर पुलिस चौकी बनी हुई है और उस पुलिस चौकी पर 1 एएसआई, 8 कांस्टेबल और 1 हैड कांस्टेबल पहले से तैनात थे। वहां पर यह नासिरदा का थाना चल रहा है क्योंकि वहां पर भवन की शोर्टेज होने के कारण अभी तक उसके लिए जमीन अलाट नहीं हुई है। वहां पर एसडीओ के पास दरख्वास्त दे रखी है जमीन अलाट करने के लिए, जब भवन बन जाएगा तब पूरे फुलफ्लेज में चलेगा लेकिन उसके बाद भी जो पहले से चले आ रहे थे उसके बाद भी 1 एएसआई को भी बढ़ा दिया गया है, 1 एसआई को भी बढ़ा दिया गया है, 2 हैड कांस्टेबल और बढ़ाये गये हैं, 5 कांस्टेबल और बढ़ाये गये हैं, 1 ड्राइवर भी वहां पर लगा दिया गया है। यह आपकी जानकारी में होना चाहिए, शायद आपकी जानकारी में नहीं है।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्रीजी को एक निवेदन करना है, मंत्रीजी अनुभवी हैं, वरिष्ठ भी हैं। सिर्फ अनुरोध है कि जब तक वह चौकी रहेगी, चौकी में मुकदमे दर्ज नहीं होते, वहां के आदमियों को मुकदमा दर्ज कराने 40 किलोमीटर दूर देवली जाना पड़ता है। यह थाना इसलिए खुलवाया गया था कि वहां के लोगों को वहीं राहत मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, जो चौकी है उसके पास 4 बीघा जमीन है। पर्याप्त भवन है, एएसआई है, हैड कांस्टेबल है, सिपाही हैं, उसको अपग्रेड ही तो करना है, कागज का काम है, इसमें कोई नया आपका फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। आप इसको फलीभूत करने की मंशा रखते हैं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बिलकुल, इसमें कोई दोराय नहीं कि जो भवन वहां पर उपलब्ध है वहां पर उसी हिसाब से नफरी बढ़ाते जा रहे हैं। अभी वहां पर कुल मिलाकर 5 महीने हुए हैं। इन 5 महीनों पर आप देखिये कि 26 गांवों का सर्वे करवाकर उसमें शामिल कर लिया गया है उस थाने के अंदर, यह कोई मामूली काम था क्या? दूसरी बात यह है कि कई इसमें विवाद थे, कोई तो कहता था कि नहीं, इस थाने में मत रखो, उस थाने में रखो हमें। कोई कहता था उस थाने में रखो, इस थाने में रखो। विवाद में आप पड़ना नहीं चाहते, आपने

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

फैसला करने नहीं दिया। आपने फैसला करने नहीं दिया तो सवाल इस बात का है कि आपने जो बताया कि 40 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर दूर नहीं है, नासिरदा से देवली सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। यह व्यवस्था कर दी गई है कि जो भी कम्पलेंट आती है, जो भी एफ.आई.आर. होती है उसकी कापी वह वहां पर दे देगा, तो वहां के थाने का आदमी जाकर देवली में उसको दर्ज करा देगा। यह व्यवस्था कर दी गई है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

चित्तौड़गढ़ जिले के पुरातात्विक स्थलों का सौन्दर्यीकरण

472. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में पुरातात्विक महत्व के कौन-कौन सी धरोहर एवं स्थल हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त धरोहर एवं स्थलों के रख-रखाव व सौन्दर्यीकरण के लिए जनवरी, 2019 से 10 सितम्बर, 2022 तक कितनी-कितनी राशि से क्या-क्या कार्य करवाये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) चित्तौड़गढ़ जिले में गंभीरी नदी पर स्थित पुल एवं नगरी गांव स्थित दीप स्तम्भ (चतुस्स्त्र मीनार) चारों ओर के 50 मीटर नियंत्रित क्षेत्र सहित पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान सरकार के संरक्षित स्मारक है।

इसके अतिरिक्त भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, भारत सरकार के अधीन चितौड़गढ़ जिले के बाडौली में घाटेश्वर मंदिर, कुण्ड, श्रीनगर चावरी, अष्टमाता मंदिर, गणेश मंदिर, शेषशयन मंदिर, शिवकुण्ड मंदिर, त्रिमूर्ति मंदिर, वामनअवतार मंदिर, मेनाल में मेनाल (महानाल मंदिर) एवं मठ, नागरी में हाथीवाड़ा एवं प्राचीन खण्डहर एवं चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग अवस्थित है।

(2) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना में स्वीकृत हैरिटेज सर्किट अन्तर्गत चित्तौड़गढ़ किले में लाइट एण्ड साउण्ड शो का उन्नयन पर राशि रुपये 227.26 लाख व्यय किये जाकर राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा कार्य पूर्ण कर दिनांक 27.12.2021 को लोकार्पण किया जा चुका है।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अवस्थित प्राचीन भामाशाह की हवेली

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

स्थित प्राचीन मंदिर, बावड़ियां वर्तमान में देखरेख के अभाव में जर्जर व जीर्ण-शीर्ण होकर अपने मूल रूप को खोती जा रही हैं? यदि हां, तो इनके संवर्धन एवं संरक्षण हेतु 4 वर्ष में सरकार द्वारा कितनी व किस-किस मद में राशि व्यय की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

क्या सरकार विश्व धरोहर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मूल स्वरूप को बचाने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

विश्व धरोहर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पर्यटकों को आकर्षित कर इनके आवागमन को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कार्ययोजना बनाना चाहती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: इनके लिए तो अलग प्रश्न पूछना पड़ेगा। माननीय मंत्रीजी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ जिले में जैसा मैंने अभी मूल प्रश्न के उत्तर में बताया कि केवल गंभीरी नदी पर स्थित पुल व नगरी गांव स्थित दीप स्तम्भ हमारे अंतर्गत हैं, बाकी जितने भी वहां के जैसे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, महानाल मंदिर, बाड़ौली मंदिर, नगरी चित्तौड़गढ़, हाथीबाड़ा, कुम्भा पैलेस, नगरी स्थित प्राचीन अवशेष, विश्व विरासत एवं आदर्श स्मारक चित्तौड़गढ़, विश्व विरासत चित्तौड़गढ़ मय श्रृंगार चंवरी से भामाशाह की हवेली, हाथीकुंड तथा खातिन की बावड़ी, महानाल मंदिर, इस तरीके से करीब-करीब 20 से अधिक स्मारक, ये भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग, जोधपुर मंडल के अंतर्गत हैं। इसमें समय-समय पर काम कराये गये हैं। जैसे इन्होंने नगरी का बताया है, नगरी में वर्ष 2018-19 में 2 लाख 48 हजार रुपये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जोधपुर ने खर्च किये हैं। 2019-20 में 2 लाख 36 हजार, 2020-21 में 2 लाख 12 हजार, वर्ष 2021-22 में 2 लाख 69 हजार और दिनांक 21.07.22 तक ये खर्च हुए 1 लाख 14 हजार रुपये, इस प्रकार 10 लाख 79 हजार रुपये खर्च हुए, और कोई हो तो आप बता दो।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे वहां का एक छोटा-सा प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष: आपके वहीं का है लेकिन वहां भारत सरकार का है, आप बात राजस्थान सरकार की कर रहे हैं।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय, पुरातत्व की सम्पत्ति जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, उसके संरक्षण की क्या योजना है? बजट की और व्यवस्था क्या हम करेंगे? वहां पर ये जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अमित चाचाण। श्री संयम लोढ़ा।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा जवाब दिलवा दो।

श्री अध्यक्ष: प्लीज। बहुत नजर है आप पर, चित्तौड़ का किला आप सब लोग ही देखते हैं।

सिरोही के जिला न्यायालय का भवन निर्माण

473. श्री अमित चाचाण (नोहर) एवं **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में किन-किन स्थानों पर जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के भवन निर्माण का कार्य चल रहा है? उक्त निर्माण कब तक पूर्ण होंगे? उक्त के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला न्यायालय सिरोही के भवन निर्माण का शिलान्यास कब किया गया तथा उक्त का निर्माण कब प्रारम्भ किया गया व निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने के क्या कारण रहे? विगत एक वर्ष में निर्माण प्रारम्भ करने के लिए क्या प्रयास किये गये? सरकार द्वारा अब कब तक उक्त न्यायालय भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) प्रदेश में 14 स्थानों पर जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। उक्त भवनों के निर्माण कार्यों के पूर्ण होने की संभावित तिथि तथा निर्माण कार्यों में विलम्ब के कारणों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिला न्यायालय सिरोही के भवन निर्माण का शिलान्यास माननीय न्यायाधिपति श्री संगीत लोढ़ा द्वारा दिनांक 11.10.2021 को किया गया था। भवन निर्माण का कार्य दिनांक 03.09.2022 को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया। इस भवन का निर्माण कार्य 31.12.2023 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जिला न्यायालय सिरोही के भवन का जो आपने 19 करोड़ रुपये का वर्कआर्डर किया है, उसमें एडवोकेट चैम्बर्स भी शामिल हैं। वर्कआर्डर देने के बाद फाइनेंस डिपोर्टमेंट ने एडवोकेट चैम्बर्स के निर्माण को रोक दिया है। इसका क्या समाधान आप करेंगे? दूसरा, आपने राजस्थान के जिन 14 न्यायिक भवनों का विवरण सदन में प्रस्तुत किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 3 -3 करोड़ रुपये के काम 2015-16 से 2017-18 से लम्बित हैं। आप न्यायिक भवनों के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति या कार्यवाही तो लेकर आओ, इन 14 में से सारे के सारे अधूरे पड़े हैं। कहीं टेंडर निरस्त हो गये। इनको किसी रूप में सरकार की प्राथमिकता में तो लाओ।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सदस्य, आपने सवाल किया है कि एडवोकेट चैम्बर, जिला न्यायालयों के भवन के निर्माण हेतु राशि 18 करोड़ 32 लाख 53 हजार रुपये रखी गई थी। एडवोकेट चैम्बर्स तथा एन्सिलरी ब्लाक की राशि 9 करोड़ 88 लाख 33 हजार रुपये रखी गई। इस प्रकार से आपने जो बताया कि एडवोकेट चैम्बर्स के लिए पैसा कितना रखा गया, मैंने आपको बता दिया कि 9 करोड़ 88 लाख रुपये रखा गया। इन दोनों का जोड़ अगर अपन लगाते हैं तो राशि आती है 28 करोड़ 20 लाख 86 हजार रुपये, इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति 21.09.2021 को जारी की जा चुकी है। उसके तत्पश्चात् ही माननीय न्यायाधिपति ने 11.10.2021 को शिलान्यास किया। सवाल इस बात का आता है कि देरी क्यों हो रही है, प्रोसीजरल कई बार कारण होते हैं, कई बार कहीं कांट्रेक्टर से झगड़ा होता है, किसी प्रकार की कोई न कोई बात होती है तो उससे देरी होती है। अब आप इसी को देख लें, इसी में 9 महीने लग गये, काम चालू होते-होते क्योंकि प्रोसीजर तो पूरा करना पड़ेगा, आपको डी.पी.आर. के लिए निविदा निकालनी पड़ेगी। डी.पी.आर. बनकर आयेगी तो उसके बाद में आपको टेंडर निकालने के लिये निविदा निकालनी पड़ेगी। उसके बाद निविदा मंजूर होगी। उसके बाद उसका वर्क आर्डर होगा। उसमें भी टाइम लगता है। उसके बाद जब कान्ट्रेक्टर को वर्क आर्डर दिया जाता है तो उसमें मोबिलाइजेशन में भी टाइम लगता है। इन सब चीजों में वक्त तो लगता है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, आप भी इनसे बहुत

(श्री संयम लोढ़ा)

वाकिफ हैं, घुमाने में तो इनकी पी.एच.डी. है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो वर्क आर्डर दिया गया है पीडब्ल्यू.डी. की ओर से, उसमें एडवोकेट चैम्बर्स शामिल है, लेकिन वित्त विभाग ने चिट्ठी जारी करके बाकी का भवन बनाने को कहा है और एडवोकेट चैम्बर्स के काम को फिलहाल नहीं शुरू करने को कहा है। आप इसे घुमा रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसे मैं दिखवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नारायण बेनीवाल।

सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु पर्यावरण अनापत्ति

474. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि किसी भी नगरीय, उप नगरीय, अन्य शहरी निकाय आदि स्थानों पर बड़े उद्योग, सीमेंट प्लांट आदि की स्थापना हेतु पर्यावरण अनापत्ति शहरी क्षेत्र से नियत दूरी के अनुसार ही देने का प्रावधान है? यदि हां तो आदेशों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार के द्वारा प्रदेश में किसी सीमेंट प्लांट को गलत तथ्यों के आधार पर पर्यावरण अनापत्ति जारी की गई है? क्या सरकार को उक्त पर्यावरण अनापत्ति के विरुद्ध एक जनवरी, 2018 से एक अगस्त, 2021 तक शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां तो सम्बन्धित उद्योग के विरुद्ध शिकायतवार अब तक की गई कार्रवाई सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यावरण मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) जी नहीं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के अन्तर्गत सीमेंट उद्योग एवं बड़े उद्योगों के लिये पर्यावरण स्वीकृति भारत सरकार एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात प्राधिकरण (SEIAA), राजस्थान के द्वारा जारी की जाती है।

तदुपरान्त राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा बड़े उद्योगों एवं सीमेंट प्लांटों को केवल जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 व वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत सशर्त स्थापना एवं संचालन सम्मति जारी की जाती है।

(पर्यावरण मंत्री)

(2) जी नहीं। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात प्राधिकरण (SEIAA), राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार कार्यालय रिकार्ड के आधार पर जनवरी, 2018 से 01 अगस्त, 2021 तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पर्यावरण विभाग के Environment (Siting for Industrial Projects) Rules, 1999 के नियमानुसार नगरपालिका क्षेत्र में कोई भी सीमेंट प्लांट नहीं लग सकता और ग्रामीण आबादी से भी डेढ़ किलोमीटर की दूरी है। पर्यावरण विभाग के नियमानुसार कोई भी सीमेंट फैक्टरी हाईवे और रेलवे लाइन से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर होनी चाहिये। या तो शायद आपको अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है। मैं अम्बुजा सीमेंट के मूण्डवा प्लांट की बात कर रहा हूं, जहां से आप भी बहुत बार गुजरते हैं। मूण्डवा कस्बे में ही बहुत बड़ा सेंटर स्थापित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने एक अधूरा और गलत जवाब दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या सरकार नागौर जिले के मूण्डवा स्थित अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड नामक कम्पनी द्वारा निर्माण पूर्व प्रस्तुत की गयी पर्यावरण सम्बन्धी संस्तुति की विवेचना तथा भविष्य में होने वाली पर्यावरण हानि के आकलन के लिये निष्पक्ष संस्था अथवा कमेटी द्वारा risk assessment analysis करवाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह पूरक प्रश्न कैसे हुआ यदि आप सदन की मेज पर जवाब रखने को कह रहे हैं?

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: मैं समझ गया आपकी बात। माननीय मंत्री जवाब दें।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह प्लांट नगरपालिका मूण्डवा से दूर है। आबादी के पास नहीं है और यह भी आज से नहीं है। इसकी ई.सी. जो जारी हुई है वह 05.05.2011 को हुई है। यह भारत सरकार के द्वारा जारी की गयी है। फिर बाद में Consent to establish (CTE) 23.06.2011 को हुई है। यह आबादी से दूर है। मैंने दूरी का भी अपने अधिकारियों से पूछा, इसमें ऐसा कुछ है क्या कि आबादी से इतनी दूर होनी

(श्री हेमाराम चौधरी)

चाहिये। इस पर उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी यदि आपके पास ऐसा कोई सर्कुलर है तो आप मुझे दे दें। यदि अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती मीना कंवर।

शेरगढ़ में कटाण रास्तों पर अतिक्रमण

475. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जिन राजस्व गांवों व ढाणियों में आवागमन या सरकारी कटाण का रास्ता नहीं है उक्त गांवों व ढाणियों के लिए कानून बनाकर कटाण रास्ते बनाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां पर कटाण रास्ते, ओरण, गोचर, आगोर, नदी-नाला किस्म, चरागाह, श्मशान, कब्रिस्तान व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त को अतिक्रमण से मुक्त करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): (1) जिन राजस्व गांवों व ढाणियों में आवागमन या सरकारी कटाण के रास्ते नहीं हैं, इसके सम्बन्ध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन विभाग द्वारा खातेदारी भूमि पर रास्ते के लिए यह प्रावधान है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251-ए के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु सक्षम है तथा इस सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के अन्तर्गत नियम 68-70 में भी प्रावधान विहित हैं। नियमों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

राजकीय भूमि से सार्वजनिक रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 14.06.2013, 29.09.2014, 24.12.2014, 10.08.2016 एवं 30.09.2021 जारी किये गये हैं। परिपत्रों की छायाप्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की तहसील क्षेत्र बालेसर में नदी क्षेत्र में 369 अतिक्रमण किये गये, जो प्रकरण संख्या 1058/2019 माननीय राजस्थान

(राजस्व मंत्री)

उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन है (सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न) एवं 28 अन्य अतिक्रमियों द्वारा अन्य किस्म की राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है जो न्यायालय तहसीलदार, बालेसर में विचाराधीन है। (सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न)।

(3) जी हां। उक्त अतिक्रमणों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय एवं न्यायालय तहसीलदार द्वारा पारित निर्णयों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

(प्रति व सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि उच्च न्यायालय एवं तहसीलदार न्यायालय के यहां मामला चल रहा है, इसका निस्तारण कब तक किया जायेगा? समयावधि निश्चित करें।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 369 मामले हैं, जिनमें 110 में हाईकोर्ट का स्थगन है। 183 मामले हैं, जिनमें हाई कोर्ट ने साइने-डाई कर रखा है। 76 मामलों में अलग-अलग रिट्स दायर हुईं। 369 पर ही कोर्ट के निर्णय के बाद जिला कलेक्टर की कल की रिपोर्ट में तहसीलदार और हाई कोर्ट का आदेश हमने साथ लगाया। 369 पर जब तक न्यायालय के आदेश नहीं होंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 28 अन्य मामले हैं, जिसमें एक RAA में हैं और चार मामले सिविल न्यायालय में हैं। 22 तहसीलदार के पास हैं, जिन पर से कब्जा हटाने के लिए 91 की कार्रवाई कर दी। उसके बाद इजराय की पालना शेष है। अभी कुछ बाकी थीं तो पुलिस के लिए जाब्ते का लिख दिया। कोर्ट के अलावा बाकी जो 22 मैटर्स हैं, उनके लिये आर्डर कर दिये हैं। मैं माननीय सदस्या को जल्दी ही कार्रवाई करने का आश्वासन देता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अमर सिंह।

बाणासुर किला (बयाना) तक सड़क का निर्माण

476. श्री अमर सिंह (बयाना): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बयाना के ऐतिहासिक बाणासुर किले तक सड़क का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अमर सिंह)

(2) क्या सरकार उक्त किले में स्थित स्मारकों, मंदिर व बावड़ियों का संवर्द्धन कराने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री मुरारी लाल): (1) विधान सभा क्षेत्र बयाना के ऐतिहासिक बाणासुर किले तक सड़क का निर्माण करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

विभाग में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन विकास कार्य स्वीकृत किये जाते हैं।

(2) बाणासुर किला स्थित स्मारकों, मंदिर व बावड़ियों का संवर्द्धन करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

विभाग में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन विकास कार्य स्वीकृत किये जाते हैं।

श्री अमर सिंह (बयाना): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बाणासुर किला, जो बयाना का है, वह देश-दुनिया में फेमस है। जब वहां एक सड़क का निर्माण होगा, जितने भी संसाधन हैं वे तब ही वहां पहुंच पाएंगे। जब तक सड़क की कोई व्यवस्था नहीं होगी तब तक कोई वाहन वहां नहीं पहुंच सकता है इसलिये क्या आप दूर-दराज से जो तमाम पर्यटक वहां आते हैं, उनकी सुविधा के लिये सड़क बनाने का विचार रखते हैं? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, यह किला राज्य सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा संरक्षित घोषित नहीं है। यह भारत सरकार द्वारा संरक्षित घोषित है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इस किले के संरक्षण हेतु बावड़ी की सफाई, पाथवे का निर्माण, किले के पश्चिम भाग में स्थित गेट नम्बर 1 व 2 के मध्य प्राचीन ढांचे एवं गेट नम्बर 2 के समीप क्षतिग्रस्त ढांचे का रेस्टोरेशन कार्य करवाया गया है। बाकी संसाधनों के आधार पर हम राज्य सरकार के स्तर पर भी काम करेंगे। माननीय सदस्य महोदय इसके लिये लिखकर दे दें। इस बार हमने भी पर्यटन के लिये काफी बजट रखा है। सम्भव होगा तो उस पर काम करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री ज्ञानचंद पारख।

रोहट व पाली तहसील में फसल खराबे का मुआवजा

477. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले की रोहट एवं पाली तहसील के किस-किस पटवार सर्कल में 2021 में खरीफ की किस-किस कृषि जिन्स में कितना-कितना खराबा बताया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खराबे के विरुद्ध प्रभावित किसानों को दी जाने वाले आदान-अनुदान की कुल कितनी राशि कुल कितने प्रभावित किसानों को दी जानी है? उक्त राशि का भुगतान कितनी अवधि में कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दोनों तहसीलों में पूर्व की खरीफ वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 की सूची में अंकित प्रभावित काश्तकारों के नाम होने के उपरांत भी उन्हें किन-किन कारणों से अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया गया व उक्त को अब कितनी अवधि में भुगतान कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (श्री गोविंद राम): (1) पाली जिले की रोहट एवं पाली तहसील में खरीफ फसल संवत् 2078 (वर्ष 2021) में हुए खराबे का पटवार सर्किलवार एवं जिन्सवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) पाली जिले की रोहट एवं पाली तहसील की खरीफ फसल संवत् 2078 (वर्ष 2021) में सूखे की गिरदावरी रिपोर्ट (फसल खराबा रिपोर्ट) के अनुसार प्रभावित 64546 किसानों के लिए अनुमानित 6698 लाख रुपये की कृषि आदान-अनुदान राशि का आकलन किया गया था, जिसमें से पाली एवं रोहट तहसील के 41265 किसानों को 3791.78 लाख रुपये का कृषि आदान-अनुदान भुगतान कर दिया गया है।

पाली एवं रोहट तहसील के 223 किसानों को कृषि आदान-अनुदान भुगतान हेतु स्वीकृति जारी कर दी गयी है।

पाली एवं रोहट तहसील के 564 किसानों के बैंक विवरण सही नहीं होने के कारण सम्बन्धित पटवारियों के माध्यम से बैंक विवरण सही करवाने की कार्रवाई की जा रही है। सूचना प्राप्त होने पर प्रभावित किसानों को भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

पाली एवं रोहट तहसील के प्रभावित किसानों में से 4884 किसानों की

(आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री)

दोहरी प्रविष्टियां होने से हटाया गया है। स्थायी रूप से बाहर प्रवास करने, जन आधार में बैंक खाता संख्या एवं आधार संख्या की सूचना अपडेट नहीं करने के कारण पाली एवं रोहट तहसील के 17,610 किसान कृषि आदान-अनुदान भुगतान से शेष हैं। प्रभावित किसानों से वांछित सूचना प्राप्त होने पर कृषि आदान-अनुदान भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

(3) पाली जिले की रोहट तहसील में खरीफ फसल संवत् 2074 (वर्ष 2017) में बाढ़ से फसल खराबे से प्रभावित 3483 किसानों को कृषि आदान-अनुदान भुगतान किया जाना शेष है। उक्त किसानों को कृषि आदान-अनुदान भुगतान किये जाने की कार्रवाई राज्य कार्यकारी समिति के निर्णय उपरांत की जायेगी।

तहसील रोहट में खरीफ फसल संवत् 2075 (वर्ष 2018) में सूखे से फसल खराबे से प्रभावित 408 किसानों का बैंक विवरण सही नहीं पाये जाने के कारण भुगतान से शेष है। बैंक विवरण सही कराने की कार्रवाई की जा रही है। बैंक विवरण की सही सूचना प्राप्त होने पर भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय, जो आपने बताया कि 3,483 किसानों को 2021 का अनुदान देना बाकी है, वह आप कब तक दिलवा देंगे? 2017 का आपने और बताया है कि राज्य स्तरीय समिति के पास निर्णय के लिए उसके बाद ही दिया जायेगा, तो यह राज्य स्तरीय समिति की बैठक कब तक हो जायेगी और 2017 का जो बकाया अनुदान का पैसा है, वह कब तक दिला देंगे आप?

(समय: 12.00 बजे)

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 17 हजार 610 किसान जो कृषि आदान-अनुदान भुगतान से शेष हैं, प्रभावित किसानों से वांछित सूचना प्राप्त होने पर कृषि आदान-अनुदान का भुगतान जल्द किया जायेगा। 2017 का जो बाढ़ का पैसा है, इसका समय लम्बा होने के कारण जो राज्य कार्यकारी समिति चीफ सैक्रेटरी के अधीनस्थ होती है, इन्होंने उसको वापस भेज दिया था। यह बात माननीय सदस्य ने सही कही है कि इतना लेट नहीं होना चाहिए तो इन्होंने वापस इसलिए कहा है कि इसमें दोषी अधिकारी कौन हैं। इनका कुल पेमेंट 3 करोड़ 80 लाख रुपये है और हम

(श्री गोविंद राम)

जल्दी से जल्दी सी.एस. से रिक्वैस्ट करके इस कमेटी की मीटिंग बुलवाकर जो भी दोषी हैं उन पर कार्यवाही करें लेकिन उससे पहले इनका जल्दी से जल्दी भुगतान करायें ताकि किसानों को राहत मिल सके इसलिए जल्दी कार्यवाही की जायेगी।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 30)

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के तीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 19 सितम्बर, 2022 को मध्याह्न पश्चात् 12.15 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि मंगलवार, दिनांक 20 सितम्बर 2022 एवं बुधवार, दिनांक 21 सितम्बर 2022 को सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

मंगलवार, दिनांक 20 सितम्बर 2022	1.राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2022; 2.राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार एवं पारण; एवं 3. लम्पी डिजीज (एलएसडीवी) पर चर्चा एवं मंत्री का वक्तव्य।
बुधवार, दिनांक 21 सितम्बर 2022	1. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2022-23 (प्रथम संकलन) का उपस्थापन। 2. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2022-23 (प्रथम संकलन) पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण तथा तत्सम्बन्धी राजस्थान विनियोग (संख्या 3)

(श्री महेन्द्र चौधरी)

	विधेयक, 2022 का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण। 3. राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022; एवं 4. राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2022; पर विचार एवं पारण

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

गृह विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार गृह विभाग की निम्नांकित 8 और वित्त (जीएण्डटी-एसपीएफसी) विभाग की निम्नांकित 8 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: प.20 (02) गृह-9/2012पार्ट दिनांक 15.02.2022 जिसके द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर व उसके समस्त कार्यालयों एवं संबंधित सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: प.20 (2) गृह-9/2012पार्ट 1 दिनांक 15.02.2022 जिसके द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर व उसके समस्त

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कार्यालयों एवं संबंधित सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित करने पर हड़ताल किये जाने को प्रतिषेध किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या: प.20 (2) गृह-9/2021 पार्ट1 दिनांक 19.04.2022 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या: प.20 (2) गृह-9/2012पार्ट1 दिनांक 19.04.2022 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित करने पर हड़ताल किये जाने को प्रतिषेध किया गया है;

(5) अधिसूचना संख्या: प.20 (2) गृह-9/2012पार्ट2 दिनांक 25.05.2022 जिसके द्वारा 108 आपातकालीन सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है;

(6) अधिसूचना संख्या: प.20 (2) गृह-9/2021 पार्ट 1 दिनांक 22.07.2022 जिसके द्वारा ऊर्जा विभाग की सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है;

(7) अधिसूचना संख्या: प.20 (2) गृह-9/2012 पार्ट1 दिनांक 22.07.2022 जिसके द्वारा ऊर्जा विभाग की सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित करने पर हड़ताल किए जाने को प्रतिषेध किया गया है; एवं

(8) अधिसूचना संख्या: प. 37 (1) गृह- 9 / 2021 दिनांक 26.08.2022 जिसके द्वारा राजस्थान निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियम) नियम, 2022 विरचित किये गये हैं।

वित्त (जीएण्डटी-एसपीएफसी) विभाग

(1) अधिसूचना संख्या: 11.05.2022 जिसके एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी एसपीएफसी/2017 दिनांक द्वारा अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 में जनसहभागिता से जनउपयोगी माल, सेवा व संकर्मों का उपापन भामाशाह/ट्रस्ट/सोसायटी/एनजीओ से किये जाने हेतु बिन्दु संख्या 61 जोड़ा गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1) एफडी/जीएण्डटी एसपीएफसी/2022 दिनांक 23.05.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 के बिन्दु संख्या 1(ग) में सरकार के अधिकारियों के प्रशिक्षण

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि के आयोजन के लिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी व नवगठित राजकीय कम्पनी राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलेवरी लिमिटेड से विभिन्न व्यवसायिक सेवाएं उपाप्त किये जाने के लिए बिन्दु संख्या 62 जोड़ा गया है;

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2022 दिनांक 15.06.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 में नागरिक सुरक्षा विभाग के स्वयंसेवकों से सुरक्षा व्यवस्था व गैर तकनीकी सेवाओं को उपाप्त किये जाने के लिए बिन्दु संख्या 11 में संशोधन किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 07.07.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 में विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक सेवाओं का उपापन सीधे ही नेशनल इंस्टीट्यूट फोर स्मार्ट गवर्नमेंट से किये जाने हेतु बिन्दु संख्या 63 जोड़ा गया है;

(5) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 07.07.2022 जिसके द्वारा RTPP Rules, 2013 के नियम 17 में नागरिक उड्डयन विभाग को विशिष्ट प्रकार की तकनीकी सेवाओं की उपापन के लिए वित्तीय सीमा प्रतिवर्ष 18 लाख रुपये निर्धारित की गई है;

(6) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1) एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 14.08.2022 जिसके द्वारा पशुपालन विभाग को लंपी रोग से मुकाबला किये जाने हेतु दवाइयों और वैक्सीन के उपापन में आरटीपीपी एक्ट व रूल्स की प्रयोज्यता से छूट प्रदान की गई है;

(7) अधिसूचना संख्या: एफ. 2 (1) एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 26.08.2022 जिसके द्वारा कोटा की देवनारायण नगर योजना व समीपस्थ पशुपालकों से गोबर के उपापन में आरटीपीपी एक्ट व रूल्स की प्रयोज्यता से छूट प्रदान की गई है; एवं

(8) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1) एफडी/जीएण्डटी एसपीएफसी/2022 दिनांक 26.08.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना दिनांक 04.09.2013

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

के बिन्दु संख्या 12(ख) में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पंजीकृत ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों से किये जाने वाले स्टील फर्नीचर के उपापन की सीमा 5 लाख रुपये तक की गई है।

श्री अध्यक्ष: श्री परसादी लाल।

वित्त (आबकारी) विभाग

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त (आबकारी) विभाग की 8 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)एफडी/एक्स/2022 पार्ट-1 दिनांक 01.04.2022 जिसके द्वारा देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा गारण्टी से अधिक उठाने पर बीएलएफ में छूट प्रदान की गई है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)एफडी/एक्स/2022 पार्ट-1 दिनांक 01.04.2022 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 68(13-सी) में आर.एस.बी.सी.एल. को छूट प्रदान की गई है;

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)एफडी/एक्स/2022 पार्ट-I दिनांक 01.04.2022 जिसके द्वारा विभाग की पूर्व अधिसूचना संख्या: एफ.3 (4) एफडी/एक्स/2015 पार्ट-लूज दिनांक 02.06.2020 को प्रत्याहरित किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)एफडी/एक्स/2022 पार्ट-I दिनांक 01.04.2022 जिसके द्वारा पूर्व अधिसूचना एफ. 4 (62) एफडी/एक्स/96 दिनांक 31.03.1997 में आबकारी शुल्क की दरों में संशोधन किया गया है;

(5) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)एफडी/एक्स/2022 पार्ट-1 दिनांक 01.04.2022 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 2, 48, 49, 53-ए, 68 एवं 69 में संशोधन किया गया है;

(6) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)एफडी/एक्स/2022 पार्ट-I दिनांक 01.04.2022 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (ग्रांट आफ होटल बार/क्लब बार लाइसेंसेज) नियम, 1973 के नियम 3, 3-सी एवं 7-ए में संशोधन किया गया है;

(7) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)एफडी/एक्स/2022 पार्ट-1 दिनांक 01.04.2022 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (ग्रांट आफ रेस्टोरेन्ट

(श्री परसादी लाल)

बार लाइसेंसेज) नियम, 2004 के नियम 3 में संशोधन किया गया है; एवं

(8) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)एफडी/एक्स/2022 पार्ट-1 दिनांक 26.04.2022 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 69 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री अंजना उदयलाल।

सहकारिता विभाग

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या प.12(15)सह/2019/पार्ट-1 दिनांक 04 अगस्त, 2022, जिसके द्वारा राजस्थान अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियम, 2022 विरचित किया गया है, सदन की मेज पर मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

परिवहन विभाग

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की निम्नांकित 8 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: प.6(179)परि/कर/मु./2022-23/3एफ/3587 दिनांक 24.02.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.6 (179) परि/कर/मु./2019-20/3 दिनांक 10.07.2019 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: प.6(324)परि/कर/मु/2019/पार्ट-1/4415 दिनांक 04.03.2022 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उप धारा (1) के खण्ड (सी) अधीन संदेय कर का प्रतिहार किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या: प.6(66)/परि/कर/मु./2007/पार्ट-1/4405 दिनांक 04.03.2022 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम, 1951 के नियम 26 में संशोधन किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या: प.6(260)/परि/कर/मु./2011/2A/6957 दिनांक 31.03.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.6 (260) परि/कर/मु./2011/2 दिनांक 23.02.2022 में संशोधन किया गया है;

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

(5) अधिसूचना संख्या: प.6(179)/परि/कर/मु./2022-23/पार्ट/2C/7682 दिनांक 07.04.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.6(179)/परि/कर/मु./2019-20/2 दिनांक 10.07.2019 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(6) अधिसूचना संख्या: प.6(326)/परि/कर/मु./2019-20/14197 दिनांक 23.06.2022 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम, 1951 के नियम 4 में संशोधन किया गया है;

(7) अधिसूचना संख्या: प.6(328)/परि/कर/मु./2021/17882 दिनांक 05.08.2022 जिसके द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 51ए के अन्तर्गत कर में छूट प्रदान की गई है; एवं

(8) अधिसूचना संख्या: प.6(75)परि/कर/मु./08/20693 दिनांक 29.08.2022 जिसके द्वारा दिनांक 29.08.2022 से 10.09.2022 तक अन्य राज्यों से रामदेवरा (जिला जैसलमेर) आने जाने वाले समस्त यात्री वाहनों के लिए 6500/- रुपये से अधिक के करों का परिहार किया गया है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री शान्ती कुमार धारीवाल। एक मिनट, धारीवाल साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आप मुलाहिजा फरमायें, 2018-19 और 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन अब रख रहे हैं। अंकेक्षण के लेखे हों तो समझ में आता है। आपके आसन के द्वारा कई बार इस प्रकार के निर्देश दिये गये हैं और इतने पुराने वार्षिक प्रतिवेदन अगर प्रस्तुत किये जायेंगे तो इनका अर्थ क्या रह जायेगा? अध्यक्ष महोदय, मुझे तकलीफ इस बात की है कि गैर जिम्मेवार संसदीय कार्य मंत्री खुद यह काम कर रहे हैं तो फिर दूसरों को क्या बतायेंगे इसलिए आप इनको प्रताड़ित करिये अध्यक्ष महोदय, इतनी ही प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष: आपके अनुभवों का लाभ लेंगे ये। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान आवासन मण्डल के वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे (वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)
आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा-47 के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल के वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21 सदन की मेज पर रखता हूं।

राठौड़ साहब, अपना टाइम भी याद रखो जब आप 8-8, 10-10 साल के बाद में पेश किया करते थे।

श्री अध्यक्ष: आप दोनों ही सदन के बाहर बात कर सकते हैं। श्री महेन्द्रजीत सिंह जी मालविया।

राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना अधिनियम, 2015 की धारा-15 के अन्तर्गत राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री शाले मोहम्मद जी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर पृथक् अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से (1) राजस्थान वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा-37(6) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक् अंकेक्षण प्रतिवेदन; एवं

राजस्थान हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

(2) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आज माननीय उप राष्ट्रपति जी 4 बजे सदन में आयेंगे। दो बिल पास करने हैं और लम्पी पर चर्चा करनी है जो बहुत गम्भीर मसला है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि समय की सीमा के अन्तर्गत अपनी बात कहें। माननीय सदस्यों से भी मेरा निवेदन है कि यह समस्या ऐसी है जिस पर पूरा प्रदेश सदन में जो चर्चा है उस पर ध्यान आकर्षित कर रहा है। सरकार ने अपने क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिये, अपोजिशन उसमें क्या कमी-खामी बता रहा है और अन्त में जब मंत्री जी जवाब दें तो राजस्थान की जनता को आश्वासन दें कि हम सब, यह सदन मिल-जुलकर इस बीमारी के प्रति गम्भीर हैं और इस समस्या को एड्रेस करने के लिए कुछ न कुछ कांक्रीट प्रपोजल जनता के सामने जाए, ऐसी मेरी मन्शा है। आप सबसे निवेदन है कि समय सीमा जैसे हर पार्टी के लीडर से हमने ली है, उसको यदि एड्हियर करेंगे तो समय पर हो जाएगा अन्यथा 3 बजे हम इस डिबेट को वाइंड-अप करेंगे। माननीय मंत्री जी, ब्रीफ में सरकार का कहें और बाद में जब माननीय सदस्य अपनी बात कह दें तब कन्क्लूड करने में उनके सजेशन को इनकार्पोरेट कर अपना जवाब दें।

विभिन्न विषयों पर विचार

लम्पी डिजीज (एलएसडीवी) पर चर्चा

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रदेश में पशुधन में फैल रही लम्पी स्किन रोग से पशुओं को बचाने के बारे में चर्चा की जाये।

अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि यह लम्पी नामक जो बीमारी है यह सर्वप्रथम 1929 में जाम्बिया में पायी गयी। भारत में वर्ष 2019 में उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में लम्पी रोग पशुओं में फैलना चालू हुआ। वर्ष 2020 में गोवा, असम, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश में लम्पी रोग का प्रकोप चालू हुआ। इसके बाद में वर्ष 2021 में दिल्ली में कुछ जगह यह पशुओं में पायी गयी। राजस्थान प्रदेश में वर्ष 2021 में हनुमानगढ़, झुन्झुनूं, बांसवाड़ा, कुछ तहसील जयपुर की, झालावाड़, जोधपुर, भरतपुर, धौलपुर आदि में पशुओं में यह बीमारी फैली, परन्तु इनकी संख्या बहुत ही नगण्य रही और किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। माह अप्रैल, 2022 में प्रदेश में सर्वप्रथम जैसलमेर जिले में लम्पी स्किन रोग के प्रकोप की पुष्टि हुई जिसकी राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र

(श्री लालचन्द कटारिया)

हिसार में पुष्टि की गयी। इसके बाद माह मई व जून, 2022 से जोधपुर व बीकानेर सम्भाग को इसने अपनी चपेट में लिया। माह जुलाई, 2022 से पश्चिमी राजस्थान एवं अगस्त, 2022 में कोटा सम्भाग के अतिरिक्त समस्त जिलों में लम्पी रोग की पुष्टि हुई है। आज की तारीख में एक बारां जिले को छोड़कर राज्य के 32 जिलों में यह रोग फैल चुका है जिसके उपचार हेतु पशुपालन विभाग में कार्यरत 857 वरिष्ठ पशु चिकित्सक, 1162 चिकित्सक, 872 पशु चिकित्सा सहायक व 7,705 पशुधन सहायक लगातार अपनी सेवायें दे रहे हैं। पशुपालन विभाग की राज्य में संचालित कुल 8,954 संस्थाएं इस बीमारी से बचाने में लगी हुई हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सारा वक्तव्य आप पहले ही पढ़ देंगे क्या या हम लोग बोलेंगे, उसके बाद आप मिलाकर जवाब देंगे? प्रारम्भिक बातें कह दें, वह तो समझ में आता है।

श्री अध्यक्ष: प्रारम्भिक बातें संक्षिप्त में बोलें जिससे इन सबके सजेशन के बाद आप जवाब दे पायें।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने जो हमारे विभाग का मैनपावर था उसके बारे में बताया है। भारत सरकार ने भी इस पर चिन्ता जाहिर की है। भारत सरकार के पशुपालन मंत्री रूपाला जी जयपुर आये। उनके साथ में भारत सरकार के कमिश्नर डा. मलिक, वे भी साथ में थे, जो पशुपालन के अच्छे विशेषज्ञ हैं, लगातार हमारी मीटिंग चली। उन्होंने जो एडवाइजरी जारी की, उसके तहत उन्होंने गॉट पॉक्स का जो टीका बताया, वह हमने पशुओं को लगाना चालू किया। एडवाइजरी में जो बातें उन्होंने कहीं, उसका हमने ध्यान रखा। कई जिलों के अन्दर हमारे भामाशाह, निजी संस्थाएं भी आगे आईं और उन्होंने वह टीका पहले ही लगाना शुरू कर दिया था। गॉट पॉक्स के बारे में, जो जानकारी भारत सरकार ने दी, किसी समय में जब बकरी में यह रोग फैला, उसके लिए बनायी गयी थी। चूंकि उसके बाद में कोई दवा ईजाद नहीं हुई और बड़े पशुओं में यह बीमारी आ गयी और खासतौर से एक मात्र गाय, जो ऐसा पशु है, जिसको पूरी दुनिया में माता का दर्जा प्राप्त है, उसको ज्यादा प्रभावित किया।

एडवाइजरी में लिखा हुआ था कि जहां संक्रमण फैल चुका है, वहां इसका उपयोग नहीं करें। पहले कई जगह इसका उपयोग लगातार किया जा रहा था। भारत सरकार की जब एडवाइजरी आई और उन्होंने दिशा-निर्देश दिये

(श्री लालचन्द कटारिया)

कि उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में इसका उपयोग नहीं करें, उससे नुकसान होने की सम्भावना है तो हमने उन तहसीलों और जिलों को लिया, जहां यह बीमारी नहीं फैली थी या फिर जहां जीरो स्कोर था।

(समय: 12.11 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

भारत सरकार के लगातार सम्पर्क में आने के बाद में, जो बातें सामने आईं कि केवल गॉट पॉक्स ही एक ऐसा टीका है, जिससे 60 प्रतिशत पशु की सुरक्षा होती है। यह बकरी में 1 एमएल लगाया जाता था। भारत सरकार ने जो एडवाइजरी बतायी, उसमें इसको 3 एमएल बढ़ाकर लगाने के लिये कहा और वही काम पशुपालन विभाग ने किया।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने 15 अगस्त को पूरे प्रदेश में एक जागरूकता अभियान, सभी जन प्रतिनिधि, चाहे सांसद हों, एमएलए महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष, उप नेता भी उससे जुड़े थे और उन्होंने लगातार वी.सी. के माध्यम से पूरे प्रदेश को एक मैसेज दिया कि यह जो बीमारी पशुधन में आयी है, जो गोवंश को प्रभावित कर रही है, उसके लिए हम सजग रहें। जैसा कोविड काल में उन्होंने प्रबन्धन किया, वैसा प्रबन्धन करने की बात राजस्थान की जनता को उन्होंने कही। हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाये। हमारे गोपालन मंत्री जी प्रमोद भाया जी जैन और गोसेवा आयोग के अध्यक्ष, जो बाड़मेर से आते हैं। उन्होंने भी प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा किया। स्वयं मैंने लगातार जिलों का दौरा किया। कलेक्टर्स के यहां मीटिंग ली और पूरी सजगता के साथ में इस लम्पी स्किन बीमारी से लड़ने का काम एक अभियान के रूप में हमने रखा। मुख्य मंत्री जी लगातार वी.सी. के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते रहे।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यहां पर जितने भी माननीय सदस्य हैं और सांसदगण हैं, उन्होंने भी अपने विधायक कोष से पैसा दिया। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके विधान सभा क्षेत्र में टीकाकरण अभियान चालू रखा गया। जहां-जहां भी उनके समस्या आई, वहां दवाई उपलब्ध करायी गयी, क्योंकि पहले से ही पशुओं की दवाइयां राज्य सरकार ने फ्री कर रखी हैं।

हमारे जितने भी केन्द्र थे, उनमें जहां मैनपावर्स की कमी थी, अन्य जिलों से वहां पर लोग लगाये गये, ताकि टीकाकरण और दवाई का काम सुचारु रूप से चलता रहे। मैं माननीय सदन के सभी सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि यह जो महामारी है, जैसे कोविड का समय आया था, वैसे गोमाताओं को बचाने का, पशुधन को बचाने का यह समय है।

(श्री लालचन्द कटारिया)

मैं किसी दलगत राजनीति की बात नहीं करूंगा, परन्तु यह जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार और विभाग पूरी तरह से सजग हैं। हम गोमाता को बचाने का काम लगातार कर रहे हैं। आज हम गोवंश में छठे स्थान पर हैं, 1 करोड़ 39 लाख गोवंश हमारे पास है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा और सभी साथियों से निवेदन करूंगा, नेता, प्रतिपक्ष से निवेदन करूंगा कि जो भी सुझाव आप दें, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम किस तरह से विभाग को और मजबूत कर सकते हैं। गोवंश को बचाने का काम आगे कैसे किया जाए। जो भी सुझाव आयेंगे, उसको विभाग पूरी निष्ठा के साथ में करेगा और गोवंश को बचाने का काम करेगा। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचंद पारख।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): अगर यह बीमारी गम्भीर होती और इस वायरस की जानकारी सरकार को नहीं होती न, तो शायद सरकार के गुनाह को जनता माफ कर देती। माननीय मंत्री महोदय, यह बीमारी कोई ज्यादा गम्भीर नहीं है। इसका बहुत आसान इलाज है, पर सरकार की इलाज करने में जो नाकामी रही है, उसकी पीड़ा प्रत्येक प्रदेशवासी को है। अगर सरकार प्रयास करती, आपने कहा हमने प्रयास किये। मैं खुद इस बात का गवाह हूं और सदन में बोल रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय, आपके जो प्रयास हैं, वे शून्य के बराबर हैं, शून्य के बराबर हैं। यदि आपने थोड़े भी प्रयास किये होते न तो जो लाखों गायें इस प्रदेश में मौत के मुंह में समा गयी हैं, उसमें से अधिकांश को बचाया जा सकता था। यह सरकार की अनदेखी, यह सरकार की बेरुखी, यह सरकार की लापरवाही, इन गायों की मौत के लिए सीधी-सीधी जिम्मेदार है। इस गुनाह से सरकार को कभी माफ नहीं किया जा सकता।

माननीय सभापति महोदय, कैसे हालात पैदा हो गये? जहां जाओ गायों की लाशों के ढेर आपको मिल जायेंगे और आज से पांच या छह दिन पहले 'आज की बात, रजत शर्मा के साथ' आपने रात को देखा होगा। 25 मिनट का पूरा का पूरा टी.वी. प्रोग्राम, जो राजस्थान की गायों की हालात का है न, उसमें उसने बयां किया था। उसमें भी विशेष तौर पर माननीय मुख्य मंत्री जी के गृह जिले जोधपुर की, जो मुख्य सड़कें हैं, वहां एक नहीं सैकड़ों गायों के चित्र उसने टी.वी. के जरिये देश की जनता के सामने सबूत के तौर

(श्री ज्ञानचंद पारख)

पर पेश किये थे और उसके बाद इस सदन में सरकार कहती है कि हमने प्रयास किये हैं।

माननीय मंत्री महोदय, आपको पता है कि वायरस एक बार फैलने के बाद में टीकाकरण अभियान चलाया नहीं जा सकता। यह आपको पता है, क्योंकि आपकी खुद की गाइडलाइन थी कि अगर किसी भी क्षेत्र में एक भी गाय के अन्दर यह वायरस आ गया और 5 किलोमीटर के दायरे में यदि टीकाकरण किया गया तो इस बीमारी को वह टीकाकरण उलटा बढ़ावा देगा। उससे बीमारी घटेगी नहीं और आपको फोकस करना था गाय के इलाज पर। आपकी कमी रह गयी, हो सकता है उस समय आपके संसाधन नहीं थे, बाद में आपने लगाये, आपने चिकित्साकर्मी लगाये पर कब लगाये, जब यह वायरस प्रदेश से चला गया, उसके बाद में आपने पोस्टिंग दी।

माननीय मंत्री महोदय, यदि आपके पास इतने संसाधन नहीं थे तो गाय के प्रति सबके मन में इतनी आस्था, श्रद्धा है। अगर आप गोशालाओं वालों से अपील करते तो वे शायद दवाइयों के अम्बार लगा देते और आपको यह भी पता है कि दवा की भी कहीं कमी नहीं थी, दवा भी मार्केट में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। जितनी दवा चाहो, उतनी आसानी से बाजार में मिल रही थी। आप जो गोसेवक हैं, उनकी मीटिंग्स बुलवा देते और उनके माध्यम से कहते कि गांव-गांव में यह बीमारी फैल रही है, प्रत्येक चिकित्साकर्मी का गांव-गांव में हर पशु के पास पहुंचना, इतनी गम्भीर बीमारी के दौरान सम्भव नहीं है, आप भी मदद करें। वे गोसेवक और गोशाला वाले आपके साथ मिल जाते न, तो शायद ये लाखों गायें, जो मौत के मुंह में चली गयी हैं, माननीय मंत्री महोदय वे बच जातीं। माननीय मंत्री महोदय, हालात क्या हैं? जहां जाओ वहां पर लम्पी को लेकर गांव वाले चिन्तित हैं। वे कुछ करना भी चाहते हैं। अपनी ओर से राशि का कुछ योगदान है, तो वह भी देने को तैयार हैं। गायों के लिए दिन-रात सेवा करनी है तो उसके लिए भी वे तैयार हैं, परन्तु उनको पता नहीं है कि उसका इलाज क्या है, उसको दवा क्या देनी है, किस समय क्या प्रिकोशन रखना है, यह उनको पता नहीं है। यह आप आसानी से, जिस प्रकार से कोरोना के दौरान माननीय यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने देश की जनता के सामने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार अलग-अलग गाइडलाइन जारी की। वैसी ही गाइडलाइन अगर आपका विभाग जारी कर देता न तो शायद वे जो गोसेवक हैं

(श्री ज्ञानचंद पारख)

और जो गोशालाएं चलाते हैं, उनके संचालक हैं, वे अपनी ओर से इसमें योगदान देकर आपके इस काम को बहुत आसान कर देते।

माननीय मंत्री महोदय, मैं यह बात जिम्मेदारी से इसलिये कह रहा हूं कि माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में भी यह बीमारी फैली। मैंने अपनी ओर से जिला कलेक्टर को टीके लगाने के लिये अनुशंसा भी दे दी दस लाख की, फिर बाद में पता लगा कि टीका लगाना अभी सम्भव नहीं है तो फिर दवा की बात आयी। यह लग गया कि सरकार के पास इतने संसाधन नहीं हैं, आपके पास इतने चिकित्साकर्मी नहीं थे। हम भी मानते हैं कि कम समय में इतना बड़ा जो यह काम आया है आपके चिकित्साकर्मी उसके लिये अपर्याप्त हैं तो चिकित्साधिकारियों को बुलाकर उनसे बात की कि गायों के लिये क्या किया जा सकता है और उनकी जो सुझायी हुई दवाइयां थीं वो हमने नोट कर ली और गांव-गांव में जो गोसेवक हैं या जो गोशाला चलाते हैं, उनके माध्यम से बीमार पशु तक उस दवा को हमने पहुंचा दिया और माननीय मंत्री महोदय आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप पता लगा लेना अपने स्तर पर अपने अधिकारियों से कि पाली विधान सभा क्षेत्र या उसके आस-पास के क्षेत्र में लम्पी बीमारी से ग्रस्त 95 प्रतिशत से भी ज्यादा गायों को हम बचाने में सफल रहे इस मामूली काम के जरिये। यह काम आप नहीं कर सकते थे?

माननीय मुख्य मंत्री जी ने वी.सी. ली और वी.सी. के माध्यम से उन्होंने अपील की। अगर वो हर विधायक को अपील कर देते कि अपने-अपने पशु चिकित्साधिकारियों से बात करके क्या दवाई दी जा सकती है जिससे ठीक हो सकता है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह जो राजस्थान बदनाम हुआ है न पूरे देश में, पूरे देश में जो राजस्थान के ऊपर कलंक लगा है गायों की हत्या का, उस कलंक को धोना अब बहुत मुश्किल हो गया और माननीय सभापति महोदय, मैं भी एक गोशाला से जुड़ा हूं। 1600 से ज्यादा गोवंश उसमें हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान की पहली गोशाला होगी, आप सरकार के स्तर पर उसका आकलन करवा लेना, उसकी सत्यता पता लगा लेना कि एक भी गोवंश वहां इस लम्पी बीमारी के कारण नहीं मरा है, इसका मतलब इस बीमारी का इलाज था और आसान इलाज था। कोई बहुत बड़ा, काम नहीं, पर हम आसान काम को भी कर नहीं सके और हमारी नाकामी को हम यह सदन में कहते हैं कि हमने यह किया वह किया।

माननीय मंत्री महोदय, यह गायों का जो पाप है न, इस पाप के लिये

(श्री ज्ञानचंद पारख)

आपको कहीं न कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा पाप इस सरकार की लापरवाही से इस प्रदेश की गायों के प्रति हुआ है जो हमारी आस्था और श्रद्धा का केन्द्र है और यह लम्पी तो गयी, अब इसका वायरस तो गया। नाममात्र का कुछ इलाकों में यह वायरस बचा होगा अब वरना लम्पी अब गया यह आपको भी पता है। अब पोस्ट लम्पी है। लम्पी से ग्रस्त गायें जिनके गांठें हो गयी थीं, सौ में से अस्सी प्रतिशत गायों की दवाई के कारण गांठें गल गईं और वो गायें ठीक हो गईं पर जो बीस प्रतिशत गायें बची हैं जिनकी गांठें बड़ी थीं या गम्भीर थीं और वो गली नहीं, उन गांठों ने अब घाव का रूप ले लिया और उस घाव का सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो उस घाव के अन्दर कीड़े पड़ने के कारण जो गायों की दुर्दशा हो रही है, उससे आप कैसे उस गाय को बचा सकते हो, उसकी थोड़ी चिंता करो आप। एक क्षेत्र में आपको ऐसी कई गायें मिल जायेंगी जिनके घाव या घाव के बाद में कीड़े हैं।

माननीय मंत्री महोदय, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है यह भी इसका भी आसान इलाज है, कोई बहुत बड़ा इलाज नहीं है पर करने की इच्छा होनी चाहिये, करने का मन होना चाहिये। अब गाय के प्रति यदि आपके मन में कुछ है ही नहीं और गाय को मात्र आप एक पशु मान लोगे न तो क्या हो गया, कुछ पशु मर गये क्या फर्क पड़ जायेगा सरकार को। गाय हमारी आस्था और श्रद्धा का बहुत बड़ा प्रतीक है और उस नाते मेरा आपसे आग्रह रहेगा, आप जिम्मेदार भी हो कि हम अब जो पोस्ट लम्पी की गायें हैं जिनके घाव या घाव में कीड़े पड़ गये जो कमी आपने पहले रख दी, मेहरबानी करके अब कमी मत रखना और इन पोस्ट लम्पी की गायों से यदि आपके पास हो सकता है इतने संसाधन नहीं हों तो आप गोशालाओं वालों से सहयोग ले सकते हैं और आज के समय में आपको जिले के ही नहीं, प्रदेश के हर गांव में कोई न कोई गोसेवक की टीम आपको तैयार मिलेगी जो आपके इस काम में आपके जो अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं...

श्री सभापति: कृपया एक मिनट में समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): ...उससे ज्यादा काम करके आपके काम में सहयोग देने को तैयार हैं और वहां यदि आपको कहीं लगता हो कि धन की आवश्यकता है तो लगभग आपने अभी खुद ने कहा है कि सारे एमपीज ने और सारे एमएलएज ने आपको अनुशंसा कर दी है और आश्चर्य की बात है कि अनुशंसा करने के बाद में एक-एक महीना बीत गया और आपका पैसा

(श्री ज्ञानचंद पारख)

अभी दवाइयों के काम नहीं आ रहा है उससे ज्यादा नाकामी सरकार की क्या हो सकती है?

माननीय सभापति महोदय, एक महीना बीत गया, अब आप किसका इंतजार कर रहे हो कि जो कीड़ाग्रस्त गाय है, वो भी मौत के मुंह में समा जाये। अब भी आप जिला कलेक्टर महोदय को निर्देश दो कि जिन-जिन की अनुशंसा आयी है और जिन दवाइयों की आवश्यकता है, तत्काल दवाइयां लेकर आपके चिकित्साकर्मी, गोसेवक और गोशाला वाले तीनों मिलकर इस काम को यदि करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार हमने हमारी गोशाला में से एक भी गाय को नहीं मरने दिया, प्रदेश में एक भी गाय नहीं मर सकती बशर्ते आपकी काम करने की नीयत होनी चाहिये।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): यदि आपकी नीयत नहीं होगी तो भले ही आप सदन में कितनी ही चर्चा कर लो, कितनी ही बात कर लो इस गोवंश को बचाना मुश्किल होगा। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान के गोवंश का जो दर्दनाक मंजर रखा, उससे हम सब लोग बहुत ही सहनशीलता से दुखी हो रहे हैं। सभापति महोदय, जुलाई का तीसरा सप्ताह, मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि मार्च में इस लम्पी वायरस ने राजस्थान में दस्तक दी और जुलाई के तीसरे सप्ताह में राजस्थान के गोवंश पर कहर टूट पड़ा और कोई जिला ऐसा नहीं बचा जिस जिले में गोवंश काल कवलित होना प्रारम्भ नहीं हुआ।

सभापति महोदय, मैं उस राजस्थान में खड़ा हूं जिस राजस्थान में लोक देवता उनको माना गया जिन्होंने गाय को बचाने के लिये अपनी जान दी, अपने जीवन को उत्सर्ग किया। पाबूजी हो, चाहे तेजाजी हो, चाहे रामदेवजी हो, उस राजस्थान में जब चर्चा चलती है राजस्थान में लम्पी वायरस के कहर से राजस्थान का गोवंश कराह रहा है, सरकार बेपरवाह तो तकलीफ होती है। मैं बड़े मन से कहता हूं कि मंत्री जी कोई राजनीति करने की इच्छा नहीं है। आपने खुद ने कहा कि राजस्थान का गोवंश जिस देश में दूसरे नम्बर पर है, आज मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि आपने जो बात कही सही कही। 33 जिलों में से 32 जिलों में लम्पी का कहर टूट रहा है और मैं जिम्मेदारी से कह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रहा हूं सभापति महोदय, 30 से 35 प्रतिशत राजस्थान का गोवंश इस वायरस से ग्रसित हो गया है। आपने खुद ने देखा होगा कि किस रफ्तार से बढ़ा है, यह 2 अगस्त 1 लाख 20 हजार 782 आपका आंकड़ा था इतनी गायें संक्रमित हुई और यह आंकड़ा 8 गुनी रफ्तार से बढ़ा। 20 सितम्बर को आज जब मैं बात कर रहा हूं तो 17 लाख से ज्यादा संक्रमित हो गयीं और आपका आंकड़ा कह रहा है कि 50-55 हजार गायें काल कवलित हुई।

सभापति जी, अभी सरपंच संघ के प्रदेशाध्यक्ष ने एक ज्ञापन दिया। उन्होंने मांग की कि राजस्थान के सरपंच को आप गायों के शव के वैज्ञानिक निस्तारण के लिये अलग से धन दो। उन्होंने एक सूची जारी की, मैं सूची लेकर आया हूं। उस सूची में मैं गिन रहा था, उनके अनुसार 52 लाख से ज्यादा गायें आज संक्रमित हैं और 5 लाख 13 हजार 202 गायों की मृत्यु हो गयी। यह आंकड़ा असत्य हो, मैं भी यह चाहता हूं। मेरे खुद के जिले में 20,318 गायों की मृत्यु हुई है। मैंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के आंकड़े को जब देखा तो मंत्री जी, आपके सरकारी आंकड़े से साढ़े नौ गुना ज्यादा गायें काल कवलित मेरे विधान सभा क्षेत्र में हो गयीं। छुपाने की क्या बात है। यह वायरस है। मैं समझता हूं कि सत्यता के साथ हमें कहना चाहिये।

सभापति महोदय, 12 लाख करोड़ की जी.डी.पी. में राजस्थान के अन्दर दस प्रतिशत जी.डी.पी. इस पशुपालन की है और मैं दावे के साथ कहता हूं 6 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान राजस्थान के गोपालकों को हो चुका है। दुग्ध उत्पादन में भी हम सैकंड हैं और सभापति महोदय, अभी मैंने समाचारपत्र में पढ़ा, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, अजमेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर और सीकर आरसीडीएफ का आंकड़ा है, उन्होंने कहा कि 6 लाख 61 हजार दूध प्रतिदिन हमारे पास आया करता था, वह 4 लाख से नीचे गिर गया और आज हालत क्या बिगड़ गयी, गाय की चिन्ता नहीं अब भैंसों में चला गया। औसियां के अन्दर हिरण के अन्दर चला गया और तकलीफ इस बात की है कि जिस गाइडलाइन की चर्चा मंत्री जी आप कर रहे हो, आपको मालूम है कि कार्यवाहक न्यायाधीश श्रीवास्तव जी, उच्च न्यायालय ने सुओमोटो कोग्निजेंस लेकर आपको कहा कि गाइडलाइन जारी करो। यह तब कहा जब प्रमुख समाचार पत्र भास्कर ने नरकंकालों की फोटो छापी, आपने गाइडलाइन उसके बाद जारी की। 16 सितम्बर को राजस्थान पत्रिका ने छापी और पत्रिका ने जो फोटो छापी, उसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने फिर आपको कहा कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कम से कम कार्ययोजना तो बना दो। आप गौ-पालक हो, मैं आपको बहुत वर्षों से जानता हूं। सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा सीकर बंद हो गया, सोशल मीडिया पर 15 सितम्बर को किसी ने आह्‍वान कर दिया, संगठन का नाम हमें मालूम नहीं, उस पर आधे से ज्यादा राजस्थान बन्द हो गया। आज आपने कोई क्रेश प्रोग्राम जारी नहीं किया। वैक्सीन आपने खरीदी नहीं, आपकी मोबाइल टीम आधी अधूरी, आपने वेटेरिनरी कालेज के बच्चों को लगा दिया जिनको पता ही नहीं। आज आपके यहां कंटेनमेंट जोन नहीं। जिलों में कंटेनमेंट जोन के लिये कलेक्टर को नोटिफाई नहीं किया। आइसोलेशन वार्ड नहीं, आपने सर्वे नहीं करवाया, आपने मुआवजे का प्रबन्ध नहीं किया और आज 40 परसेंट से ज्यादा आपके यहां डाक्टरों और पशुधन सहायकों के पद रिक्त हैं।

आपने सही कहा, 6 अगस्त को रूपाला जी ने बैठक ली। आपने उनसे मांग की कि हमें 5 करोड़ रुपये की वैक्सीन दो, आपको 8 करोड़ की वैक्सीन दी है। Assistance to States for Control of Animal Disease (ASCAD) योजना में 60 लाख वैक्सीन आपको उपलब्ध कराई। मंत्री महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है, यही वैक्सीन उत्तर प्रदेश को कराई, उत्तर प्रदेश आज प्रतिदिन 1 लाख 90 हजार पशुओं को वैक्सीनेट कर रहा है। उनके यहां सिर्फ 26024 मृत्यु है। 24,26,500 पशुओं का टीकाकरण यूपी कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? उनके पास 82 लाख डोज उपलब्ध हैं। आपका खुद का आंकड़ा कह रहा है 11,34,709 संक्रमित हुए 11,37,079 को आपने टीकाकरण किया है। संक्रमित होने का आपका कुल 40 हजार प्रतिदिन का भी औसत नहीं आता। भगवान के लिये इस बात को जरा गंभीरता से देखो।

मंत्री महोदय, मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि आपने पशुओं की मुफ्त दवाई योजना चालू कर रखी है। लम्पी की 72 दवाइयां हैं, सभापति महोदय, 72 दवाइयां वह हैं जो पोस्ट संक्रमित लम्पी के लिये जरूरी हैं। आपके पास दवाइयां नहीं। जुलाई, 2021 के बाद आपका टेंडर समाप्त हो गया। आपने दवाइयां नहीं खरीदीं। 14 महीने से इनके पास दवाइयां नहीं हैं। उसके बाद जो मानवों की दवाइयां खरीदती है आरएमसीएल, इसको आदेश दिया। आरएमसीएल ने 11 नवम्बर को मना किया कि हम तो मानवों की दवाई खरीदते हैं। अगस्त, 2022 को आपने कॉनफैड के माध्यम से, यह कॉनफेड कौन है? यह कॉनफैड का मिड-डे मील से क्या संबंध है? मैं चर्चा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करके सनसनी फैलाना नहीं चाहता लेकिन 51 रुपये की एग्जीबिशन रेट की 121 रुपये में खरीद रहे हो। कम से कम ऐसी आपदा में तो देखो। आपने क्या टेलर मेड टेंडर इसका बनाया। आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता, प्रदेश के बाहर की कम्पनी का तीन वर्ष में 1500 करोड़ का टर्नओवर हो, प्रदेश की दवा कम्पनी का दो वर्ष में 200 का हो। इसको 25 करोड़ की दवाई खरीदनी थी, 250 करोड़ का टेंडर इसलिए फ्लोट कर दिया कि धरोहर राशि होगी नहीं।

आपने एक राष्ट्रीय आपदा की बात कही। मुख्य मंत्री जी से एक बार नहीं, दो बार आपने पत्र लिखवाया। 28 अगस्त और 14 सितम्बर को आप गये पत्र लिखवाने के लिये। आपने संविधान पढ़ा होगा, आर्टिकल 246 के शिड्यूल 7 की एंट्री 15 में, पशुधन का परीक्षण, सुरक्षा, रोग निवारण, सारी कार्यवाही की जिम्मेदारी हमारी है। आप directive principles आर्टिकल 46 देख लो, उसमें फिर कहा है इन पशुओं के मरने, मारने से रोकने के लिये स्टेट कदम उठायेगा। मैं समझता हूं कि आज राजस्थान में आप राष्ट्रीय आपदा की बात कर रहे हैं। इसी सदन में हमने राजस्थान Epidemic Disease Act, 1957 को रिपील करके राजस्थान Epidemic Disease Act, 2020 लेकर आये। मुख्य मंत्री जी ने कहा, कोरोना में मैं सबसे पहले Epidemic Act लेकर आया हूं। आज गाय कालकवलित हो रही हैं। किसने मना किया है, आज आप Rajasthan Animal Epidemic Act, 2022 लेकर आओ। आप इसको महामारी राज्य आपदा घोषित करो, सर्वे कराओ ताकि आपको इनको मुआवजा देना पड़े। इस पर कम से कम आपको बात करनी चाहिये।

मैं लम्बी बात नहीं कहूंगा, आपको मालूम होगा, एनीमल डिजीज एक्ट, 1959 आज अपने यहां काम कर रहा है। उसके रूल 1960 बने हुए हैं। उस पशु अधिनियम 1959 की धारा 8 यह कहती है कि पशुओं में अगर रोग फैला तो टीकाकरण की जिम्मेदारी राज्य की है। सैक्शन 9 यह कहता है कि कंटेनमेंट जोन और आइसोलेशन वार्ड बनाने की जिम्मेदारी राज्य की है। इसी राजस्थान एनीमल डिनीज एक्ट 1959 में एक अधिसूचना जारी हुई थी, 60 के दशक में जब एक अफ्रिकन होर्स सिकनेस फैली थी, उस समय सरकार ने यह तय किया था कि भविष्य में किसी भी संक्रमण से अगर पशु काल कवलित होंगे तो उनके कुल मूल्य का पांचवां हिस्सा मुआवजे के रूप में दे सकते हैं। बिहार ने हर दुधारू पशु की मौत पर 30 हजार रुपये देना प्रारम्भ कर दिया। आन्ध्र ने 50 हजार रुपये तीन पशुओं को डेढ़ लाख तक देना प्रारम्भ कर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दिया। गुजरात में यह बीमारी फैली भी कम फिर भी पैसा देना प्रारम्भ कर दिया। आप यह क्यों नहीं करते? अगर आज पशुओं का बीमा होता तो शायद हम बच जाते। 01 अक्टूबर, 2018 से पशुओं का बीमा आपने बन्द कर रखा है।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं कर रहा हूं। आपने बजट में कहलवा दिया कि 6 लाख पशुओं के बीमा के लिये 150 करोड़ का प्रावधान। मैं कहता हूं राष्ट्रीय पशुधन मिशन में अगर इस योजना को राजस्थान में लागू कर देते, 40 परसेंट प्रीमियम केन्द्र सरकार का, 30 परसेंट प्रीमियम राज्य सरकार का और 30 परसेंट पशुओं का, तो आज यह हालत नहीं होती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितने गोवंश की मृत्यु हो गई, आप ग्राम पंचायतों को, स्थानीय निकायों को विशेष अनुदान दो। सभापति महोदय, आप सीकर से पधारते हैं, आज किसी भी ग्राम पंचायत में वैज्ञानिक ढंग से इनका निस्तारण नहीं हो रहा है इसके कारण से यह रोग फैल रहा है। मेरी मांग है, मेरा निवेदन है कि आप वास्तविक आंकड़े जारी करो। राज्य आपदा घोषित करो, आइसोलेशन वार्ड बनाओ और गौ संरक्षण निधि में, अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य के सवाल में भी आपने कहा था कि मार्च में 2538 रुपये हैं, एसडीआरएफ में क्यों नहीं सहायता देते? 13 हजार करोड़ रुपये राज्य सरकार के पास है। पशुधन काल कवलित हो गया, 60 परसेंट पैसा केन्द्र का, आप इसमें सहायता क्यों नहीं देते?

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री संयम लोढ़ा। समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अन्त में मैं यह कहूंगा कि ...(व्यवधान) 31 तारीख को किसी ने मेथिलीन ब्लू दवाई के लिये कहा कि यह बड़ी कारगर है। अपने जालौर में भी इस पर एक्सपेरीमेंट हुआ है। भगवान के लिये इस दवाई को क्रय करें और केन्द्रीय अनुसंधान, हिसार में जो वैक्सीन तैयार हुई है आपने बयान दे दिया 20 लाख मंगायेंगे, उसको मंगायें।

सभापति महोदय, अन्त में मैं यह कहूंगा इस पूरे मामले में राजस्थान में गोवंश को बचाने के लिये हमने आपकी आंखें खोलने के लिये यह बातें कही हैं, लेकिन हम आपके साथ हैं, आत्मा से साथ हैं। मैं तो खुद गायें रखता हूं। गोवंश को बचाने के लिये पूरे विधायक दल को जिस तरह काम में लेना चाहोगे, उस तरह काम करेंगे, लेकिन वास्तविक आंकड़े बताओ, सर्वे कराओ और मुआवजा दो। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के उन सब गोसेवकों, सामाजिक संस्थाओं, गौ संरक्षण से जुड़ी हुई संस्थाओं और सबसे खास तौर पर हमारे गोसेवा से जुड़े हुए उन नौजवान कार्यकर्ताओं का बहुत-बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से ज्ञापित करना चाहता हूं। इस कठिन समय में वह गौ माता की सेवा से जुड़े हुए रहे। माननीय सभापति महोदय, गौ माता को लम्पी डिजीज हुई, उसके शरीर से रक्त बहने लग गया, उन युवा गोसेवकों ने इस बात का भी इंतजार नहीं किया कि कोई सरकारी गाड़ी उस गाय को लेने के लिये आये। स्कूटर मिला तो स्कूटर पर उस गाय के बच्चे को ले जाकर आगे इलाज के लिये पहुंचाया। अगर बड़ा गोवंश हुआ तो सरकारी साधन का इंतजार नहीं किया, खुद साधन करके उसको आश्रय स्थल पर पहुंचाने का काम किया, गोशाला में पहुंचाने का काम किया। उन गोसेवकों के माध्यम से मैं यह समझता हूं कि बहुत बड़ी सेवा हुई। मैं उन बहनों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो गायों की इस पीड़ा से जुड़ीं। जो आश्रय स्थल खोले गये, माननीय सभापति महोदय, सुबह जाकर उस आश्रय स्थल पर बैठती थीं और शाम तक कैसे गायों की सेवा हो, इस बात को वह बहनें खुद देखती थीं और जब उनसे मैं आश्रय स्थल पर खुद मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि अपनी गोशाला तो चलती है, लेकिन जो निराश्रित गोवंश हैं, इनको रखने की कोई और जगह आप हमें उपलब्ध कराओ। सब खर्चा मैं उठाऊंगी और मेरा परिवार उठायेगा। मैं आपके माध्यम से उन सारे कर्मवीरों का हृदय के अंतर तल से बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं अभी हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का वक्तव्य सुन रहा था। राजस्थान की सरकार के माथे पर कलंक लग गया और यह कभी धुलने वाला नहीं है। आपने यह इतना बड़ा पाप कर दिया। कम से कम यह बोलने से पहले तो सोचते कि किस सरकार के बारे में यह वक्तव्य दे रहे हैं? वह सरकार जिसने आते ही गौ-वंश को अनुदान बढ़ाया, 32 रुपये था, उसको बढ़ाकर 40 रुपये किया। 16 रुपये था, उसको बढ़ाकर 20 रुपये किया। माननीय सभापति महोदय, आंकड़े सामने हैं। पांच साल आपकी भी सरकार थी। आपने मात्र 492 करोड़ रुपये गायों की सेवा में और गायों के अनुदान में खर्च किये थे। यह श्री अशोक गहलोत की सरकार है, जिसने चार साल में 1 हजार 992 करोड़ रुपये गायों की सेवा में खर्च किये। (व्यवधान)

श्री सभापति: बीच में नहीं, प्लीज सहयोग करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, सरकार पर कलंक। कलंक तो जिस सरकार पर है, उसको जाकर कहने की कभी हिम्मत जुटाओ। 2012-13 में 1076 मीट्रिक टन गायों का मांस भारत निर्यात करता था। सरकार बनते ही 2014-15 में इसे 1475 मीट्रिक टन तक पहुंचाने का काम किसने किया है?

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी गायों के प्रति समाज की संवेदना कमजोर हो रही है। हम गायों से कट रहे हैं। हम गायों के प्रेम से दूर जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? डॉलर कमाने के लिए गायों का वध कर रहे हैं। उनके कत्लखानों को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके कत्ल में काम आने वाली मशीनों को रियायतें दे रहे हैं। इंजेक्शन लगाकर गायों से ज्यादा से ज्यादा दूध प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमारी प्रतिबद्धता है? यह हमारी भारतीय संस्कृति है? माननीय सभापति महोदय, जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग भारतीय संस्कृति की मूल अवधारणा से दूर हो जाते हैं, जब अनदेखी कर देते हैं। क्या राजस्थान के अंदर ही लम्पी आया है? देश के अंदर तीन साल से लम्पी का असर है। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान में गुजरात की सीमा से आता हूं। कौन नहीं जानता कि हजारों की तादाद में गौ-वंश के ढेर गुजरात में लगे हुए थे? कौन नहीं जानता? क्या सारे अखबारों के अन्दर हमने नहीं देखा? क्या देश के प्रधान मंत्री इस बात से अवगत नहीं थे कि गाय को किस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं और प्रतिपक्ष के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि जब आगे बोलें तो आप बताना कि देश के प्रधान मंत्री और देश की सरकार ने लम्पी के मुकाबले के लिए अलग-अलग राज्यों की सरकारों की क्या मदद की है?

मैं माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुख्य मंत्री कोष में लम्पी के अलग से खाता खोला। माननीय सभापति महोदय, हम जो माननीय सदस्य हैं। मेरे पास यह सूची है कि किस-किस सदस्य ने कितने पैसे दिये हैं। अगर अशोक गहलोत एमएलए लैड में रिलेक्स नहीं करते तो क्या हम पशुओं की दवाई के लिए या इंजेक्शन के लिए पैसे दे पाते? मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एम.एल.ए. लैड में हमको अलाउ किया और हम सारे विधायक, सारे नहीं कुछ विधायक इस तकलीफ में गौ-माता के साथ में खड़े रहे। माननीय सभापति महोदय,

(श्री संयम लोढा)

एम.एल.ए. लैड में तो गहलोत साहब ने कर दिया। एमपी लैड में क्या हुआ? राजस्थान की जनता ने 25 सांसद जीताकर भेजे थे। क्या किसी भी सांसद ने एक फूटी कौड़ी इस लम्पी से मुकाबले के लिए एमपी कोटे से स्वीकृत की है? माननीय सभापति महोदय, ..(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। विराजिये। अंकित नहीं होगा। विराजिये। माननीय संयम लोढ़ा जी। विराजिये। माननीय सदस्य विराजिये। (व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज विराजिये, सहयोग करें। किसी का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री जगसी राम (रेवदर): 000

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिये, प्लीज सहयोग करें। विराजिये। प्लीज बैठिये, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। विराजिये, प्लीज सहयोग करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन आपसे अपेक्षा करता है कि आप विराजेंगे। प्लीज सहयोग करें। विराजिये। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): 000

श्री सभापति: विराजिये। प्लीज सहयोग करें। माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। आप सनसनी पैदा मत करिये। माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। विराजिये। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आप अपनी वरिष्ठता का तो ध्यान रखें। विराजिये। सुन लिया। मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। प्लीज विराजिये।

कल पूरा सदन इस बात के लिए चिन्तित ही नहीं, उद्वेलित था कि हम लम्पी जैसी महामारी पर अपनी बात रखें ताकि जो गौ-वंश पीड़ित हैं,

(श्री सभापति)

उसकी कुछ मदद कर सकें। लेकिन आप लोगों का जो रवैया है ... (व्यवधान) प्लीज, माननीय सदस्य। मैं मंत्री जी को रिप्लाई के लिए बुला लूंगा और चर्चा यहीं पर समाप्त कर दूंगा। मैं बहुत सख्ती से यह कह रहा हूं कि यदि आपका यही रवैया रहा तो पूरे प्रदेश में यह मैसेज जा रहा है और यू-ट्यूब पर सब लोग आपको देख रहे हैं कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और गौ-माता के प्रति आपकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। प्लीज सहयोग करेंगे और अपनी बात रखेंगे। जो कोई भी सदस्य अपनी बात रख रहा है, उसके बीच में आप इंटरविन नहीं करेंगे। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि गम्भीर मसला है। पूरा प्रदेश आपसे यह अपेक्षा करता है कि गौ-वंश को बचाने के लिए आप पक्ष और प्रतिपक्ष मत करिये। आप इंसान हैं। हम कुछ नहीं तो इंसान तो हैं। क्या इंसान के होते हुए हमारी सारी संवेदनाएं मर गयी हैं? क्या केवल हम अपना वक्तव्य देकर अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं। मैं आप सबसे अपेक्षा कर रहा था और सरकार से आप क्या अपेक्षाएं करते हैं कि गौ-वंश की किस तरह से मदद हो सके? सरकार ऐसी क्या कार्यवाही करे, जिससे कि गौ-वंश संरक्षित हो सके और गौ-वंश की कुछ मदद हो सके, लेकिन आप लोगों का यह रवैया रहा। मुझे इस बात का खेद है।

मैं पुन: आपसे अपील करता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपनी बात रखेंगे। माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ हैं। आसन आपसे यह अपेक्षा करता है कि कृपया आप अपनी वरिष्ठता का तो ध्यान रखें। सदन ही नहीं, पूरा राजस्थान आपको देख रहा है। राजस्थान में आप 200 लोग ऐसे हैं, जिनसे पूरा राजस्थान अपेक्षा करता है। सायंकाल में जब सदन का कार्य पूर्ण हो, तब पूरे राजस्थान के समस्त प्रदेशवासी इस बात का एक मैसेज लें कि सदन में जो सार्थक चर्चा हुई, उससे कल से गौ-वंश की मदद निश्चित रूप से होगी, लेकिन आप लोगों का जो रवैया है, इस बात के लिए मैं बहुत खेद प्रकट करता हूं कि गौवंश की कोई मदद नहीं होगी। आप बार-बार इंटरवीन नहीं करेंगे। मैं फिर आपसे विनम्र अपील करता हूं कि अपनी बात रखें और कोशिश करके कुछ सुझाव दें, जिससे गौ-वंश की कुछ सहायता हो सके।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): 000

श्री सभापति: प्लीज विराजिये। सदन के अन्दर सनसनी पैदा मत करें। मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): 000

श्री सभापति: विराजिये। उन्होंने ऐसी कोई असंसदीय बात नहीं कही है। बात रखने का अधिकार आप सबको है। आप लोगों का जितना समय तय है। बेवजह आप समय जाया मत करें। मुझे मजबूरन चर्चा समाप्त करके माननीय मंत्री महोदय का रिप्लाई कराना पड़ेगा। मैं इस तरह से अलाउ नहीं करूंगा। मुझे इस बात का खेद है कि इतने गंभीर विषय पर भी आप गंभीरता बरतने की बजाय आप असंवेदनशील हो रहे हैं। गाय के प्रति आपकी कोई संवेदनाएं नहीं हैं। आप सिर्फ यू-ट्यूब पर दिखाना चाह रहे हैं कि आप कितने संवेदनशील हैं। पूरा राजस्थान देखता है और वह आपकी कार्यवाही को देख रहा है।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): 000

श्री सभापति: प्लीज आप सहयोग करेंगे। विराजिये। अंकित नहीं हो रहा है। आप विराजिये। क्या आप राजस्थान को यह संदेश देंगे? माननीय संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से विनती करना चाहता हूं कि जैसे अशोक गहलोत साहब ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में इस लम्पी से पीड़ित गौ-माता की सेवा के लिए दवाई इंजेक्शन खरीदना अनुमत किया है। भारत सरकार भी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में इन दवाइयों और इंजेक्शन को खरीदना या इनकी स्वीकृति करना अनुमत करे। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति: बैठिए प्लीज। आप लोग बैठिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग, सचेतक महोदय, मुझे मजबूरन चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी और मंत्री जी का रिप्लाई कराना पड़ेगा। प्लीज आप सहयोग कीजिए। हर विधायक को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने कोई असंसदीय बात नहीं बोली है। उन्होंने ये मांग की है कि माननीय प्रधान मंत्री महोदय भी एमपी लैड के पैसे दें। (व्यवधान) इसमें क्या दिक्कत है? मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं। प्लीज सहयोग कीजिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। माननीय सचेतक महोदय, प्लीज सहयोग कीजिए। उत्तेजना पैदा मत कीजिए, गंभीरता बरतिए, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, यह अनुमति नहीं होने के कारण जालौर के सांसद ने जो 25 लाख रुपये की अनुशंसा की, भीलवाड़ा के सांसद ने 10 लाख रुपये की अनुशंसा की, अलवर के सांसद ने 15 लाख की अनुशंसा की, राजसमन्द के सांसद ने 16 लाख की अनुशंसा की, अजमेर के सांसद ने 14 लाख की अनुशंसा की, ये 80 लाख रुपये में से एक रुपया राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग को प्राप्त नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, चार दिन पहले मैंने स्वयं ने ...(व्यवधान) उस विवरणिका सांसद स्थानीय क्षेत्र का हवाला देते हुए, उसकी कॉपी लगाते हुए राजस्थान सरकार के सैक्रेटरी द्वारा भेजी हुई चिट्ठी लगाते हुए प्रधान मंत्री को टैग करके मैंने ट्वीट किया कि प्रधान मंत्री जी, कृपा करिये राजस्थान के गौ-वंश पर और ये सांसद 25 हमने आपको जिताकर दिये हैं गौ-माता की सेवा के लिये हमें ...(व्यवधान) हमें भी दीजिए। डूब मरो, डूब मरो, 25 सांसद जिताने के बाद भी गौ-माता के लिये फूटी कौड़ी तुम लोग नहीं ला सके, शर्म का विषय ये है, ...(व्यवधान) कलंक का विषय ये है और ये कालिख जो तुम्हारे माथे पर लगी है, ये कालिख कभी मिटने वाली नहीं है।

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। प्लीज सहयोग कीजिए। बैठिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, 25 सांसदों को लेकर दिल्ली जाइए और प्रधान मंत्री जी से फरियाद कीजिए कि एक संशोधन कर दीजिए कि हम पशुओं के इलाज के लिये सांसद कोटे से पैसा देना अनुमत

(श्री संयम लोढ़ा)

करते हैं। हम धन्यवाद देंगे आपको। ये सदन धन्यवाद देगा आपको। राजस्थान की जनता धन्यवाद देगी और पूरे राजस्थान की गौ-माता आपको धन्यवाद देगी।

माननीय सभापति महोदय, ये जो लम्पी स्किन डिजीज के आउटब्रेक्स हैं, वे पिछले तीन साल से 2019-20, 2020-21, 2021-22 से लगातार हैं, लेकिन पहले मृत्युदर बहुत कम थी, नहीं के बराबर थी। अगस्त, 2022 में राजस्थान के 29 जिलों से 125 से अधिक गांवों से 700 सैम्पल जांच के लिये राष्ट्रीय रेफरल लैब्स में भेजे गये। लम्पी स्किन एक डीएनए वायरसजनित रोग है और इसको कोपरिपोक्स वायरस फैमिली का सदस्य बताया गया है। अब ये जो सैम्पल सिक्वेंसिंग हुई, इस सिक्वेंसिंग से ये मालूम पड़ा है कि लम्पी स्किन का वेरियंट बदल गया है। जैसे कोरोना-2 में जिस घातक रूप से मानव जाति पर कोरोना ने भारत में प्रहार किया था, उसी तरीके से इस नये वेरियंट के कारण हमारी गौ-माता पर कहर टूटा है और इतनी बड़ी संख्या के अन्दर हमें गौ-माता को खोना पड़ा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिये। राजस्थान सरकार समझ रही है और भी निर्वाचित संस्थाओं को समझनी चाहिये। अब जरूरत इस बात की है कि पीसीआर टेस्ट की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे पूरे राजस्थान के अन्दर, पूरे भारत के अन्दर अगर इस तरीके की परिस्थिति और बढ़ती है, सामने आती है तो वहीं पर जांच की व्यवस्था हो और टीकाकरण को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा कि कोरोना हुआ, लॉकडाउन भी लगे। अभी एक कानून का जिक्र हमारे मित्र कर रहे थे लेकिन जो पी.सी.आई.सी.डी.ए. एक्ट है, ये प्रतिपक्ष के उपनेता जिस 1959 के कानून का जिक्र कर रहे थे, उसके बाद 2009 में आया हुआ है और इसमें कंट्रोल एरिया के बारे में किसी तरह की कोई अनुमति प्रदान नहीं की गयी है। गाय संक्रमित हो गयी। अब उस टेरेटरी से बाहर गाय नहीं निकले, वहीं पर रहे इस तरह का कंट्रोल करने का कोई कानून सम्मत प्रावधान नहीं है। जब पी.सी.आई.सी.डी.ए. एक्ट में, ये केन्द्र का कानून है, अगर केन्द्र सरकार इसमें प्रावधान करेगी तो नियंत्रण एरिया घोषित किया जा सकेगा और भविष्य में यदि ये चुनौती के रूप में सामने आया तो नियंत्रण एरिया घोषित करके उस पर काबू पाया जा सकेगा।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के उपनेता ने कहा 33 में से 32 जिलों में गौ-माता पर कहर है। ये राजस्थान के एमएलएज ने जो पैसे जारी किये उसकी सूची है। इसमें वसुन्धरा राजे, पूर्व मुख्य मंत्री के नाम के आगे जीरो रुपया लगा हुआ है। (व्यवधान) राजस्थान की दस साल मुख्य मंत्री रही हुई नेता, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और भविष्य का चेहरा बनने के लिये जूझ रही वसुन्धरा राजे ने एक रुपया भी विधायक कोष से नहीं दिया।

सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, अभी ..(व्यवधान) मुझसे पूर्व वक्ताओं ने पाली का जिक्र किया।

श्री सभापति: आप लोग बैठिए। माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गोऋषि दत्तशरणानंद जी महाराज, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के अन्दर गौ-संरक्षण का कार्य किया है। खाली यहां तक ही नहीं सिक्किम तक, बांग्लादेश की सीमा तक जो गौ-वंश जाता था, गौ-वंश को हमारी सुरक्षा सेनाएं बचोक लेती है, बचा लेती है तो उनका हमारी सेनाएं क्या करें? सीमा पर जाकर दत्तशरणानंद जी महाराज ने लोगों को प्रेरित किया और गौ-संरक्षण के लिये गोशालाओं की स्थापना की, वह पाली में बीच में रुके अहमदाबाद का चातुर्मास खतम करने के बाद। रघुनाथ सिंह जी राजपुरोहित, जो पथमेड़ा का काम देखते हैं, जब उन्होंने देखा कि पाली के स्टेडियम में गायों की ये स्थिति हो रही है, कुत्ते घुस रहे हैं, उन्होंनें जाकर के पाली के जिला कलेक्टर नमित मेहता से कहा, उन्होंने जाकर तारबंदी करवायी, लाइटें लगवायीं और गौ-संरक्षण का काम हुआ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, उन्होंने अभी-भी कई जिलों के अन्दर रथ भेजे हैं, चलित वाहन भेजे हैं, जिसके माध्यम से वह वाहन घूम कर गौ-संरक्षण का काम कर रहे हैं। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा। मैं इस मौके पर सरकार से कुछ विनती करना चाहता हूं।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, ये लोग गए हैं चीते देखने के लिये, कैमरा लगाकर, फोटो लगाकर चीते देखने गये हैं।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

(समय: 13.00 बजे)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इनके नेता चीता देखने में बिजी हैं तो इनका भी तो जाना जरूरी है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पशुपालन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिन गोशालाओं के अन्दर आइसोलेशन सेंटर चल रहा है वहां श्रमिकों की मजदूरी, दवाइयां, डाक्टर, कम्पाउण्डर की तत्काल प्रभाव से व्यवस्था करें। गोशाला में जहां आइसोलेशन सेंटर नहीं चल रहा है वहां पंचायत के माध्यम से आप आइसोलेशन सेंटर खोलें। राजस्थान सरकार के प्रमुख वित्त सचिव ने एस.एफ.सी. के अन्दर अनुमति प्रदान कर दी है। पंचायत एस.एफ.सी. में खर्चा कर सकती है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, एक चिकित्सालय मोबाइल यूनिट प्रत्येक तहसील स्तर पर आप चालू करें। कुछ समय की बात है, जिससे वह घूम-घूमकर इलाज कर सके। गौ-माता कमजोर पड़ गई लम्पी की बीमारी से तो उनका शरीर कैसे ठीक किया जाये, इसके लिये राजफैड निर्मित 50 परसेंट अनुदान के साथ आप पशु आहार राजस्थान की गोशालाओं को उपलब्ध करवाओ।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो मृत गोवंश है उसका सर्वे पटवारियों, गोवंश के माध्यम से करवायें ताकि गोवंश मृत्यु की वास्तविक संख्या सामने आ सके। गरीब आदमी जिसका जीवन ही गौ-माता पर निर्भर था, गाय के दूध पर, दही पर या घी पर निर्भर था, उसके यहां पर अगर गोवंश की मौत हो गई है तो मेहरबानी करके आप उसको मुआवजा दिलवाइये। मैं लास्ट में एक पाइंट और निवेदन करता हूं कि जिन गौ माताओं के कीड़े पड़ गये हैं उनकी और ज्यादा चिंता रखते हुए ज्यादा सक्रिय तरीके से काम करें।

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, मैं राजस्थान के पशुपालन मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जब कभी फोन किया, जब कभी व्हाट्सएप पर मैसेज किया तो उन्होंने हमेशा तत्परता से हमें सहयोग किया, हमारी मदद की। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, गौ-माता की गम्भीर बीमारी की चर्चा के लिये सरकार ने जो समय दिया, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं। सभी चिन्तित हैं, सभी ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्दी ही इस बीमारी का खात्मा हो, गौ-माता को आराम मिले। सभी चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यह बीमारी मूल जड़ से खतम हो। काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन चिन्ता सभी व्यक्त कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, जो निःस्वार्थ भाव से चाहे गोशालाओं में सेवा कर रहे हैं, चाहे सड़क पर कर रहे हैं, चाहे घरों में कर रहे हैं, वह गौ-सेवक जो दिन-रात एक करते हुए गौ-माता की सेवा कर रहे हैं, बीमारी में मदद कर रहे हैं, मैं उन सब गौ-भक्तों को, गौ-सेवकों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज बजट के बजाय कमी अगर है तो वह सेवा की है। बजट की माननीय मुख्य मंत्री जी ने, सभी विधायकों ने, अपने विधायक कोष से हो, चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे माननीय मंत्री जी हो, बजट के बजाय अगर जरूरत है तो सेवा की है। सेवा करने वाले लोग कम होते हैं। सामने से कई बातें कर रहे थे, जैसे गौ-भक्त विशेष है वह पूजा में विश्वास करते हैं, हम पूजा के साथ सेवा में विश्वास करते हैं। आज अगर जरूरत है तो सेवा की है।

माननीय सभापति महोदय, आज एक बात गहराई से मंथन करते हैं कि कोरोना से भयंकर यह बीमारी है। जगह-जगह गौ-माता को तकलीफ है। सरकार भी चिन्तित है, माननीय मुख्य मंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन अगर एक सर्वे करवाया जाये कि जो बातें कर रहे हैं, मोबाइल में फोटो अपलोड कर रहे हैं, कितने लाइक आते हैं, कितने गौ-माता के प्रति कमेंट आते हैं, उनकी बजाय सर्वे करवाया जाये। जो भाषण देने वाले हैं उनके घर में या घर के पास कोई गाय की सेवा कर रहा है, अगर घर में एक गाय भी नहीं है उनको गाय के प्रति बोलने का क्या अधिकार है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं जो साधारण मजदूर हैं, किसान हैं, आज भी वह गौ-माता की सेवा करते हैं, घरों में पालन करते हैं। जो भाषण देने वाले है वह सिर्फ भाषण ही देते हैं। कल पोल खुल गई कि जो गौ भक्त होता है, गौ सेवक होता है, गाय मालिक को देखती है और पहचान लेती है। बिना रस्सी अपने आप पास आ जाती है।

श्री सभापति: अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): जबरदस्ती लोग लेकर आये और वह भाग गयी। गौ-माता ने खुद पोल खोल दी कि यह मजदूरी से पकड़कर लायी गई है या घर से लायी गई है। अगर खुद की गाय होती तो यह स्थिति नहीं होती, यह नौबत नहीं आती। गौ-माता ने खुद ही पोल खोल दी। कई सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एम.एल.ए. कोटे में संशोधन किया है, क्या एम.पी. कोटे में नहीं हो सकता है। एक रुपया आप रिकमण्डेशन कर रहे हैं और वह रुपया अगर गौ-माता के लिये काम नहीं आ रहा है, इससे साफ जाहिर होता है आपके लिये गौ-माता वोट देती है, हमारे लिये गौ-माता दूध देती है। हम चिन्तित हैं। अगर आप वास्तव में चिन्तित हैं तो..

श्री सभापति: समाप्त करे। श्री बिहारीलाल विश्नोई।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): उत्तर प्रदेश और गुजरात में कत्ल खाने बंद हुए या नहीं हुए?

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): कौन इनका मालिक है, इसका खुलासा होना चाहिये, तभी मालूम चलेगा। यह दिखावा करते हैं।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापति: मैं सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा भी करता हूं और सूचना देना चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार चार-चार मिनट में आप सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात रखनी है। सिर्फ चार मिनट में। आप कृपया सहयोग करेंगे। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि चार मिनट बाद आप अपनी बात समाप्त करेंगे ताकि समय पर कार्यवाही पूरी हो सके। माननीय श्री बिहारीलाल विश्नोई।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, लम्पी जैसे गम्भीर विषय पर आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिये धन्यवाद। यह इतना गम्भीर विषय है, हमने धरातल पर इसको देखा है। माननीय मंत्री जी को भी समय-समय पर अवगत कराया है। एक माह पहले इसकी विभीषिका को देखकर मैंने सरकार से, माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया था कि इस पर विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिये। एक माह की देरी हुई और बहुत-सी गायों का नुकसान हुआ।

आदरणीय सभापति जी, एलएसडीवी वायरस 2019 में उड़ीसा के तट

(श्री बिहारीलाल)

पर डिटेक्ट हुआ। इस महीने जून में मेरे देसेसर गांव से, पांचू गांव से, बजरंग का फोन आया, रामसिंह का फोन आया, हरिकिशन जी का फोन आया कि ऐसी अजीब बीमारी है, गायों का नुकसान हो रहा है। वहां के एडिशनल डायरेक्टर से, जॉइंट डायरेक्टर से, डिप्टी डायरेक्टर से हमने बात की, टीम भेजी, सेम्पल लिये गये, उन सेम्पलों को भोपाल भेजा गया। जून लास्ट आते-आते यह बहुत से गांवों में फैल गई। जुलाई माह में आकर माननीय मंत्री जी को अवगत करवाया। चार अगस्त का वह दिन जब माननीय मंत्री जी ने मीटिंग बुलाई, मैं भी उसमें था। उसमें मैंने आग्रह किया कि हमें गोट पॉक्स के वेक्सीनेशन युद्ध स्तर पर राजस्थान में उपलब्ध करवाये जाने चाहिये। गोट पॉक्स, क्योंकि बकरी में यह बीमारी पहले आ चुकी है, उसका टीका बन चुका है, वह 60 प्रतिशत कारगर है। गाय बड़ी जानवर है, उसमें तीन एमएल लग सकता है, बकरी में एक एमएल लगता है, तो हमारे पास वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? विभाग ने पता किया तो हमारे पास गोट पॉक्स वैक्सीनेशन की बहुत कमी थी, पर्याप्त संख्या ही नहीं थी। माननीय मंत्री जी ने तुरंत भारत सरकार को पत्र लिखा। भारत सरकार की, केन्द्र के पशुपालन मंत्री जी की गम्भीरता देखिये कि 5 को पत्र लिखा और 6 को उन्होंने राजस्थान की राजधानी जयपुर आकर हमारे डिपार्टमेंट के साथ, माननीय मंत्री जी के साथ मीटिंग की। इस विषय की गम्भीरता पर पूरी तरह से केन्द्र सरकार से मदद करने का आश्वासन दिया और लाखों की संख्या में गोट पॉक्स के इन्जेक्शन भी राजस्थान को दिये। माननीय सभापति जी, लेकिन समस्या कहां आई, उस समस्या से, उस एक गाइडलाइन से कितना बड़ा गायों का नुकसान हुआ। जब हमने इस बात को रखा और हमने मांग की कि गोट पॉक्स के वैक्सीनेशन हमारे बीकानेर ज़िले में भी होना चाहिये, तब एक गाइडलाइन का हवाला दिया गया कि पाँच किलोमीटर के दायरे में अगर एक भी पशु इंफेक्टेड है तो उसमें वैक्सीनेशन नहीं हो सकता। इस भरोसे हमारे ज़िले को छोड़ दिया गया। हमारे साथ-साथ जो बहुत ज्यादा संक्रमित ज़िले गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर थे, इन सबको छोड़ दिया गया कि यहां वेक्सीनेशन नहीं हो सकता। उसमें इतना समय निकल गया। उन गौ भक्तों का, उन स्वयंसेवकों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने गोशालाओं में रात-दिन मेहनत की, जितने भी संसाधन उनके पास थे या नहीं थे, मेनपावर की कमी डिपार्टमेंट के पास भी थी लेकिन आमजन ने, भामाशाहों ने बढ़-चढ़कर योगदान दिया। एम.एल.ए. लैड से 6

(श्री बिहारीलाल)

तारीख को राजस्थान में सबसे पहले 20 लाख रुपये की अनुशंसा की और उसके तीन दिन बाद जब सीएम मिटिगेशन फण्ड मिला तो उसमें पैसा गया और 18-20 दिन बाद ज़िले को वापस मिला।

माननीय सभापति महोदय, जब मैंने गाय को मरते हुए देखा और मेरे घर में भी चार गायों में से तीन गायें काल कवलित हो गयीं और गाय मां को बीमार होते देखा तो पशुपालकों की पीड़ा हमारे सामने कितनी भयावह थी, यह आप तुलना कर सकते हैं। बीकानेर का गोवंश जिसकी संख्या लगभग 13 लाख के आस-पास है 2019 के सेंसस के हिसाब से तो इसमें जो भयावह तस्वीर बीकानेर की आपने देखी, भास्कर में जब इस तरह की तस्वीरें खुले में गोवंश हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में एक-एक गांव की यह तस्वीरें थीं। उनको सही से दफना भी नहीं पाये।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): मेरा यह आग्रह था कि 8 तारीख को, इस 8 सितम्बर को जब मैंने डिपार्टमेंट से बात की कि वैक्सीनेशन आप क्यों नहीं करवा रहे हैं तो कहा कि गाइडलाइन आड़े आ रही है। मैंने यह कहा कि 19 तारीख को राजस्थान की विधान सभा में सरकार से जवाब-तलब करेंगे। जिन डाक्टर मलिक का जिक्र माननीय मंत्रीजी ने किया, उन डाक्टर मलिक का स्टेटमेंट देखिये कि पांच किलोमीटर रिंग एरिया का अर्थ ही राजस्थान के वैज्ञानिकों ने, राजस्थान के डाक्टरों ने गलत समझा। पांच किलोमीटर के दायरे में अगर कहीं संक्रमण है तो रिंग एरिया बनाकर प्रभावी तरीके से वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए था लेकिन वैक्सीनेशन नहीं किया गया। राजस्थान के बीकानेर जिले का हजारों, लाखों गोवंश, मैं यह कहता हूं कि बीकानेर जिले में लाखों गायों को इस महामारी ने चपेट में लिया है।

माननीय सभापति महोदय, अब जब 10 तारीख को विधान सभा का डर बताया, आपकी ताकत, जनता की ताकत का डर बताया तो 10 तारीख को राजस्थान की सरकार के डिपार्टमेंट ने वैक्सीनेशन का आदेश जारी किया।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री किसनाराम विश्नोई।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, यह एक महीने पहले भी हो सकता था और इस गाइडलाइन के भरोसे पूरे राजस्थान में गायों को मरने छोड़ दिया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि गौ सेस के नाम पर हजारों-

(श्री बिहारीलाल)

करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपये हमारे लिये हैं लेकिन बारां में अभी तक यह बीमारी आयी नहीं। जाके पांव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई, गौ सेस इतना ले लिया। इतना बड़ा आपका मंत्रालय है, आप बजट लिये बैठे हैं। हमने यह मांग की कि यह हमारे गोशालाओं के लिए दो। हमारी गोशालाओं को स्ट्रेंथन करो, लेकिन एक पैसा नहीं दिया गया और मैं आज आपसे यह आग्रह करता हूं कि माननीय मंत्रीजी, आप वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर करवाइये। हिसार में, आई.वी.आर.आई. इज्जतनगर में देसी वैक्सीन बना दी है।

श्री सभापति: सहयोग करें। माननीय सदस्य, सहयोग करें। प्लीज, आप विराजिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा): देसी वैक्सीन के लिए हमने मांग की है, आप भी मांग करिये। हिसार आपको देगा और गोट पॉक्स का तो युद्ध स्तर पर करवाइये। माननीय सभापति महोदय, एक मिनट का और समय दें।

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा। श्री किसनाराम विश्नोई। अंकित नहीं होगा। प्लीज, आप सहयोग करिये, आप विराजिये। आप बार-बार कहने के बाद भी क्यों समय बरबाद करते हो? प्लीज, सहयोग करिये, आप विराजिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा): 000

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें। विराजिये आप। मैं पुन: आप सभी से यह निवेदन करता हूं और यह अपेक्षा करूंगा कि माननीय अध्यक्षजी का निर्देश है कि आप चार मिनट में अपनी बात को समाप्त करेंगे। प्लीज, आप सहयोग करें। अब आप विराजिये। मैं पुन: आपसे यह अपील करता हूं कि कृपया, चार मिनट में आप अपनी बात को समाप्त करें। आप सभी सहयोग करें।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे गोवंश पर लम्पी जैसी गम्भीर बीमारी के विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, अप्रैल माह में गुजरात की तरफ से जो लम्पी डिजीज, इस नाम की एक बीमारी, संक्रमण बीमारी जो राजस्थान की गौ-माता के अन्दर आयी और कोरोना में भी गुजरात में सबसे ज्यादा कोरोना का प्रकोप गुजरात में रहा और उनके आंकड़े सही पाये गये, सही नहीं दर्शाये गये और गौ-माता में गुजरात में चार महीने पहले यह बीमारी आयी लेकिन उनके

(श्री किसनाराम विश्नोई)

आंकड़े सही नहीं दर्शाने की वजह से राजस्थान में इस बीमारी ने प्रवेश किया और राजस्थान की सरकार ने इस बीमारी के प्रबंधन के लिए बहुत अच्छा काम किया इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि राजस्थान सरकार ने, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने पहले से भी पशुओं के लिए नि:शुल्क दवाई की व्यवस्था की है, पूरे देश के अन्दर वह राजस्थान राज्य ही है, जिसमें सम्माननीय अशोक गहलोतजी ने यह व्यवस्था की थी।

लम्पी बीमारी में भी गौ-माता के लिए अच्छी व्यवस्था रही है। संक्रमण है, दूसरी लहर के अन्दर बारिश का मौसम होने से कई मच्छर होने के कारण इसके घाव बड़े हो गये, इसके लिए भी सरकार ने जिस तरह से दवाई की व्यवस्था की, नि:शुल्क दवाई की व्यवस्था की, उस पर टिंक्चर लगाने की व्यवस्था की और उस व्यवस्था के लिए जैसा कि पूर्व वक्ता कह रहे थे कि हमने हमारे एम.एल.ए. लैड से भी पैसे दिये, दस-दस लाख रुपये दिये। फोगिंग के लिए, मच्छरों के लिए हमने पांच-पांच लाख रुपये अलग से व्यवस्था की जिसमें हमारे अधिकतर साथियों ने पैसे दिये। जिस तरह से, अभी मैं यह कहना चाहूंगा कि धन के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा है कि धन की कोई कमी नहीं आयेगी लेकिन मेरी इसमें क्योंकि अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था में गौ-माता का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, इससे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है इसलिए यह मेरी मांग रहेगी कि इस लम्पी बीमारी के लिए यह राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाये जिससे इस गौ-माता के लिए टीके की व्यवस्था हो, टीके की व्यवस्था की अनुमति हो और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि गौशाला के लिए नौ महीने का अनुदान राजस्थान की सरकार दे रही है। 11 हजार करोड़ रुपया आज तक का भुगतान किया जा चुका है, पूरे देश के अन्दर ऐसा कोई दूसरा राज्य नहीं है, नौ महीने का अनुदान गौ-शालाओं के लिए राजस्थान सरकार दे रही है। गौ-माता की सेवा के लिए, हमने लम्पी रोग आने के बाद में, हमारे अपने-अपने क्षेत्र में हमने दौरे किये हैं। सब जगह गौ-शालाओं के दौरे किये हैं, उनमें व्यवस्थाएं की हैं, भामाशाहों से भी व्यवस्था करवायी है। एम.एल.ए. लैड से भी हमने पैसे दिये और जो अभी एम.पी. लैड की बात की जा रही थी, अनुमत नहीं, मुख्य मंत्रीजी ने हमें तो एम.एल.ए. लैड की अनुमति दी, पर एम.पी. लैड की अनुमति नहीं होने के बावजूद भी मुझे इस बात को कहने में बड़ा दुःख

(श्री किसनाराम विश्नोई)

और बड़ी विडम्बना है कि सांसदों ने एक लैटर-पैड जारी करके, अनुमति देकर सोशल मीडिया पर घुमाया। देश को पहले गौ-माता के नाम से, पूरे देश की जनता को गुमराह किया और इसकी आर्थिक अनुमति, एम.पी. लैड के पैसे का लैटर जारी करके सोशल मीडिया में घुमाना, देश के गौ-भक्तों को गुमराह करने का दूसरा प्रयास इन्होंने और किया।

श्री सभापति: कृपया, एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि हमने पहले भी दिया है दवाई के लिए और इसके लिए माननीय मंत्रीजी विराजे हुए हैं। मंत्रीजी, अगर राजस्थान सरकार अनुमति देगी तो मैं मेरे क्षेत्र में एम्बुलेंस भी विधायक कोष से देना चाहूंगा, इसके लिए सरकार अनुमति दे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा, इसके अलावा जो एक बात गाय से हटकर भी है, वह मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने देश के अन्दर चीता विलुप्त होने के नाम से दक्षिण अफ्रीका नामीबिया से जो आठ चीते लाये गये मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में यह छोड़े गये हैं। उन चीतों की भूख मिटाने के लिए हिरण की व्यवस्था ये करने जा रहे हैं। हमारे यहां से हिरण की व्यवस्था की जा रही है। हिरण जो हमारे विश्नोई समाज का धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि वह जो चीतों की भूख मिटाने के लिए हिरण की व्यवस्था की जा रही है, भारत सरकार उस आदेश को अपास्त करे। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह भायल। अंकित नहीं होगा।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): 000

श्री सभापति: विराजिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, लम्पी, गौ-माता की बीमारी के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं बाड़मेर-जैसलमेर से आता हूं। सबसे ज्यादा पशुधन गाय माता है तो वह बाड़मेर और जैसलमेर में है और वास्तव में इस बार कोरोना के बाद में यह जो गौ-माता पर बीमारी आयी है, इसमें तड़प-तड़पकर गौ-माता की जो मृत्यु हुई है, देखते ही देखते हजारों की तादाद में गौ-माता काल-कवलित हो गयीं।

मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के आमजन दानदाताओं को कि इस बीमारी में अगर किसी ने सहयोग किया है, हर ग्रामीण ने जितनी बन पड़ी,

(श्री हमीर सिंह भायल)

देसी नुस्खा से लगाकर, फिटकरी के छिड़काव से लगाकर उसके इलाज के लिए जो पहल की, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के दानदाताओं को और गौ-सेवकों को।

सरकार और मंत्री महोदय आज हजारों तरह की बातें करें, परंतु इसमें प्रबंध की कमी रही है, पूर्ण तैयारी नहीं थी। पशु चिकित्सक के पद राजस्थान में सब जगह पर रिक्त पड़े हुए हैं। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की ही बात करूं तो आपके 60 परसेंट पद रिक्त पड़े हैं। यह स्थिति होने के बाद में भी हर विधायक ने दस-दस लाख, पन्द्रह-पन्द्रह लाख रुपये दिये हैं। मैं यहां तक आपको कहूंगा, मंत्रीजी, आप मालूम कर लेना कि मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए जो दस लाख रुपये दिये सरकार के पास में, उन पैसों का दवाई पहुंचाने के साथ में व्हीकल का यूज भी उसी पैसों में से किया गया और ईंधन भरवाने का काम भी किया है। सरकार ने आज दिन तक, राजस्थान सरकार ने कोई आदेश देकर जिला कलेक्टर को सर्वे करवाने का काम आज दिन तक नहीं किया है। गांव में पटवारी है, गांव सेवक है, आज दिन तक गौ-माता के लिए इतनी भयंकर महामारी होने के बाद में भी आज दिन तक कोई सर्वे करवाने का कार्य शुरू नहीं किया है। मैं समय रहते मंत्री महोदय, आपको यह निवेदन करूंगा कि आप इसकी पूरे राजस्थान में हर गांव तक, पंचायत हैडक्वार्टर तक सर्वे करवाकर कितनी गायें काल-कवलित हुई हैं और जो गौ-माता मरी है, उसको आपदा घोषित करके आप समय रहते यह लागू करके लम्पी डिजीज को राजस्थान महामारी एक्ट, 2020 के तहत महामारी घोषित किया जाये और जिसके दुधारू गाएं और पशु मरे हैं उनको मुआवजा दिया जाये। नन्दी गोशालाओं की घोषणा दो वर्ष पूर्व हुई थी, उसका प्रबन्ध कहां है? हर पंचायत पर नन्दी गोशाला कहां है? जितने आवारा सांड थे, नन्दी गोशाला के नाम से रोड पर वह सड़ रहे हैं। आपने पंचायत और नगरपालिकाओं को भी बजट में एक नया पैसा आबंटित नहीं किया। गोमाता को समाधि देने के लिये भी पंचायतें काम नहीं कर रही हैं। शवों के ढेर पड़े हैं। जोधपुर का हाल पाली से आने वाले माननीय विधायक ने अभी बताया कि रास्ते में कितनी मरी हुई गाएं पड़ी हैं, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं हुई।

माननीय मंत्रीजी, मैं आज आपको कह रहा हूं समय रहते, कई जगह गायों में कीड़े पड़ रहे हैं और रोड पर गाएं पड़ी हैं, इसका आप समुचित प्रबन्ध करवाएं और सर्वे करवाएं। सब मिलकर गायों की सेवा करेंगे। आपने खेलों का आयोजन किया। जालौर के अंदर 13 मंत्री आये, पर एक मंत्री ने भी गोशाला में जाकर नहीं देखा कि गोमाता के क्या हाल हैं? आपने उसकी तरफ ध्यान

(श्री हमीर सिंह भायल)

भी नहीं दिया और अभी समय रहते गोमाता की सेवा करोगे और गायों के इलाज का प्रबन्ध करवाओगे तो ठीक रहेगा अपन सबके लिये। यही मैं निवेदन कर रहा हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रूपाराम।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): धन्यवाद सभापति महोदय, अभी सदन में गोवंश में लम्पी बीमारी पर चर्चा हो रही है। मैं इसमें जैसलमेर जिले तक सीमित रहूंगा। राज्य सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं, यह बीमारी जैसलमेर जिले में सबसे पहले अप्रैल में आयी और जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल लगभग राजस्थान के नौ जिलों के 43 विधान सभा क्षेत्रों के बराबर है। जिले में 4 लाख गोवंश है। एक वर्ग किलोमीटर में मात्र 10 गाएं हैं। इस प्रकार 3 हजार गांवों और ढाणियों में छितरा हुआ गोवंश है। यह बीमारी एकदम से फैली है। इसके लिये हम लोगों ने राज्य सरकार से और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया। जैसे कोविड-19 आया था। गायों के इस संभावित बीमारी को देखते हुए जो चलित दवाइयां हैं, वह मार्च में ही जैसलमेर जिले में लगभग 49 लाख की क्रय की जा चुकी थीं। जैसे ही अप्रैल में यह बीमारी आयी तो उन दवाइयों का उपयोग करते हुए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया। उस वक्त राज्य के अन्य जिलों में बीमारी नहीं फैली थी। करीब 9 जिलों से अलग-अलग टीमें हमारे यहां भेजी गयीं। हमारे यहां भी वेकेंसीज थीं, लेकिन जो कार्यरत स्टाफ था, उनकी 15 टीमें बनाकर गायों का विधिवत इलाज किया। लेकिन यह बात सही है कि जो बीमारी हुई, उससे अफेक्टेड अधिकतर दुधारू गाएं, गाभिनी गाएं हुईं, जिसकी कीमत लगभग 30-35 हजार से 50-60 हजार रुपये तक की थी। हालांकि हमारे यहां संक्रमण की जो दर है, वह करीब साढ़े सात प्रतिशत रही है और मृत्यु दर करीब ढाई प्रतिशत रही है, लेकिन जो भी गाएं मरीं, वह दुधारू और अच्छी नस्ल की गाएं थीं। वास्तव में इससे गोपालकों को घाटा हुआ। जून तक करीबकरीब कंट्रोल में किया गया। 15 जुलाई के बाद में फिर वापस यह बीमारी भयंकर रूप से फैली। राज्य सरकार के निर्देशानुसार हम लोगों ने, विभाग ने, कलेक्टर ने, प्रशासन ने सब मिलकर 40 टीमें बनायीं पूरे जिले के लिये और उसमें चिकित्साधिकारी, पैरा-मेडिकल स्टाफ लगाकर पूरे जिले में, उनका रात्रि विश्राम भी वहीं किया और एक टीम में पांच-पांच ग्राम पंचायतें दी गयीं, जिसमें 30 से 40 गांव थे। उस वक्त पूरे राजस्थान में बीमारी फैल चुकी थी और अन्य जगह से स्टाफ नहीं आ सका। यहां से जो नव-नियुक्तियां हुईं, उसमें हमें 48 पशुधन सहायक मिले और

(श्री रूपाराम)

अर्जेण्ट टेम्परेरी बेसिस पर लगाने के लिये भी स्वीकृति मिली तो इस प्रकार से हमने वहां पर इस बीमारी को कंट्रोल में किया। इन सबके बावजूद भी गायों की मृत्यु हुई। अभी 29.08.2022 के बाद में एक भी केस नहीं है।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): मेरा इस मौके पर माननीय मंत्रीजी से निवेदन रहेगा कि कोविड-19 की वजह से गोवंश और पशुधन का बहुत बड़ा महत्व है आर्गेनिक आहार के लिये, मेरा यह निवेदन रहेगा कि जो राजस्थान में अकाल पड़ता रहता है, उसके अन्दर गोवंश के अलावा पशुधन वर्णित नहीं है फैमिन कोड में, उसमें भेड़-बकरी वगैरह इत्यादि जो भी हैं, वह अपन सब सदन की तरफ से प्रस्ताव लेकर फैमिन कोड के अंदर पूरा पशुधन है, यहां बकरी और भेड़ से काफी उत्पादन प्राप्त होता है और पशुपालकों के लिये आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के लिये एक साधन है, उसका प्रावधान किया जाये।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): मेरा एक निवेदन यह भी रहेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में बहुत ही गम्भीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है। राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान के अंदर सबसे पहले जैसलमेर जिले में अप्रैल में लम्पी का यह वायरस आया और आज राजस्थान में 33 जिलों में से 32 जिलों में यह वायरस फैल चुका है। आज तीन महीने होने को जा रहे हैं सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। अगर नींद उड़ जाती तो आज राजस्थान में गायों की यह दशा नहीं होती और हमारा गोवंश बच सकता था, परंतु सरकार इस गम्भीर बीमारी की ओर ध्यान नहीं देकर सरकार सस्ती लोकप्रियता पाने के लिये गांवों के अंदर ओलम्पिक खेल में सरकार पूरी मस्त है। मैं कोई इन ओलम्पिक खेलों के खिलाफ नहीं हूं, परंतु सरकार को प्राथमिकता तय करनी चाहिए कि पहले गायों को बचायें या इन ओलम्पिक खेलों की पब्लिसिटी पाने के लिये खेल का आयोजन हो। इस संकट में हमारी बहुत सारी गाएं मरीं। करीब 13 लाख 21 हजार गाएं संक्रमित हुईं। सरकारी आंकड़ा 60 हजार बता रहा है, परंतु जो आंकड़ा है इसकी अगर सोशल आडिट करायें तो यह आंकड़ा लाखों में पहुंच जाएगा।

(श्री नारायण सिंह देवल)

हमारे देश में गाय को माता माना गया है, परंतु हमारे सामने जो लोग बैठे हैं, वह केरल के अंदर गायों को सरेआम काट रहे हैं। इनके जो मुखिया हैं वह बीफ के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं और अगर सच्चाई बाहर आ जाये तो...(व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): किरण रिजीजू आपके मंत्री हैं, वह बीफ के पक्ष में हैं। गांवों में आपकी सरकार बची है बीफ के चक्कर में। आपके लोग गोवा में बीफ खाते हैं। बीफ के चक्कर में आपकी सरकार बची है। इनको असत्य बोलते शर्म ही नहीं आती।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): सच्चाई शीघ्र ही आपके सामने आ जाएगी। राजस्थान की जनता ने आपका असली चेहरा देख लिया है। मेरी मांग है कि गोवंश की जो यह मृत्यु हुई है, उसकी सोशल आडिट की जाये तो यह आंकड़ा लाखों में होगा। मैं जालौर जिले की बात करूं तो सरकारी आंकड़ा मात्र 3,055 गायों का बता रहे हैं, जबकि मेरे विधान सभा के तीन नोडल-रानीवाड़ा, जसवन्तपुरा और सांचौर में करीब 6 हजार गाएं मर गयी हैं। इसमें अगर हम जालौर, आहोर, चितलवाना, साहला, बागोड़ा, भीनमाल इन नोडल के ऊपर अगर हम आंकड़े देखें तो जालौर जिले के अंदर 12 से 13 हजार गाएं मर चुकी हैं।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): मैं मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अभी हमारे जालौर से आने वाले माननीय सदस्य का एक सवाल लगा था। हमारे अधिकांश पद खाली पड़े हैं। चारों विधायकों ने विधायक फण्ड के अंदर 10-10 लाख रुपये भी दिये, परंतु आज दिन तक एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया। हमारे जालौर जिले के अंदर विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा है। मैंने मेरी नजरों से वहां पर उन गायों को मरते हुए देखा है। हमारे सामने सांचौर से आने वाले सदस्य जब विपक्ष में थे तब तो खूब गायों के लिये हो-हुल्लड़ करते थे, पर अब आपका मुंह बंद हो गया है। गाय माता आपको माफ नहीं करेगी। इसके लिये आप समय रहते चेत जाएं नहीं तो आने वाले समय में यहां मैटाडोर में बैठने लायक विधायक भी जीतकर नहीं आएंगे।

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): 000

श्री सभापति: विराजिए माननीय सदस्य। श्री मेवाराम जैन। विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): 000

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, आज एक महत्वपूर्ण विषय लम्पी डिजीज पर चर्चा हो रही है। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी। हमारे मंत्रीजी ने पूरी जानकारी दी। सरकार ने क्या कार्य किया, पूरी योजना बतायी है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से विपक्ष के साथी बोल रहे थे कि सरकार ने कुछ नहीं किया और जो भी कुछ किया हमने किया गायों को बचाने के लिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी गायों के प्रति जितने संवेदनशील हैं, गोमाता के लिए जितने संवेदनशील हैं, आप 2000 के भयंकर अकाल की बात करो, उस अकाल के अन्दर राजस्थान में चारा पैसों से नहीं मिल रहा था, गायें मर रही थीं, गन्ना कहां से आया था और गायों को किस तरह से बचाया था, वह दिन याद करो।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपके कार्यकाल में पांच साल के अन्दर पांच सौ करोड़ रुपये आप खर्च नहीं कर पाये और हमारे कार्यकाल में इन चार सालों के अन्दर हमने 01 हजार 992 करोड़ रुपये गायों के लिए खर्च किये। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप केवल बातें मत करो। केवल भाषण देने से जनता को आप राज़ी नहीं कर सकते। मैं कहना चाहूंगा राजस्थान की सरकार और हमारे मंत्रीजी ने गायों के लिए जो कार्य किया, वह सराहनीय है। आज नन्दी गो-शालाएं खोलने का निर्णय लिया। कई जिलों में खुलीं। पंचायत समिति लेवल पर खोलने का निर्णय किया। पंचायत लेवल पर खोलने का निर्णय किया। अनुदान देने की बात की। 01 करोड़ 57 लाख रुपये पंचायत समिति और जिला लेवल पर दिया। आप सब बातें कर रहे हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह क्यों नहीं खुलवा रहे हो। सरकार ने घोषणा कर दी। पैसों की कमी नहीं है। आप पंचायत लेवल पर, पंचायत समिति लेवल पर और जिला मुख्यालय पर आप नन्दी गोशालाएं खोलो। बीमार और असहाय पशुओं को उसमें डालकर सेवा करो, यदि सेवा करने की भावना हो तो। आपके अन्दर सेवा करने की कोई मंशा नहीं। आप सेवा करने में आगे कभी दिखे नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के सभी गोसेवकों

(श्री मेवाराम जैन)

को जिन्होंने इसमें मदद की और जो कर भी रहे हैं। आपके जैसे असत्य आश्वासन की बात नहीं करना चाहूंगा।

सरकार ने पहले तीन महीने, उसके बाद छह महीने किये और नौ महीने का अनुदान दिया। आपके सामने है कि राजस्थान की सरकार जैसा अनुदान पूरे भारत के अन्दर किसी भी राज्य में नहीं दिया गया है। कहीं भी गायों के लिए नहीं दिया है, जैसा राजस्थान के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह किया है। गोशालाओं का अनुदान बढ़ाया। गोशालाएं खोली हैं। मैं तो कहूंगा कि इस महामारी के अन्दर भी, जिस तरह से काम किया है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वीसी लेकर आमजन से, प्रतिपक्ष से, पंचायती राज से, सभी से संवाद किया है। लम्पी बीमारी से बचाव के लिए सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सभापति महोदय, ...

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा अन्य किसी का।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान ही नहीं, 15-16 जिलों में यह बीमारी फैली थी। आपने क्या किया? केन्द्र सरकार को महामारी घोषित करनी चाहिए थी और किसानों को अनुदान देना चाहिए था। क्यों नहीं केन्द्र सरकार ने इसको महामारी घोषित किया? मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी इसको महामारी घोषित करें और किसानों की गायों की डैथ हुई हैं, उनकी गणना की जाए। केन्द्र और राजस्थान सरकार दोनों ही मिलकर पशुपालकों को अनुदान दें ताकि पशुपालक अपने पैरों पर खड़े हों। यह बीमारी बढ़ती जा रही है। हमारी टीमें लगातार सक्रिय हैं। दवाइयों की कोई कमी नहीं है। पैसों की कोई कमी नहीं है। केन्द्र के भरोसे हम नहीं जी रहे हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। विराजिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अभी हमने एलएस की भर्ती की। डाक्टर्स की भर्ती की। जगह-जगह हम टीम भेज रहे हैं और कोई कसर नहीं छोडेंगे। आपकी तरह गाय के नाम से वोट लेना, असत्य बोलकर गायों के नाम से...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, जैन साहब, एक मिनट। कतई गम्भीरता नहीं है। इतने वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: एक मिनट विराजिए आप। आसन पैरों पर है। विराजिए आप। आप इतने वरिष्ठ हैं। अपनी वरिष्ठता का कोई लिहाज ही नहीं है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: आसन की बिना इजाजत के बोलना अनुचित है। आसन यदि आपको इजाजत दे तो आप बोलिए। बीच में क्यों इन्टरवीन कर रहे हैं आप? माननीय सदस्य, कृपया सहयोग करें आप।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं इन सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार बिलकुल गम्भीर है और इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरत रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप केन्द्र सरकार से कहो। एमपी फण्ड लगाओ, वैक्सीन दिलवाओ और इसमें राजनीति नहीं करके आप इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करवायें। आप इसमें पशुपालकों को मुआवजा दिलवाओ। इसमें केन्द्र सहयोग करे और राजस्थान सरकार भी सहयोग करे और उन पशुपालकों को मदद दें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आप बार-बार बीच में बोल रहे हो। आपके घर में तो गाय है नहीं। आपको पता नहीं कि गाय की सेवा क्या होती है। केवल राजनीति मत करो। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। बाड़मेर शहर के अन्दर हमने एक नन्दी गोशाला खोली। दो हजार उसमें गाय हैं। एक ही गाय दूध नहीं देती है। उसके अन्दर हमने सबको जोड़ा। बीजेपी के जिलाध्यक्ष को भी जोड़ा। पार्षदों को भी जोड़ा। उनको पूछो कि एक रुपये का भी यदि आपने सहयोग किया हो तो आप बता देना। वहां पर आप देख लेना। वहां पर कांग्रेस वालों ने दो हजार आवारा बेसहारा पशु उस गोशाला में रखा है। आप सेवा की बात कर रहे हो। आप केवल भाषण देकर जनता में लोकप्रिय होना चाह रहे हो। कहीं पर भी आपकी सेवा की भावना नहीं। सरकार को बदनाम करने के लिए सिर्फ आप कर रहे हो। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री, पशुपालन मंत्री, गोपालन मंत्री और हम सब जगह गये हैं। हमने सब जगह व्यवस्था

(श्री मेवाराम जैन)

करने में कोई कोताही नहीं बरती है और न आगे बरतेंगे। आप निश्चिन्त रहें। गायों को बचाने के लिए जो भी करना होगा, मुख्य मंत्रीजी करेंगे। आप चिन्ता मत करो। आप तो सहयोग करो। आलोचना मत करो। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री पुखराज गर्ग।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान में पशुधन के अन्दर फैली हुई लम्पी स्किन बीमारी पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।

सभापति महोदय, हम जिस प्रदेश के अन्दर रहते हैं, उसमें गाय को हम गोमाता के रूप में पुकारते हैं। गोमाता के अन्दर हमें देवी का स्वरूप नजर आता है और गोमाता को हमारे हिन्दू त्यौहारों पर पूजा जाता है। हमारा प्रदेश किसान बहुल है, वह गोमाता किसान की आजीविका का साधन है, उस गोमाता के अन्दर लम्पी स्किन बीमारी एक महामारी का रूप ले चुकी है। बारां जिले और हर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बहुत सारी तादाद में गोमाता काल-कवलित हो रही है। मेरे अकेले भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 6 हजार से ज्यादा गायें मर चुकी हैं। गायों के मरने के बाद उनकी बॉडी का डिस्पोजल प्रोपर नहीं हो रहा है। जिस एरिये में, जिस किसी भी सड़क पर निकलो, वहां पर आपको गायों के, मृत पशुओं के ढेर मिलेंगे। इससे उन सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से और सरकार से निवेदन है कि ग्राम पंचायतों को उनकी बॉडी के डिस्पोजल के लिए अलग से अनुदान दिया जाये, अलग से फण्ड की व्यवस्था की जाये।

माननीय सभापति महोदय, अभी जोधपुर जिले में 3 लाख 15 हजार गायें संक्रमित हुई हैं लेकिन वहां पर प्रोपर स्टाफ नहीं है, डाक्टर नहीं है, पशुधन सहायक नहीं हैं इसलिए समय पर न तो टीकाकरण हो रहा है और न समय पर दवाइयां मिल रही हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन लोगों को जो गांवों में समूह बनाकर गांवों की सेवा कर रहे हैं, गायों का संरक्षण कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गांव के उन भामाशाहों को, जो गायों के संरक्षण के लिए आगे आये हैं।

माननीय सभापति महोदय, अभी राजस्थान में गायों की जो पोजिशन बनी है, उसमें मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप राजनीति से ऊपर उठकर हम जिसको गोमाता कहते हैं, उनके संरक्षण में आप सभी लोग आगे आयें और उनका संरक्षण करें। अभी जो टीकाकरण हो रहा है,

(श्री पुखराज)

वह पर्याप्त नहीं है, उसमें गति दें, स्टाफ बढायें और ग्राम पंचायतों को अनुदान देकर गायों का प्रोपर डिस्पोजल करायें ताकि दूसरी बीमारियां क्षेत्र के अंदर नहीं फैलें। यह मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती कृष्णा पूनियॉ।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने बोलने का मौका दिया। मैं दिन भर से यह चर्चा सुन रही हूं और किसान भाइयों के लिए दो ही आजीविका के साधन हैं, खेती और पशुपालन और दोनों ही प्राकृतिक आपदा से जुड़े हुए भी हैं। मैं कुछ बातें जरूर यहां पर आपके सामने रखना चाहूंगी। लम्पी स्किन डिजीज 19.08.2022 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 32 जिलों में 13 लाख 21 हजार 182 गायें प्रभावित हैं जिनमें से 7 लाख 86 हजार 772 पशु ठीक हो चुके हैं। मैं माननीय पशुपालन मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिस तरीके से सीमित संसाधनों के बावजूद भी आपने 13 लाख 84 हजार 198 पशुधन को आपने टीकाकरण करवाया क्योंकि हमें मालूम है कि यह लम्पी बीमारी, जिसका निश्चय ही कोई उपचार नहीं है, लक्षण के आधार पर उपचार किया जा रहा है। दूसरे राज्यों में भी काफी गम्भीर हालात बने हुए हैं। यह आपकी संवेदनशीलता ही है जिसमें आपने त्वरित कार्यवाही के लिए दलों का गठन किया, किसान कॉल सेंटर बनाये, किसान कॉल सेंटर में आपने विभागीय चिकित्सकों को बैठाकर पशुपालकों की जो भ्रांतियां थीं, जो शिकायतें हैं, जो सवाल हैं, उनको दूर करने के लिए विशेषज्ञों को वहां पर बैठाया। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक उपचार विधि के लिए भी विशेषज्ञों के द्वारा राय और दिशा निर्देश दिये जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यहां पर माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि 15 अगस्त, 2022 वह दिन था जिस दिन को हम आजादी की स्वर्ण जयंती के रूप में मना रहे थे। उस दिन उनकी संवेदशीलता की यह चिंता थी कि जो लम्पी रोग गायों में आया हुआ है उसका निदान कैसे दिया जाए। उस महत्वपूर्ण और बहुत व्यस्ततम प्रोग्राम के अंदर भी उनके द्वारा सभी टीमों के साथ बैठक रखी गई कि इसका निदान हम कैसे कर सकते हैं। पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति करना, बहुत ही अति संवेदनशील 12 जिले थे उनमें 197 पशु चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति प्रदान की गई, पशुधन सहायकों की नियुक्ति की गई। मैं कुल मिलाकर देखती हूं कि सरकार की तरफ से जितने भी प्रयास किये गये, वो सराहनीय है।

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

माननीय सभापति महोदय, दूसरी तरफ आज सुबह से जब से मैं सदन की कार्यवाही सुन रही हूं तो विपक्ष से आने वाले साथी और खासकर पाली से आने वाले माननीय साथी ने बहुत ही मार्मिक शब्दों के माध्यम से लम्पी बीमारी और गायों की व्यथा को बताया, बहुत ही मार्मिक शब्दों में। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि उन्ही की पार्टी के विधायक के माध्यम से गाय को विधान सभा के सामने लाने की कोशिश की गई, गाय ने सोचा कि शायद किसी इलाज के लिए लेकर जा रहे हैं, जैसे ही विधान सभा का मुख देखा तो गाय ने कहा कि नहीं ये तो वही फरेबी है, वापस जो तुझे तेरा नाम लेकर इस सदन में जाना चाहते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि जो बीमारी है वह स्किन की बीमारी है, उस गाय के ऊपर पोस्टर चिपका कर लाया गया था माननीय सभापति महोदय, यह इनकी अति संवेदना? आपको मालूम है कि उस पोस्टर के ऊपर ग्ल्यू था, घाव थे गाय के ऊपर और ग्ल्यू से गाय के घावों पर उस पोस्टर को चिपकाया गया तो यहां पर इनकी संवेदनशीलता दिखाई दे रही है, यह मैं कहना चाहती हूं। आप क्या दर्शाना चाहते हैं यहां पर बोलकर कि हम अति संवेदनशील हैं और इस तरीके का व्यवहार इन लोगों के द्वारा किया गया उस मूक पशु के ऊपर। (व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें। (व्यवधान) प्लीज, माननीय सदस्य।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): लेकिन इस तरीके का व्यवहार इन लोगों के द्वारा किया गया उस मूक पशु के ऊपर।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बार-बार कहा है कि प्राकृतिक आपदा के अंदर लम्पी स्किन डिजीज को महामारी घोषित किया जाये। जैसा मैंने शुरू में कहा कि किसानों के लिए आजीविका के दो साधन हैं, पशुपालन और खेती। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर बीमा भी क्रोप कटिंग के आधार पर मिलना चाहिए, दोनों तरफ से किसानों की आज मार हो चुकी है। आज मैं यहां पर अपने इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूं कि इन दोनों विषयों पर हमको गम्भीरता से विचार करना होगा, यह नहीं कि हमें यू-ट्यूब पर आना है, मीडिया में आना है, इस तरीके से अति संवेदनशील तरीके से हम अपनी बात रखें और मैं यहां यह जरूर कहना चाहूंगी कि सदन के अंदर आप अगर संवेदनशील हैं लम्पी जैसी बीमारी पर गम्भीर हैं तो आपकी पार्टी की तरफ से यह पूछने का निर्णय लिया जाना चाहिए कि आपने यह कुकृत्य क्यों किया है। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रूपा रामजी मुरावतिया।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे लम्पी बीमारी जो गो वंश पर बहुत बड़ा संकट है उस पर बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं विद्वान माननीय सदस्यों द्वारा कही हुई बात को दुबारा नहीं कहने की कोशिश करूंगा।

"गुजरे हैं आज लम्पी के उस मुकाम से,
नफरत-सी होने लगी है राजनीति तेरे नाम से।"

माननीय सभापति महोदय, इसमें मैं किसी पर दोष और आरोप-प्रत्यारोप नहीं करूंगा लेकिन हमारी आदत-सी पड़ गई है। कार्य हुआ है, नहीं भी हुआ है। इस संकट के दौर में मैं माननीय मंत्रीजी से दो बार मिला हूं उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और मेरे हिसाब से आश्वासन के बाद में मैं मकराना, नागौर की बात बता रहा हूं। कार्य करने में भी इन्होंने तत्परता दिखाई, लेकिन मैं सोचता हूं कि माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, इसमें और भी बहुत ज्यादा हमें काम करने की जरूरत थी और है। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं इस दौरान गांवों में गया। जैसा आपने बताया कि इससे पहले भी कई राज्यों में, जिलों में, शहरों में, गांवों में आई है लेकिन मैंने मेरे जीवन में पहली बार ऐसा रोग देखा, लम्बी कतारों में 50-50, 60-60 मरी देखी।

माननीय सभापति महोदय, मेरा बोलने का समय अभी समाप्त हो जायेगा लेकिन इसमें मेरा सुझाव तो यह रहेगा कि दुधारू गायें जो कभी घर में लोगों के रोजी-रोटी का साधन था, वो चली गईं, उनके मुआवजों का प्रबन्ध किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, आज भी हमारी सरकार या इस विभाग के मंत्रीजी कहूं या अधिकारियों को यह पता ही नहीं है कि कितनी गायें मरी हैं या बीमार हैं। मैं एक छोटा-सा दृष्टांत कह रहा हूं। मैं सवेरे गांव में निकला, देखा तो बहुत बड़ा दुख हुआ कि एक गाय दो दिन से मरी पड़ी है और उसके ऊपर तीन-चार महीने का बछड़ा पड़ा है जो उगाली कर रहा था, उगाली को शायद हिन्दी में जुगाली कहते होंगे। मैंने ड्राइवर-गनमैन को कहा कि गाड़ी रोको। गाय मरी पड़ी थी, 24 घण्टे हो गये थे। छोटा बछड़ा था तीन-चार महीने का वह पड़ा-पड़ा उगाली कर रहा था, वह सोचे कि मेरी मां खड़ी होगी, मैं दूध पीऊंगा, फिर इसके साथ जाऊंगा। मैंने हाथोंहाथ लाइव कलेक्टर साहब से बात

(श्री रूपा राम)

की, एसडीएम से बात की, मैंने कहा कि जो गायें मरती हैं उनके अंतिम संस्कार का प्रबन्ध तो करो। इसमें मैं संक्षिप्त में बीच में बोलकर उन लोगों को धन्यवाद दूंगा जो गोभक्त हैं, जिन्होंने इस गाय की राजनीति का देखा नहीं और जहां गाय का अंतिम संस्कार करना था वह किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा, इसमें सबसे बड़ी जो परेशानी आयी, कुछ डाक्टरों ने जमकर काम किया, कम्पाउंडरों ने किया, लेकिन कुछ ने लापरवाही बरती और अपना आर्थिक स्वार्थ भी पूरा किया। मैं इस पर यह कहना चाहूंगा कि गायों के अन्तिम संस्कार के लिये सरपंचों को कोई खुला सन्देश या आदेश नहीं दिया गया। सरपंच कह रहे हैं, हमारे पास बजट ही नहीं है।

माननीय मंत्री जी, नागौर जिले में लगभग 85 से 90 हजार गायें मरी हैं। 1,607 गांव हैं। एक गांव में यदि हम 50-60 गायों की भी औसत लगाते हैं तो लगभग 85-90 हजार गायें मरी हैं। इसमें मेरा सुझाव तो यह रहेगा कि आपके विभाग को और भी कार्य करने की जरूरत है। गायों में रसी पड़ती है, उनके कीड़े पड़ जाते हैं, वे तड़प-तड़पकर मरती हैं। इस पर मैंने दो लाइनें लिखी हैं। कविता नहीं कहूंगा तो शायद मेरा उद्बोधन अधूरा ही रहेगा। थे बैठबाई मत कहीज्यो, मैं पढ़ता ही बैठ जाऊं।

"तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है,
प्यारी-प्यारी है, गौ मां, गौ मां।।"

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री रूपा राम (मकराना): 000

श्री सभापति: श्री बाबूलाल नागर। सुश्री दिव्या मदेरणा। श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे लम्पी डिजीज पर बोलने का मौका दिया। भगवान श्रीकृष्ण ने भी कहा है कि इन्द्र देवता की पूजा करने से भी पहले गौ माता की पूजा की जाये। हम ऐसे ही गाय को माता नहीं कहते। कुछ विशेष बात है उसमें, इसलिये हम उसे मां का दर्जा देते हैं। सभापति महोदय, मैं गांव से आता हूं और बचपन से मेरे घर में गायें पाली जाती रही हैं। उनसे हमारा भावनात्मक रिश्ता रहा है।

हम जब छोटे बच्चे थे तो मैं देखता कि पहाड़ों में, जंगलों में गायें

(श्री बलजीत यादव)

चरने के लिये चली जातीं। किसी के घर में व्यक्ति होता तो वह साथ चला जाता। यदि किसी के घर में व्यक्ति नहीं है तो भी गायों को पहाड़ों में, जंगलों में छोड़ देते। वे गायें चरकर शाम को अपने-अपने घर आ जातीं और उनका दूध निकाल लिया जाता। मैं कई बार सोचता, कितनी समझदार है यह गाय, जो घर का चारा नहीं खा रही है। भैंस पालते थे, उसे चाट-बाट खिलाया जाता था, लेकिन उस गाय को सूखा तूड़ा या कड़बी डाल दी। किसी के घर में है तो थोड़ी-सी डाल दी। किसी के बिलकुल नहीं है, गरीब है, जिसके पास जमीन नहीं है या बहुत मामूली जमीन है उसने भी गाय पाल ली तो वह गौ माता जंगल में पहाड़ से चरकर आती थी और उसके बच्चों को दूध पिलाती थी और उसके बच्चों को जवान, मजबूत और लड़ने लायक बनाती थी।

धीरे-धीरे जैसे-जैसे इस कलियुग का असर बढ़ता जा रहा है, इंसान बहुत ही ज्यादा मतलबी और स्वार्थी बनता जा रहा है। जंगल रहे नहीं। चरागाह भूमि पर कब्जे हो गये। चारा इतना महंगा हो गया कि जिस रेट में गेहूं मिलता है, उस रेट में कड़बी का भाव हो गया। अब गाय को स्वार्थी आदमी पाले कैसे? सभापति महोदय, राजनीति के लिये बहुत-से लोग गाय को गौ माता बोलेंगे, लेकिन यदि उनके घर के पास जाकर देखें तो लिखा होगा, ''कुत्तों से सावधान''। गौ माता नहीं मिलेगी वहां पर। इसलिये यह प्रकृति शायद हम से रुष्ट हो रही है, क्योंकि इतने स्वार्थी हम हो गये हैं।

पहले कोरोना बीमारी आयी, जिससे मानव जाति संकट में आ गयी। अब यह लम्पी डिजीज आयी है, जिससे हमारी गौ माता संकट में आ गयी। जरूरत इस बात की है कि हम थोड़ा स्वार्थ त्यागकर इमोशनल रिश्ते रखें। सभापति महोदय, दूसरे प्राणियों में आपस में इमोशनल रिलेशंस हैं, लेकिन इंसानों में वह खतम होता जा रहा है। इसलिये वह गाय माता आज संकट में हैं। शायद भगवान हमारी इंसानियत की परीक्षा लेना चाह रहा है।

हमारा यह धर्म बनता है कि जिस प्रकार नि:स्वार्थ उस गौ माता ने हमारे पूर्वजों को दूध पिलाया है, आज समय आया है कि हम उसकी सेवा करें, उसके दर्द को महसूस करें। वह बोल नहीं सकती है, बेजुबान है, लेकिन हम उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। उसकी सेवा करें। मैं हमारे पशुपालन मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वे बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति भी हैं और मिनिस्टर भी हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, मैं एक सुझाव देकर अपनी बात खतम करूंगा। कोरोना में विधायक कोष से पूरी छूट दी गयी कि एम्बुलेंस भी दे सकते हैं, यह भी दे सकते है, वह भी दे सकते हैं। लम्पी डिजीज में दवा के लिये छूट दी। उसके लिये मैं मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा, लेकिन साथ ही साथ यह भी सुझाव दूंगा कि गौ माता के लिये और अन्य पशुओं के लिये हमारे क्षेत्र में एम्बुलेंस के लिये भी विधायक कोष में अलाउ किया जाये। मैं इस सदन में यह घोषणा करता हूं, जिस दिन भी अलाउ किया, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में विधायक कोष से एक या दो एम्बुलेंस दूंगा। मैं समझता हूं, निश्चित रूप से अनुमत करेंगे। माननीय प्रधान मंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि सांसद कोष से भी पैसा इस लम्पी बीमारी के लिये अनुमत किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपी चन्द मीणा।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे लम्पी रोग पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि लम्पी वायरस सम्पूर्ण प्रदेश में गौ माताओं पर कहर बरपा रहा है। गौ माता को हम मां मानते हैं और उसमें 33 करोड़ देवी-देवता निवास करते हैं। मेरा निवेदन है, भीलवाड़ा जिले में किसान वर्ग का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसल नष्ट हो गयी। उनकी आजीविका कृषि पर निर्भर है।

उनकी दूसरी मुख्य आजीविका पशुपालन है। वहां गौ माता के साथ-साथ भैंसों में भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि एक सर्वे कराएं, विशेष टीम का गठन करें। भीलवाड़ा में लगभग सभी बड़ी गोशालाओं में गौ सेवकों द्वारा, भामाशाहों द्वारा, दानदाताओं द्वारा जो सेवा की जा रही है, उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी का भी बहुत अच्छा प्रबंधन रहा। भीलवाड़ा का उन्होंने दौरा किया, लेकिन फिर भी वहां चिकित्सकों के, कम्पाउंडरों के जो पद रिक्त हैं, उन्हें भरने का मैं अनुरोध करना चाहता हूं। जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में लगभग 3 से 4 हजार गौ माता हमने खो दी हैं।

माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन किसान भाइयों की आजीविका का साधन कृषि व पशुपालन है, उन्हें आर्थिक सम्बल

(श्री गोपी चन्द मीणा)

दिया जाये। ग्रामीण क्षेत्र में भू-माफियाओं ने गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। जहां पूर्वजों द्वारा गाय-बैल की बैठक होती थी, उस जगह पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जिला कलक्टर को निर्देश दे कि जहां-जहां गोचर भूमियों पर अतिक्रमण किया हुआ है विशेष अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाये।

गोशालाओं में, जहां बड़ी संख्या में गौ माता हैं, वहां विशेष टीम लगाकर, एम्बुलेंस लगाकर उनकी सेवा करने का प्रयास करें ताकि हम गौ माता को बचा सकें। पूर्व वक्ताओं ने भी कहा और मैं भी माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं, यदि आप अनुमति देते हैं तो गौ सेवा के लिये मैं अपने विधायक कोष से एम्बुलेंस खरीदने की घोषणा करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पानाचन्द मेघवाल।

(समय: 14.00 बजे)

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय सभापति महोदय, लम्पी महामारी पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

सभापति महोदय, इस बीमारी ने 2019 में विदेशों से हमारे देश में प्रवेश किया। लम्पी बीमारी एक वायरस है जिसका अभी तक कोई स्थायी इलाज नहीं है। केवल बकरी को जो टीका लगाया जाता था, जिसको गोट-पॉक्स कहा जाता है, उसको लगाकर हम इतिश्री कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, 2014 से पहले इस देश में गाय को गोमाता मानने वाले लोग आज केन्द्र में सत्ता में बैठे हुए हैं। पूरे हिन्दुस्तान के 14 राज्यों में यह बीमारी फैली हुई है, देश के प्रधान मंत्री जी को इसकी चिन्ता नहीं है और हमारे यहां विपक्ष में बैठे हुए नेता केवल राजस्थान सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जब देश के प्रधान मंत्री जी को चीतों की चिन्ता है लेकिन गोमाता की चिन्ता नहीं है। चीता प्लेन में चल रहा है और गोमाता क्रेन में चल रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जो बीमारी 2019 में ही हिन्दुस्तान में आ चुकी थी और इसका टीका बनाने का काम भारत सरकार को करना चाहिए था पर 2019 से अब तक इन लोगों ने उसका टीका नहीं

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

बनाया। राजस्थान सरकार के पास आज टीका होता, भारत सरकार ने टीका बनवाया होता और राजस्थान सरकार टीका लगाने में असफल होती तो राजस्थान की सरकार को दोष देते।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): लेकिन भारत सरकार ने न तो टीका बनाया और केवल वाहवाही लूटने में रहती है। इनका नारा है- गाय हमारी माता है, इसके नाम वोट मांगना आता है, लेकिन इसके आगे हमें कुछ नहीं आता है। यह आपका, भारतीय जनता पार्टी का नारा है। अभी कह रहे थे केरल में कत्लखाने हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हिन्दुओं के सबसे बड़े नेता मुख्य मंत्री हैं, गोवा में आपके मुख्य मंत्री हैं लेकिन कत्लखाने सबसे ज्यादा कहां हैं, गाय कहां सबसे ज्यादा काटी जाती है और आपके कौन-कौन से नेता गायों को खाते हैं? केवल बात करना आसान है। मैं आपको आंकड़ों के साथ बताना चाहूंगा कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत पहली बार मुख्य मंत्री बने तो गोसेवा आयोग का गठन राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने किया। (व्यवधान) बैठ जाइये, मिर्च मत लगाइये। दिलावर जी, नीचे बैठिये। मिर्च मत लगाइये। नीचे बैठिये। सुनने का साहस रखो।

श्री सभापति: बैठिये। विराजिये। माननीय सदस्य, आप इधर आसन की तरफ देखिये।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): अशोक जी गहलोत पहली बार मुख्य मंत्री बने तब उन्होंने गोसेवा आयोग का गठन किया, दूसरे कार्यकाल में अनुदान बढ़ाया और तीसरे कार्यकाल में भी अनुदान बढ़ाया जबकि आपके दोनों कार्यकाल में गोशाला के नाम पर कोई अनुदान नहीं बढ़ाया गया इसलिए बात करना अलग बात है।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, आपसे अपील करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि आपको देश के प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहिए क्योंकि यह महामारी केवल राजस्थान की नहीं है, पूरे हिन्दुस्तान के 14 राज्यों में है इसलिए इसको महामारी घोषित करने के लिए आपको कन्धे से कन्धा मिलाकर हमारा साथ देना चाहिए ताकि जो गोमाता, जिसका दूध हम पीते हैं, जिसे अमृत कहते हैं, जिसका

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

घी, जिसका दूध, जिसका दही हमारे शरीर को हृष्ट पुष्ट करता है, उस गोमाता को संरक्षण देने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में 3,636 गोशालाएं हैं और उनमें 12 लाख 19 हजार गायें राजस्थान सरकार के अनुदान पर चल रही हैं। माननीय सभापति महोदय, अनुदान की राशि की बात करो तो अभी हाल ही में अप्रैल, मई, जून, जुलाई के चार महीनों में ही राजस्थान सरकार ने 495 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में देकर राजस्थान की गायों का संरक्षण करने का काम किया है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): आप बात करते हैं, आपके कार्यकाल में जो अनुदान आता था उसका प्रतिशत निकालो और पिछले चार साल का प्रतिशत निकालो तो आप बहुत नीचे हो।

श्री सभापति: आप विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये। प्लीज सहयोग करें, विराजिये।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय सभापति महोदय, ये हिन्दू धर्म के ठेकेदार हैं, ये गोमाता को.....

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री धर्मनारायण जोशी। विराजिये।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, इस महामारी लम्पी की बीमारी पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री सभापति: मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, आप तो मदन दिलावर साहब को चुप रखिये। आपका बहुत आभारी रहूंगा, आप मदन दिलावर साहब को आप बोलें तब तक चुप रखिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, संसार में जितने प्राणी हैं और प्राणीमात्र में जो गन्दगी निस्तारण करते हैं, चाहे भगवान की भी गन्दगी का निस्तारण हो, केवल गोमाता ऐसी है जिसका गोबर और गोमूत्र दवाई के रूप में काम में आता है इसलिए गोधन को बचाने के लिए हम सब का सामूहिक दायित्व है कि हम गोधन को बचायें, गोमाता को बचायें। मुझे लगता है कि संसार का यह कोई षड्यंत्र है क्योंकि सीमा पार से ही यह

(श्री धर्मनारायण जोशी)

बीमारी आयी है। अभी पहले मनुष्यों में महामारी चली, कोरोना चला, उस महामारी में भी आपने देखा होगा कि उस बीमारी में गोमूत्र और गोबर बहुत काम आया। मैं बहुत ज्यादा बातों को रिपीट नहीं करूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैंने टीकाकरण के लिए डाक्टर्स की मीटिंग ली तो डाक्टर्स ने कहा कि अगर गाय का टीकाकरण होता है और जो गाय बीमार है उसका टीकाकरण होगा तो गाय, गोमाता मर जायेगी। जो टीका है उसका असर 25 दिन बाद होता है इसलिए टीकाकरण बहुत पहले होना चाहिए था। मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि दवाई क्या है आपके पास दवाई कुछ नहीं है। गांव में मच्छर मारने की दवाई छिड़क रहे हैं और इससे केवल मच्छर मरते हैं। पैरासिटामोल दवाई जो आदमियों की आती है वह गांवों में गायों को दे रहे हैं।

माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे दो-तीन बातों का निवेदन है कि अगर गोमाता का, पशुओं का बीमा होता तो आज यह स्थिति खड़ी नहीं होती। दूसरा, मेरा निवेदन है कि अगर गोमाता का बीमा होता तो किसानों का नुकसान नहीं होता। (व्यवधान) आप बीच में नहीं बोलें तो ज्यादा अच्छा है। मैं आलोचना न कर सुझाव दे रहा हूं।

श्री सभापति: आप इधर आसन की तरफ देखकर बोलें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): गहलोत साहब घोषणा कर रहे हैं कि पैसों की कमी नहीं है, यह स्टेटमेंट आया और स्टेटमेंट के दिन ही अधिकारियों का मेरे पास फोन आया कि साहब एमएलए कोटे से पैसे दीजिये। क्यों, किसके लिए चाहिए और पैसे देने के बाद भी आज दिन तक कुछ खरीदा नहीं है, कुछ भी नहीं खरीदा है। सरकार की आलोचना को तो छोड़िये, मैं तो आपसे कर्मचारियों की भर्ती का निवेदन करता हूं। पशु चिकित्साकर्मियों की हड़ताल चल रही थी, तब माननीय मंत्री महोदय से मैंने निवेदन किया तो मंत्री महोदय ने सहानुभूतिपूर्वक विचार कर यह कहा कि टेक्निकल प्राब्लम हो रही है, हमने उनकी सारी मांगें मान ली हैं और वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद उनकी सारी मांगें हम मान लेंगे, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि हमारा जो मेवाड़ क्षेत्र है वह टीएसपी क्षेत्र है। माननीय मंत्री महोदय, 700 कर्मचारियों की भर्ती का निकला हुआ है उसमें बाकी सारे राजस्थान में कर्मचारियों की भर्ती कर ली है पर केवल टीएसपी क्षेत्र के कर्मचारियों की भर्ती नहीं की है। आप बीच में बोल रहे हैं, आपके घोषणा पत्र में नन्दीशाला की आपने घोषणा की, पंचायत समिति स्तर पर कहां है

(श्री धर्मनारायण जोशी)

नन्दीशाला? हमको बता दीजिये। पंचायत स्तर पर, मेरा पुन: निवेदन है, मैं बातों को रिपीट नहीं करूंगा। पंचायत स्तर पर जो मृत पशु हैं, उनके लिए स्थान आरक्षित किया जाये, उनके लिए जगह आरक्षित की जाये।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): एक अन्तिम निवेदन है। उदयपुर में सामान्य कर्मचारी मुकेश पानेरी है जिन्होंने एक दवाई और पाउडर का आविष्कार किया है। मैंने अधिकारियों से, कलेक्टर साहब से पूछा, भारत सरकार से गाइडेंस ली और वह दवाई कारगर हो सकती है, उस दवाई का नाम है एथॉलीन ब्लू। अगर वह दवाई राज्य सरकार भारत सरकार के डाक्टर्स से राय लेकर पूरे राजस्थान में लागू करती है तो गारंटी से गोमाता उससे ठीक हो सकती है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, आपने मुझे लम्पी स्किन डिजीज पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, यह बीमारी हिन्दुस्तान के कई राज्यों में 2019 से सक्रिय हो चुकी है। हिन्दुस्तान के उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और हमारे पड़ोसी राज्य दिल्ली, हरियाणा में भी इसका खूब असर दिख रहा है। राजस्थान में बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी आमदनी का 40 प्रतिशत हिस्सा पशुधन से आता है और गाय उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है तथा गाय का सबसे बड़ा डेमेज हुआ है। इस बात का बड़ा खेद है कि किसान की मुख्य आय का स्रोत जो खतम हुआ है उसके लिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि इसे आपदा प्रबन्धन में लेकर किसानों को उसका मुआवजा दिया जाये।

सभापति महोदय, मैं कुछ बात ऐसी भी रखना चाहता हूं जो मेरी कांस्टीट्यूएंसी से जुड़ी हुई है। हमने जागरूकता अभियान चलाया, हमने जैसे कोरोना में मदद के लिए कमेटी बनाई, वैसी कमेटी बनाई। हमारी कमेटी हर गोशाला में और जिस गांव में प्रभावित गायें थीं, वहां जाकर आयी। लोगों से फंड कलेक्शन किया, जब तक एमएलए लैड से पैसा नहीं मिला। हमने तीन-साढ़े तीन लाख रुपये की दवाई लोगों से पैसा इकट्ठा करके पशुधन सहायकों और डाक्टरों को उपलब्ध करवायी। आज के दिन अगर मैं मेरी कांस्टीट्यूएसी की रिपोर्ट करूं, 40 गोशालाएं हैं, 40 की 40 गोशाला में हमारे पास कल एक गाय की डैथ हुई थी

(श्री बलवान पूनियां)

और पूरी गोशाला में आज के दिन स्किन डिजीज की कोई गाय है ही नहीं, पहले की उपचाराधीन चल रही हैं। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में कल 8 डैथ हुई थी, टोटल एक हजार गायों का डैमेज हुआ है लेकिन लोगों ने खूब मदद की, लोगों ने खूब काम किया। पशुधन सहायक और एल.एस.ए. और पशुपालन विभाग ने बहुत भागकर के काम किया। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मेरे से पहले के साथी बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि यह पड़ोसी मुल्क की साजिश हो सकती है। मुझे तो यह साजिश केन्द्र सरकार की लग रही है। सभापति महोदय, डेनमार्क का दूध बेचना है, इसलिए 16 राज्यों में यह बीमारी होने के बावजूद इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया। मेरी मांग है देश के प्रधान मंत्री जी से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करें, सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। मैं तो मंत्री जी से कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय देशी गाय का संवर्द्धन कीजिये, उनकी नस्ल सुधारिये। कल एक एम.एल.ए. साहब गाय लेकर आ गये थे। वह तो देशी थी ही नहीं, विधान सभा के आगे जो गाय ले आये, वे तो अमेरिकन गाय पकड़कर ले आये, वह गाय भाग गयी। उस गाय ने इनका हैज भी नहीं किया। ये उसको फोकट में ही पकड़ लाये।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, यहां एक इंजेक्शन का जिक्र किया गया है। विधान सभा में कई साथियों ने बोला गोट पॉक्स, ये गोट पॉक्स है क्या? गोट पॉक्स बनाता कौन है? गुजरात में इनका कोई बड़ा सारा आदमी है, उसका गोट पॉक्स में कोई वो है। अजी, यहां डाक्टर थोड़े ही हैं, यहां तो एम.एल.ए., मंत्री हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, पहले इनको कहें कि अपनी सीट पर जाकर बोलें, बैठे-बैठे बोल रहे हैं। मंत्री बनने की कितनी चाह है इनको, यहां बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, ये राठौड़ साहब भी अभी गलत आंकड़ा दे गये थे। आज राठौड़ साहब बड़े ऊक-चूक बोल रहे थे। ये गायों के कंकाल को नर कंकाल बोल रहे थे और यह कह गये राठौड़ साहब, मुझे लगा राठौड़ साहब आज ऊक-चूक हैं ही। ये राठौड़ साहब एक बात और कह गये कि साहब आपने पशु बीमा खतम किया। नहीं राठौड़ साहब, आपकी सरकार ने खतम किया था पशु बीमा और मंत्री जी आप शुरू करिये। इन्होंने तो खतम कर दिया और ये तो असत्य आंकड़े देने में आजकल माहिर हैं। आप शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पशु बीमा शुरू करिये। इन्होंने जो गलती की

(श्री बलवान पूनियां)

है, उसकी माफी आपको मांगनी चाहिये, क्योंकि इन्होंने गोशाला अनुदान में पिछले पांच साल में दिये 450 करोड़ और आपने दे दिये एक हजार 992 करोड़ रुपये यानी आपने 1,992 करोड़ रुपये दे दिये। फिर भी, आप प्रदेश की जनता को नहीं बता पाते हैं। राठौड़ साहब आपको गलत बात बोलकर के एकदम गुमराह कर देते हैं...

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें, प्लीज।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): और आप गुमराह हो जाते हो। मैं यह कहना चाहता हूं आज देश के अन्दर जिस तरीके से हमारी साथी ने एक बयान दिया और मैं निन्दा करता हूं, इस बात की, अभी इन्होंने जिक्र किया बीफ का, आज बीफ का व्यापार मोदी जी के देश में राजसत्ता में आने के बाद कितना बढ़ा है। इस बात का आंकड़ा आपको जानने की जरूरत है, 14 हजार करोड़ का बीफ का व्यापार था, जो 51 हजार करोड़ तक पहुंच गया। ये मोदी जी के राज में आने के बाद हुआ है और ये केरल का जिक्र कर रहे थे। इनके किरन रिजिजू, जो केन्द्र में मंत्री हैं। वे गोमांस का खुला प्रचार करते हैं और खुला खाने का हां-हां करते हैं। गोवा में गोमांस का नाम लेकर इनकी सरकार बची है। मैं कहना चाहता हूं, यह मुद्दा होना ही नहीं चाहिये। असली बात यह कि गाय को बचाया कैसे जाये, देशी गाय को कैसे बचाया जाये। जिस गाय को हम गाय माता कहते थे, उसका समर्थन कैसे किया जाये। इस बात पर गम्भीरता से चर्चा करके आपको गाय को बचाना है। हम सब मिलकर गाय को बचायेंगे। बाकी फिजूल की बातों में कोई नहीं पड़ेगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।

श्री सभापति: श्री बाबुलाल।

श्री बाबुलाल (झाडोल): माननीय सभापति महोदय जी, आज ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है। गोमाता में लम्पी नामक महामारी के विषय में, काफी सदस्यों ने आरोप-प्रत्यारोप किया। यह विषय आरोप-प्रत्यारोप का नहीं है। गोवंश को बचाने का विषय है। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम सब लोग मिलकर कितना अच्छा कर सकते हैं। ये हमारे विचार आने चाहिये। कुछ लोग केन्द्र पर आरोप लगा रहे हैं, राज्य कुछ करेगा नहीं, केन्द्र सब कुछ करेगा और वाहवाही लूटने का हम काम करेंगे। यह विषय भी नहीं आना चाहिये।

(श्री बाबुलाल)

सभापति महोदय, मैं ट्राइबल क्षेत्र की बात करूंगा, क्योंकि जनजाति व्यक्ति के हर परिवार में एक मवेशी होता है, मवेशी रखते हैं और बैलों से अपनी खेती करते हैं। बिखरी आबादी है। वहां पर मैंने देखा, वहां पर बीमारी बहुत पहले फैल गयी थी। मैंने जिला चिकित्सा अधिकारी से बात की। उन्होंने कहा इधर बीमारी नहीं है। मैंने कहा बीमारी है, आप जाकर देखिये और देखने के बाद में भी काफी मवेशियों की मौत हुई। जहां तक आइसोलेट कैम्प की बात है, वे लोग इतने समझदार नहीं हैं कि उस मवेशी को ले जाकर के कैम्प में रखेंगे, लेकिन जागरूकता नहीं होने के कारण और आपके हास्पिटल में पशु संसाधनों की स्थिति क्या है? वहां पर न तो आपका डाक्टर है, न आपका नर्स स्टाफ है। उनकी देखभाल कौन करेगा और इसके कारण से काफी मवेशियों की मौत हुई है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानरवा है, वहां पर कुछ लोग मवेशी लेकर गये। मुझे फोन किया, भाई साहब यहां डाक्टर नहीं है, हम मवेशी कहां लेकर जाएं। मैंने डीडी से बात की। डीडी ने कहा साहब हास्पिटल खाली है, खाली है तो मवेशियों का क्या करेंगे हम? मतलब यह स्थिति है और झाड़ोल एक ऐसा क्षेत्र है, जो उदयपुर के आधे दूध की पूर्ति करता है। आज उनके मवेशियों के हालत क्या है? जिस प्रकार से पहले आपको पता था कि बीमारी हमारे राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है तो पूर्व तैयारी हमारी क्या थी? हमें करनी चाहिए न। क्यों चिन्ता नहीं की और बीमारी बहुत ज्यादा फैलने के बाद हम कहेंगे कि अब हम चिन्ता कर रहे हैं तो बीमारी फैलने के बाद में तो और ज्यादा फैलती जायेगी।

हमारे यहां मृत पशुओं के विषय पर लोगों ने बहुत बात की है कि मृत पशुओं को जमीन में गाड़ने के लिए पंचायतों को कह दिया, मौखिक आदेश में कह दिया, पैसा कहां से आयेगा। वहां पर जेसीबी तो है नहीं, खड्डा कौन खोदेगा तो ये चिन्ता भी हम नहीं करते हैं। ये मवेशी मरने के बाद में नदी, नालों से बहकर के तालाबों में जाती है और तालाबों में जाती है। कोटड़ा में जोगीवड़ बांध की चर्चा कर रहा हूं। वहां से पेयजल आपूर्ति होती है और वहां पर विभाग को पेयजल आपूर्ति बन्द करनी पड़ी। ये स्थिति है। ये नहीं हो कि यह बीमारी इंसानों में भी फैल जाये।

सभापति महोदय जी, सरकार की जो नाकामी रही है। यह नाकामी हमको छिपानी नहीं चाहिये। हम सबको मिलकर के सकारात्मक प्रयास करके और इस गोवंश को बचाना चाहिये।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री बाबुलाल (झाडोल): गाय ऐसी चीज है, जिसका दूध भी काम आता है, पेशाब भी काम आता है और उसका मल भी काम आता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए काम आता है। हम सबको मिलकर के बचाना चाहिये। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुरेश मोदी।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): आज गोमाता की जो हालत हो रही है, वास्तव में बड़ी गम्भीर है। हर जगह गोमाता लम्पी डिजीज से पीड़ित है, बीमार है। इस महामारी से बड़ी संख्या में गायें मर रही हैं। जिस गोमाता को हम पूजते आये हैं, उसकी यह स्थिति देखकर हम सभी बहुत दुखी और व्यथित हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि मामले की गम्भीरता को देखते हुए सभी सम्भव उपाय युद्ध स्तर पर कराने की व्यवस्था करें। वैक्सीनेशन में तेजी लायी जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि सारी गायों को वैक्सीनेशन लगे। दवाइयों की उपलब्धता अच्छी है, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, लेकिन इसको निरन्तर बनाये रखें। इसमें किसी तरह की कमी नहीं आये। गायों को पौष्टिक आहार के लिए भी सरकार अपनी ओर से कोई सहायता दे। जिससे कि इम्युनिटी ठीक हो सके। गायों को उनके रहने की जगह से क्वारंटीन सेन्टर तक लाने की कोई व्यवस्था नहीं है, आवारा गायें हैं, वे तो काबू में ही बड़ी मुश्किल से आती हैं तो उसके लिए भी सरकार की ओर से कोई सहायता राशि दी जानी चाहिये।

गायों के अन्तिम संस्कार के लिए भी सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है कि सरकार सरपंचों को साढ़े तीन हजार रुपये दे रही है जबकि सरकार की ओर से कोई सहायता गायों के अन्तिम संस्कार के लिए नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है कि उनके अन्तिम संस्कार के लिए भी पंचायतों को, आपने पंचायतों को बाध्य तो कर दिया, लेकिन उनको कुछ सहायता राशि दी जाये।

जिन गोशालाओं के या जिन गो-पालकों के गोवंश की मृत्यु हो जाती है, उसको सरकार की ओर से कोई मुआवजा राशि दी जाये। इस तरह की भी सरकार कोई व्यवस्था करे। मेरे यहां दो-तीन किस्से देखने में आये हैं जिसमें जिन्दा गाय को खड्डा खोदकर लोग डाल गये हैं तो ऐसी घटनाएं नहीं हों, इसके लिए भी सरकार कोई व्यवस्था करे।

कांग्रेस के सभी विधायकों ने दस-दस लाख रुपये अपने विधायक कोष

(श्री सुरेश मोदी)

से दिये हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि गोमाता के इलाज के लिये जितनी भी और राशि की आवश्यकता हो हम लोग देने को तैयार हैं और एक एंबुलेंस को इसमें स्वीकृत किया जाये एमएलए लैड से हम दे सकें तो जानवरों के लिये खास तौर से गोमाता के लिये हम लोग एंबुलेंस देने को तैयार हैं। मेरा उन सभी विधायकों से जिन्होंने अभी तक दस लाख रुपये अपने विधायक कोष से नहीं दिये हैं आग्रह है निवेदन है कि वो भी शीघ्र से शीघ्र इसमें सहयोग करें और अपने विधायक कोष से राशि दें। मेरा राजस्थान के सभी सांसदों से भी निवेदन है कि वे भी अपने जो भी कोष की राशि है उससे इस महामारी के लिये सहयोग करें। मैं इस सदन के माध्यम से उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं दानदाताओं का, गोसेवकों का और स्वयंसेवी संस्थानों का जिन्होंने इस महामारी में गोमाता को बचाने के लिये उसके इलाज के लिये सहयोग किया उन सबका मैं इस सदन की ओर से धन्यवाद करता हूं।

श्री सभापति: एक मिनट में बात समाप्त करें अपनी।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): धन्यवाद।

श्री सभापति: एक मिनट आप और बोल सकते हैं। समाप्त हो गयी आपकी बात? श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आज लम्पी जैसी गम्भीर बीमारी जो गोमाता में फैली है उसकी चर्चा में भाग लेने के लिये आपने मुझे मौका दिया उसके लिये धन्यवाद। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने अच्छी-अच्छी बातें और सारे जो आंकड़े हैं, वे सदन के सामने अपने-अपने विचार रखे हैं। मैं सबसे पहले तो इस प्रदेश के समस्त गोभक्तों को और उन भामाशाहों को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस लम्पी जैसी घातक बीमारी में गोमाता को बचाने के लिये हरसम्भव प्रयास किये। हम किसी भी विषय पर गम्भीरता की बात जरूर करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं गम्भीरता की कमी इस लम्पी बीमारी में देखने को मिली। सरकार को कहीं न कहीं इस मामले में विशेष सत्र बुलाने की भी आवश्यकता के लिए पूरे प्रदेश का आम व्यक्ति जो अपेक्षित था कि सरकार इस पर कोई विशेष सत्र रखे। हालांकि मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इस मामले में जब भी इनसे सम्पर्क करने का प्रयास किया, इन्होंने हरसम्भव मदद का आश्वासन दिया। अभी पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने यह बात जरूर कही कि लम्पी जैसी बीमारी में हमने अपने विधायक कोष से दस-दस लाख रुपये, किसी ने

(श्री नारायण बेनीवाल)

कहा पन्द्रह लाख रुपये दिये हैं और यह सही बात है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी विधायक कोष से दस लाख रुपये दिये थे, लेकिन सरकार में बैठे लोगों को मैं यह परिपत्र जो वित्त विभाग का एक आदेश है 29.08.2022 का, इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि वह पैसा जो एक किस्त, प्रथम किस्त जो ढाई करोड़ रुपये है, प्रत्येक विधायक के मद में जो जिला परिषदों को हस्तांतरण करनी चाहिये थी, वह पैसा ही कल हस्तांतरित हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा सत्ता में बैठे सभी लोगों को कि सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने लैटरहैड पर लिखकर के और पोस्ट डालने से कोई लम्पी बीमारी नहीं भाग जायेगी, पैसा सरकार ने दिया ही अब है। कल वह पैसा आया है। पहले यह आदेश निकाला कि प्रत्येक कलेक्टर पचास लाख की दवाइयां खरीदने को अधिकृत होंगे। उसके बाद यह निकाला कि यह नहीं होगा। अब आप सीएम रिलीफ का नया फंड जो बनाया है उसके अन्दर आप पैसा दो। हमने 12 अगस्त को यह हमारे लैटर हैड पर जारी कर दिया था, लेकिन जब जिला परिषद् से जानकारी ली, तब यह मामला संज्ञान में आया कि सरकार ने अभी पैसा ही नहीं दिया है, यह पैसा ही कल या परसों में ही आया है। गोसेवा आयोग के हमारे बाड़मेर से आने वाले माननीय विधायक महोदय अभी विराजमान हैं और गोपालन मंत्री भी आये थे। इन्होंने यह कहा कि मुख्य मंत्री जी बड़े संवेदनशील हैं। यह बात ठीक है मुख्य मंत्री जी संवेदनशील हैं, लेकिन आप लोगों ने मुख्य मंत्री जी को इतना दुःखी कर रखा है कि वे संवेदनशीलता में काम नहीं कर पा रहे हैं। आप और मंत्री महोदय भी नागौर की गोशालाओं में आकर गये हैं। आप कहते हो न कि राजनीतिक बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होना है। यह सही बात है कि लम्पी जैसी बीमारी गोमाता का जो नाम लेकर और गाय को जो माता का दर्जा दिया है, इस पर हम राजनीतिक विचाराधारा से ऊपर उठकर अपने विचार व्यक्त करें। आप नागौर भी पधारे और आपने सिर्फ अतिआधुनिक जो दो गोशालाएं हैं उनमें बिना किसी जन प्रतिनिधि को सूचना दिये दौरा किया। दूसरे दिन हमने अखबारों के माध्यम से पढ़ा कि माननीय मंत्री जी यहां पधारे थे, उससे गाय को क्या फायदा हुआ? आप वहां आते।

मैं छोटी-सी एक बात बताऊं। जब हम छोटे थे, पढ़ते थे तो जो बच्चा

(श्री नारायण बेनीवाल)

यह नहीं जानता था, उससे एक प्रश्न पूछा गया कि दो दुधारू प्रजातियों के नाम बताओ तब उसने लिखा कि एक माताजी और दूसरे ड्रम वाले अंकल। उसको यह पता ही नहीं था कि दुधारू कितनी प्रजातियां हैं तो उन लोगों से आपने संवाद स्थापित किये जिन लोगों को लम्पी के बारे में ज्ञान नहीं था।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): आप समस्त जन प्रतिनिधियों को वहां लाते तो कम से कम इसके अन्दर कोई न कोई बड़ा एक परिवर्तन हम लोग मिलकर कर सकते थे। गोमाता को बचाने के लिये पक्ष और विपक्ष के सब लोग राजनीतिक विचाराधारा से ऊपर उठकर प्रयास करें और माननीय विधायकों ने पैसा दिया और सांसदों की बात जो कर रहे हैं आप कम से कम पच्चीस सांसदों की बात मत कीजिये। एक सांसद आरएलपी से जो जीत कर आये हैं, उन्होंने सबसे पहले लम्पी बीमारी का लोक सभा के अन्दर जिक्र किया, आप लोगों ने सबने देखा और हमारे उप नेता और हमारे माननीय कटारिया जी विराजमान हैं, मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि राजनीतिक विचारधारा को त्याग कर एक ऐसा पत्र हम सबको मिलकर प्रधान मंत्री जी को भी लिखना चाहिये कि एमपी हैं, वो भी कम से कम इसके अन्दर पैसा दें, क्योंकि यह सही बात है कि कोरोना के बाद सभी जो एमपी हैं उनका पैसा फ्रीज कर दिया सरकार ने, विकास का कोई पैसा जारी नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी कोई न कोई व्यवस्था हम सब लोग मिलकर करें और हमारा प्रयास रहे कि गोमाता को हम कैसे बचायें, कैसे हम लोग इस बीमारी से...।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): मैं दो-तीन सुझाव माननीय मंत्री जी को दूंगा। एक तो जो मृत गोवंश है इनके अन्तिम संस्कार के लिये कहीं जगह उपलब्ध नहीं है तो आप राजस्व मंत्री जी के साथ और सम्बन्धित जो कलेक्टर हैं हर गांव के अन्दर यह स्थिति है कि गायें खुले के अन्दर पड़ी हैं। बहुत बड़ी महामारी फैलेगी तो उनको कहीं न कहीं जमीन चिह्नित करके और जमीन अलाट की जाये और पद भरे जायें और एमएलए लैड के अन्दर जो एंबुलेंस वगैरह की बात हमारे माननीय विधायकों ने की यह सब अलाउ यदि आप करेंगे...

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री सुरेश सिंह रावत।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): ...और एक सर्वे करा कर उचित

(श्री नारायण बेनीवाल)

मुआवजा किसानों को दिया जाये जिन-जिन का गोवंश मरा है और मुआवजे में...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी। माननीय सदस्य, आपका नाम बुलाया तब आप खड़े नहीं हुए। विराजिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गोमाता के जीवन की रक्षा के प्रति, पशुपालकों के हितों के प्रति आकर्षित करना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, लम्पी वायरस से गायों की लगातार मौत हो रही है। मृत गोधन के शरीर की इस प्रकार की दुर्दशा के लिये यह सरकार जिम्मेदार है तथा प्रशासन कुम्भकरण की नींद सो रहा है जो कुछ हो रहा है उसको मूकदर्शक की तरह देख रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन गोभक्तों का, उन सामाजिक संस्थाओं का जो जोर-शोर से जी-जान से गोमाता को बचाने के लिये जुटी हुई है।

माननीय सभापति महोदय, गोमाता की मेरे से दुर्दशा देखी नहीं गयी और एक गोमाता को कल मैं विधान सभा लेकर आया था तीन बेरीकैड्स पुलिस के पार करके हम राजस्थान विधान सभा के गेट के बाहर आये तो पुलिस ने डंडों के जोर से उस गोमाता को वहां से भगाने का काम किया और इस गोमाता का पाप 2023 में कांग्रेस सरकार को लगेगा और इसको जड़ से उखाड़ फेकेंगी गोमाता।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा निवेदन है कि राजस्थान में पिछले तीन महीनों से लम्पी वायरस गोमाताओं पर कहर बरपा रहा है इस जानलेवा वायरस से अब तक एक लाख से ज्यादा गोमाताओं की दुखद मृत्यु हो चुकी है साथ ही दस लाख से ज्यादा संक्रमित गोमाताएं हैं। सरकार द्वारा अब तक किये गये प्रयासों से न तो गम्भीरता दिखती है और न ही संवेदनशीलता दिखती है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रत्येक विधायक ने दस-दस लाख रुपये इस बीमारी के लिये दिये, लेकिन समय रहते अगर प्रशासन और सरकार चेतती और पैसे सही जगह काम में आते तो इस बीमारी पर अंकुश लगता, लेकिन बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी वह पैसा सीएम रिलीफ फंड में पड़ा है वह पैसा ये रिलीज नहीं कर रहे हैं दवाइयां नहीं खरीद रहे हैं, इससे यह बीमारी महामारी का रूप ले रही है।

(श्री सुरेश सिंह रावत)

माननीय सभापति महोदय, सरकार से मेरी कुछ मांग है। पूरे प्रदेश का सर्वे कराकर सरकार तुरन्त प्रति पशु मुआवजा जारी करे। सरकार पशुपालन विभाग में तुरन्त चिकित्साकर्मी एवं अन्य पदों पर आपात भर्ती करे। इस बीमारी को तुरन्त राज्य आपदा घोषित करे। गोशालाओं, व्यक्तिगत गोपालकों तथा बेसहारा गोधन को इस तेजी से फैल रही महामारी से बचाने के लिये युद्धस्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जाये। जिन पशुपालकों ने विभिन्न बीमा कम्पनियों से अपने गोधन का बीमा करवाया है, बीमा कम्पनियां अब क्षतिपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त कर रही हैं ऐसे गोपालकों का एक अल्पकालीन सर्वे कराकर उनकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करे। गोपालकों को नया पशुधन खरीदने के लिये ब्याज रहित ऋण दिया जाये। गोशालाओं को तुरन्त अनुदान जारी करे। सम्पूर्ण प्रदेश में हजारों की संख्या में गोधन स्थान-स्थान पर मृत पड़ा है....

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): ...जिसके कारण से प्रदेश में बहुसंख्यक समाज की भावनायें आहत हो रही हैं। वहीं किसी महामारी के फैलने की आशंका भी प्रबल हो रही है। अत: मेरा सरकार से निवेदन है कि अविलम्ब मृत गोधन के शवों को पूर्णत: वैज्ञानिक तरीके से धार्मिक रीति रिवाज के साथ निस्तारण करने की व्यवस्था करें।

माननीय सभापति महोदय, संविधान के आर्टिकल 296 के अन्तर्गत बनी 7वीं अनुसूची में वर्णित तृतीय सूची की एंट्री 15 में राज्य सरकार का दायित्व है कि वह राज्य के पशुधन, गोधन से संबंधित बीमारियों की रोकथाम एवं संरक्षण का कार्य करेगी, मगर सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों से पीछे भाग रही है और गोमाता के जीवन को बचाने के लिये कोई सकारात्मक कार्य नहीं कर रही है। मेरी सरकार से मांग है कि राज्य सरकार इस विषय पर संवेदनशीलता के साथ अपने नैतिक एवं संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करे और गोमाता के प्रति संवेदनशील होकर उनको बचाने का प्रयास करे। जय हिन्द, जय पुष्करराज।

श्री सभापति: श्री आलोक बेनीवाल (अनुपस्थित), श्री रामलाल मीणा (अनुपस्थित), श्री हाकम अली खां।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, लम्पी रोग पर चर्चा में मुझे शामिल होने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभार

(श्री हाकम अली खां)

एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पहले मैं लम्पी चर्म रोग से पीड़ित गायों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और गोमाता को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

राजस्थान सहित पंजाब, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों की गायों व मवेशियों में लम्पी वायरस संक्रमण फैल चुका है। हम इंसानों में संक्रमण से फैलने वाली कोरोना महामारी की भयावहता को देख चुके हैं। हम इंसान तो बोल कर अपना दर्द बयां कर सकते थे, लेकिन यह बेजुबान पशु अपना दर्द भी बयां नहीं कर सकते। गोवंश के साथ ही हम इंसानों पर भी कोरोना के बाद पुन: यह बहुत बड़ी आपदा आई है। मैं हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी व पशुपालन मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनके कुशल प्रबंधन से गोवंश को बचाया जा रहा है। साथ ही गोवंश के उपचार हेतु बजट की कमी न आये, इसके लिये इन्होंने विधायक स्थानीय विकास कोष से राशि स्वीकृत करने की अनुमति दी, इसके लिये भी मैं सरकार और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, पिछले दो दिन से देखा जा रहा है कि सदन में बैठे विपक्ष के साथियों को गाय की बड़ी पीड़ा सता रही है। यह गाय के नाम पर वोट लेते हैं और गोभक्त होने का पूरा प्रचार करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आप लोगों के गोभक्त प्रधान मंत्री मोदी जी से राजस्थान को क्या दिलवाया? राजस्थान की जनता ने 25 सांसद जिता कर भेजे, माननीय सांसदों ने कितना बजट राजस्थान में गोसेवा के लिये दिया? इससे अच्छा यह होता कि जनता को गुमराह करने के बजाय प्रधान मंत्री जी से कहते कि जैसे राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने शिथिलता दी है, उसी तरह सांसदों को भी शिथिलता दी जाय, जिससे प्रधान मंत्री जी से राशि स्वीकृति के आदेश जारी करवाते। लम्पी रोग राष्ट्रीय महामारी घोषित करवाते लेकिन गायों की महामारी के बजाय इनको चीतों की चिंता थी। चीतों की चिंता करने वाले थोड़ी सी गाय की चिंता करते तो आज यह स्थिति नहीं होती। आज आप सदन में और राजस्थान में घड़ियाली आंसू बहा रहे हो और देशभर में गोमाता अकाल मौत मर रही हैं, लेकिन केन्द्र सरकार चुप है। केन्द्र में आपकी सरकार है। न तो आपका हाई कमान बोल रहा है और न ही आपकी सरकार बोल रही है। अगर लम्पी चर्म रोग को महामारी घोषित कर दिया जाता तो केन्द्र सरकार का क्या

(श्री हाकम अली खां)

हो जाता? परन्तु इस मुद्दे पर गाय और गंगा के नाम पर सियासत करने वाले अब एकदम खामोश हैं। इससे इनकी मंशा का पता चलता है। मैं केन्द्र की भाजपा सरकार और विपक्ष के साथियों से पूछता हूं कि देश में कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है और वहां क्या इंतजाम हैं? राजस्थान में गाय के नाम पर चिल्लाने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान पहला राज्य है जहां पर गायों के लिये 9 माह का अनुदान है। यहां प्रति पशु अनुदान राशि 32 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये की गई है। हमारी सरकार ने पूर्व में भी अनुदान को 3 माह से बढ़ाकर 6 माह किया था और अभी 6 माह से बढ़ाकर 9 माह किया है। इससे सरकार पर 350 करोड़ का अतिरिक्त भार आया, लेकिन हमारे संवेदनशील मुख्य मंत्री जी ने इसे स्वीकार किया, क्योंकि यह हमारा कर्तव्य और धर्म है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। आज विपक्षी साथी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हालांकि मैं प्रदेश के पशुपालकों के साथ हूं, खिलाफ नहीं हूं। इस दुख की घड़ी में हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है लेकिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहां पर कितना मुआवजा दिया जा रहा है? गुजरात में, हरियाणा में गायें मर रही हैं, वहां कौन जिम्मेदार है?

श्री सभापति: एक मिनट में बात समाप्त करें।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): अपने जन्म दिन पर 8 चीता लेकर आये जिसमें करोडों रुपये खर्च कर दिये। ठीक है, लुप्त होती प्रजाति को संरक्षित करने का प्रयास होगा लेकिन गाय पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? विदेशी चीतों के भोजन के लिये अब हिरण पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है जिससे हमारे विश्नोई समाज के लोग आहत और आक्रोशित हैं। राजस्थान में बड़े वर्ग की आय पशुपालन पर निर्भर है। सदन की भावनाओं को देखते हुए मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि लम्पी चर्म रोग को महामारी घोषित करें, ताकि बजट को काम में लिया जा सके। साथ ही राज्य सरकार से भी मैं मांग करता हूं कि राजस्थान में पशुपालकों का दूध बेचकर रोजी रोटी का एक जरिया था, वह खतम होता जा रहा है इसलिए जिन पशुपालकों की गाय की मृत्यु हुई है, उनको मुआवजा दिया जाय और जैसा कि मेरे साथियों ने भी कहा कि एक एम्बुलेंस खरीदने की भी स्वीकृति दी जाय। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, जय हिन्द, जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्रीमती दीप्ति किरण।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, आज लम्पी डिजीज पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद। मेरे से पहले भी बहुत से वक्ताओं ने यह बात बोली कि लम्पी डिजीज एक बहुत गम्भीर विषय है। यह विषय आज हम यहां चर्चा में लाये हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ा गंभीरता से सोचने का विषय है। मैं पूरे प्रदेश की बात न रखते हुए स्ट्रेट टू द पाइंट रखना चाहूंगी, क्योंकि समय कम है। मैं राजसमन्द की बात इस सदन के पटल पर रखना चाहूंगी।

1 जून को जब जैसलमेर में पहली बार यह लम्पी डिजीज का केस आया तो सरकार को चाहिये था कि वह प्रोएक्टिव बिहेवियर रखकर प्रिकोशंस लेते हुए बाकी की सारी जगह, उन सब विधान सभाओं में, उन सब जिलों में एटलीस्ट वैक्सीनेशन चालू करते, जिसकी वजह से यह लम्पी डिजीज नहीं बढ़ती। सभापति महोदय, हमारे यहां राजसमन्द में तब एक भी केस नहीं था और धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते आज सुबह की यह स्थिति है, आज सुबह के आंकड़ें हैं कि 20 हजार से ज्यादा गायें आज हमारे यहां पर लम्पी से ग्रसित हैं और यह सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। हम यह समझ सकते हैं कि सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा वहां पर यह लम्पी डिजीज फैल चुकी है। सभापति महोदय, मेरे को मन में पीड़ा सिर्फ इस बात की है कि जब एक प्लान करके चीजों को आगे बढ़ाने का हमारे पास इतना समय था, तब हमने कोई भी एक्शन उस पर लिये नहीं और आज जब यह डिजीज हमारे कंट्रोल से बाहर है तो हम बहुत ईजीली यह बात कह सकते हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगा सकते, क्योंकि 21 दिन तक उस क्षेत्र में वैक्सीनेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं किया गया, क्यों हमारे यहां गायों को मरने के लिये छोड़ दिया गया और यह डिजीज इतनी आगे बढ़ी?

सभापति महोदय, मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगी कि मेरी विधान सभा राजसमन्द में 24 डाक्टर्स की पोस्ट हैं। 8 डाक्टर्स कार्यरत हैं। आधे से ज्यादा पशुपालन सेंटर बन्द हैं, उन पर ताले लग रहे हैं, वह खुले भी नहीं हैं। अगर कोई फोन करता है तो इन 8 डाक्टर्स में भी सीधे-सीधे यह बोला जाता है कि आप हमारे को मेडिसिन प्रोवाइड करें तो वह एक पर्ची पर लिखते हैं, वह यह बात बोलते हैं कि जाओ प्राइवेटली यह मेडिसिन खरीदो। एक हफ्ते पहले मैंने पशुपालन विभाग के अधिकारियों से पूछा कि मैंने जो 10 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं, आप मुझे उसकी डिटेल दीजिए कि कहां-कहां किस-किस पंचायत में कितनी दवाइयां आप लोगों ने पहुंचायी हैं और क्या

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

आंकड़ें हैं, कितनी गायें बीमार थीं, उस हिसाब से दवाइयां पहुंची या नहीं पहुंची? मंत्री महोदय, मुझे यह बोलते हुए दुख हो रहा है कि उन्होंने मुझे यह बात बोली कि हम पंचायत समिति के हिसाब से आपको दे देंगे लेकिन पंचायत वाइज कोई आंकड़ा नहीं है। दवाइयां जब पंचायत वाइज डिस्ट्रिब्यूट हुईं, ऐसा हमें कहा जा रहा है कि हम डिस्ट्रिब्यूट कर रहे हैं तो वह दवाइयां जा कहां रही हैं? लोगों तक तो वह दवाइयां पहुंच नहीं रहीं।

आज मार्निंग का ही एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूंगी। मंत्री महोदय, मेरे क्षेत्र में बामन टुकड़ा एक पंचायत है। वहां के एक पशुपालक ने वहां के एलएसए को फोन किया और उसको बोला कि हमें दवाइयों की सख्त से सख्त जरूरत है, क्योंकि आइसोलेशन सेंटर्स बने हुए अभी एक हफ़्ता ही हुआ है। उन आइसोलेशन सेंटर्स में दवाइयां नहीं हैं। उस एलएसए का उस पशु पालक को यह जवाब था कि हमारे यहां पर तो सिर्फ रूई और पट्टी मौजूद है, आपको जो दवाइयां लानी हैं, आप मार्केट से लेकर आओ। उस पशुपालक की आर्थिक स्थिति क्या होगी? मुझे पता है कि समय बहुत कम है मैं जितने पाइंट रख सकूंगी, उतने रख लूंगी।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं आपको यही निवेदन करूंगी कि हर कोई बचाने की कोशिश कर रहा है, हर किसी का सहयोग है। जनता भी दे रही है और सरकार भी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह धरातल पर नहीं उतर पा रहे हैं। 10 लाख रुपये देने के बावजूद भी आज हमें यह नहीं पता कि हमारे यहां की गायें सुरक्षित रहने वाली हैं या नहीं रहने वाली हैं। जब एलएसएज ने हड़ताल की थी, उस टाइम पर उन अधिकारियों ने डायरेक्टली यह बोला कि विधायक को फोन करो और उनसे बोलें कि वे गायों के लिए कुछ करें, हम तो कुछ नहीं कर सकते। यह आपके अधिकारियों ने रिकार्ड पर बोला है।

श्री सभापति: प्लीज समाप्त करें। सहयोग करें। श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आखिर में, मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि वेटरिनरी एम्बुलेंस आप जरूर से इसके अन्दर एड करें और जितनी सहायता हम पशुपालक की कर सकते हैं, हम उनको मुआवजा जरूर से जरूर दें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को, वास्तव में जब इस बीमारी को अप्रैल में जैसलमेर में आईडेंटीफाई कर दिया तो फिर हमने इसको रोकने के लिए क्या-क्या प्रयास किये? महीने-वाइज कुछ रिपोर्ट मंत्री महोदय यहां सदन में रखेंगे तो कम से कम आपकी बात को जनता स्वीकार करेगी। मैंने जो कुछ पढ़ा और जो कुछ समझा है, उससे लगता है कि मंत्री जी सीरियस हों। आपके डिपार्टमेंट ने किस तरह से इस बीमारी को लिया और क्या काम किया, वह मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला पत्र डा. प्रवीण मलिक, ये भारत सरकार में पशुपालन आयुक्त हैं। इन्होंने आपको एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने जो शब्द प्रयोग किये, वे आपकी और मेरी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त हैं। उन्होंने लिखा, this is in reference of newspaper reported, उन्होंने अनेक्श्चर (1) लगाया, regarding the incidence of the Lumpy skin disease (LSD) in various districts of Rajasthan affecting large number of cattle. In this regard immediate strict measures as per the advisory needed. मतलब आपको पहली बार, आप इससे भ्रमित मत करो और राजस्थान की जनता को समझने दो कि आपने और आपके डिपार्टमेंट ने यह जो पहली चिट्ठी है, केन्द्र सरकार के डिपार्टमेंट ने आपको 22 जुलाई को लिखा। आपके यहां पर बीमारी अप्रैल में शुरू हो गयी थी और यह आपने स्वयं ने कहा है तो आखिर इतना डिले। उन्होंने यह पत्र लिखकर उसमें यह रेफरेंस दिया है कि अखबारों को पढ़ने के बाद यह महसूस हुआ है कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में यह बीमारी बहुत तेज गति से फैल रही है। आपमें से कई लोगों को पत्थर फेंकने की आदत पड़ी हुई है। आप सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते।

आपको बार-बार इस बीमारी के बारे में केन्द्र सरकार के अधिकारियों ने चेताया है। मैं आपको एक-एक डिटेल बताता हूं। भारत सरकार द्वारा गौ-धन में फैल रही लम्पी बीमारी के रोकथाम के लिए किये प्रयास - केन्द्रीय टीम द्वारा राजस्थान में भ्रमण और बैठक कब-कब की? यहां पर केन्द्रीय टीम आयी है, 25 जुलाई, 2022 को, 1 अगस्त, 2022 को, 4 अगस्त, 2022 को और 06 अगस्त, 2022 के दिन केन्द्र के पशुपालन मंत्री पुरुषोतम रूपाला जी ने आकर आप सब लोगों की बैठक ली या नहीं ली? ली थी? 22 जुलाई के बाद उन्होंने आपको 26 जुलाई को एक और पत्र लिखा। 26 जुलाई को पत्र

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लिखने के बाद आपका राजस्थान का डिपार्टमेंट एक्टिव हुआ। ऐसा नहीं हो तो मुझे रिकार्ड से देखकर बताना। राज्य सरकार ने पहली बार 27.07.2022 को गाइडलाइन जारी की है, जब उनका दुबारा 26.07.2022 को पत्र आया। यह आपके डिपार्टमेंट की दशा है। फिर भी आप सब लोग बजाओ ताली, बजाओ ताली। गलती जहां पर भी है, उसको सुधारो। उसके लिए किसी न किसी व्यक्ति को जिम्मेदार बनाओ। अगर हमारी छोटी-सी गलती से, अगर अप्रैल के समय घटना घटी और उस समय अगर आप प्रिकोशन लेते तो राजस्थान में इस प्रकार की महामारी नहीं फैलती। उसको रोका जा सकता था, लेकिन आपने उसकी चिन्ता नहीं की। उसके बाद आपने 02.08.2022 को एक और सर्कुलर निकाला। आपके सेक्रेटरी साहब को पूछ लेना और बताना कि औषधि क्रय करने के लिए शासन सचिव, पशुपालन विभाग ने पहली बार अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक को आवश्यक औषधियां क्रय करने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित कीं, लेकिन यह आर.टी.पी.पी. एक्ट के नियमों के प्रावधानों के अनुसार क्रय करने की स्वीकृति दी गयी। यह 02.08.2022 का है। उसके बाद फिर 25.08.2022 का आपका आदेश है। 25.08.2022 को राज्य सरकार ने पहली बार आर.टी.पी.पी. नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए जिला कलेक्टर को भी लम्पी बीमारी के उपचार के लिए आवश्यक औषधियां खरीदने के लिए.., यह 25.08.2022 का लैटर है। क्या तो वह दवाई खरीदेगा? क्या वह फील्ड में जायेगा?

हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं और केवल ढकने का प्रयास करते हैं। इस तरह डिपार्टमेंट कभी नहीं सुधरेगा। मैं किसी व्यक्ति की कमी नहीं मानता हूं, लेकिन जिस प्रकार के आदेश हैं। ये आपने गोट पोक्स का टीकाकरण करने के जो निर्देश दिये हैं, वे आपने 10.09.2022 से लेकर 16.09.2022 के बीच में दिये हैं। आप सोच सकते हैं कि जब इस प्रकार से डिपार्टमेंट चलता है। आप बार-बार कहते हैं कि दिल्ली से हमको वह नहीं मिला, वह नहीं मिला। उन्होंने ही आपको चेताया है, नहीं तो आपका डिपार्टमेंट तो नींद निकाल रहा था। आप इस सच्चाई को स्वीकार करें और इसके लिए किसी न किसी को जिम्मेदार बनायें। क्या मजाक कर रखा है?

अप्रैल में बीमारी आपके ध्यान में आयी और आपने पहली बार 27.07.2022 को आदेश निकाला कि हमको गाइडलाइन का क्या करना है? डिपार्टमेंट है या मजाक है? आप थोड़ा-सा विचार करें। अभी राजस्थान की जो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

स्थिति है। मैंने 18 सितम्बर के आंकड़े लिये हैं। उसमें राजस्थान में 34 में 33 जिले प्रभावित हैं। आपने जो 18 तारीख का चार्ट दिया है, उसमें आप 13 लाख 2 हजार 907 कुल बीमार मानते हैं। आपके पास जो उपचार के लिए आये हैं, वे 12 लाख 49 हजार हैं। स्वस्थ हुए पशुओं की संख्या 7 लाख 72 हजार है। बाकी कहां गये? अगर आपके इतने पशु बीमार थे और इतने स्वस्थ हुए तो बाकी कहां गये? ये 4 लाख 47 हजार पशु कहां हैं? क्या कोई गणित समझता है? क्या कोई इस पर विचार करता है कि दिमाग में क्या हो रहा है? आप हमको चार्ट के ऊपर फिगर लिखकर दे रहे हैं कि राजस्थान में 59 हजार 27 पशु मरे हैं तो क्या बाकी हवा में उड़ गये? कुछ तो बताना चाहिए कि यह क्या हो रहा है? आपने पशुओं को लगायी गयी वैक्सीन की संख्या दी है। वैक्सीन 10 लाख लगायी है। आपको वैक्सीन कब मिल गयी? यह बता देना। कौनसी तारीख को आपको केन्द्र सरकार ने, केन्द्र के पशुपालन मंत्री जब यहां आकर गये थे तो उसके बाद 60 लाख वैक्सीन, एक-दो नहीं, 60 लाख वैक्सीन उपलब्ध करायी गयी थी, लेकिन उसके बाद भी आप मुझे 10 लाख वैक्सीन का आंकड़ा दे रहे हो। आपकी मृतक पशुओं की संख्या के बारे में निश्चित रूप से कमेटी बनाकर जांच होनी चाहिए। यह क्या तमाशा हो रहा है?

जितने भी सरपंच हैं, आपने उनसे जो सूचना मंगायी है और उसके जो आंकड़े इकट्ठे हुए, उनमें सरपंचों ने 8 लाख पशुओं की डैथ का आंकड़ा अपनी-अपनी पंचायत के आधार पर आपको भेजा है। आपके वीडीओ ने जो रिपोर्ट भेजी है, उसमें 7 लाख से अधिक पशु मरे हैं। यह उनकी रिपोर्ट है। आपका डिपार्टमेंट बता रहा है कि हमारे यहां केवल 59 हजार पशु मरे हैं। क्या सच है, क्या गलत है, इसका तो कोई जवाब देने वाला चाहिए। क्या चीज हो रही है, क्या तमाशा हो रहा है। राजस्थान की जनता आपको और मुझको, दोनों को, सबको देख रही है कि क्या चल रहा है?

आपकी दशा का कारण आपके रिक्त पद हैं। उसमें आप भी हैं, हम भी हैं, सब लोग शरीक हैं। आखिर इन पदों को नहीं भरेंगे तो उसको कौन देखेगा? इतने आपके ताले लगे हुए हैं। आपने वेटेरिनरी डाक्टर की पोस्टें निकाल रखी हैं। कितने साल हो गये हैं? आज दिन तक आप परीक्षा नहीं करा पाये हैं। आज दिन तक कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट से नहीं निपटा सके। अगर वह निपट जाता तो आपको 900 पशु चिकित्सक कभी के मिल जाते, जो पांच साल से कागजों में धूल चाट रहे हैं। इस तरह के हालात हैं। मैं आपसे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपकी कमियां निकालकर अपने आपको कोई बहादुर साबित नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उस राजस्थान के किसान की कमर टूट गयी है, जो पशुधन के आधार पर ही अपने बच्चों को पाल रहा था। वही उसकी सम्पत्ति थी। सबेरे से दूध बेचकर सौ रुपये लाकर बच्चों के लिए सामान लाता था। आज पशुधन की डैथ के कारण उसकी कमर टूट गयी है। आप लोगों ने क्या किया? जब पिछली बार हमारी सरकार थी तो हमने भामाशाह पशु बीमा योजना चलायी थी और एक पशु मरने पर 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान था। इस योजना को आपने बन्द किया। उसके बाद आपने 2022-23 के अपने बजट भाषण के पैरा नम्बर 158 पर लिखा है। यह आपका ही बजट है। इसमें आपने लिखा है कि आगामी वर्ष में पशु बीमा का लाभ देते हुए लगभग 6 लाख पशुओं को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वर्ष 2022-23 में 150 करोड़ रुपये का व्यय होगा। अब 6 महीने निकल गये, अगर ये बीमा भी हो जाता तो उस गरीब की मदद हो जाती। हम क्या देखना चाहते हैं और किस तरह से इस व्यवस्था को समझना चाहते हैं? मेरे को समझ में नहीं आता कि हम लोगों का दिमाग कहां चलता है, भगवान जाने। मैं सोचता हूं कि आप थोड़ासा देखिए। आपने कहा कि आइसोलेशन कीजिए। अब गांव में जिसके दो ही जानवर हैं और दोनों ही घर के एक कोने में बंधते हैं। वह आइसोलेशन कहां करेगा? आइसोलेशन करने के लिये आपने जब 27/07 को आर्डर निकाला था, उसी दिन आपको निकालना चाहिये कि हर सरपंच अपने-अपने पंचायत एरिये में जो भी एक एरिया खाली हो, उसको बैरिकेटेड करके उस गांव के जितने भी जानवर हैं, उनको वहां लाकर इलाज कराते तो उस बीमारी को चैक किया जा सकता था।

आपने देखा होगा कि लॉकडाउन लगाया। आपने खूब विरोध किया लेकिन अगर देश का प्रधान मंत्री लॉकडाउन नहीं लगाता तो जैसे अभी हमारे लाखों पशु मरे, वैसे ही हमारे यहां लाखों आदमी मर जाते। आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन आपने गाइडलाइन की पालना करने की कोई कोशिश नहीं की। मैं सोचता हूं जितनी भी गौशालाएं चल रही हैं जिन्होंने इस पशुधन को बचाने का प्रयास किया, जिन्होंने इस काम को किया, उनको आप सपोर्ट कीजिए दवाई में या किसी न किसी तरीके से। अभी तक तो एक पैसा भी नहीं दिया। वह बार-बार आपसे मांग कर रहे हैं कि कम से कम आप हमको मैन पावर का या बाकी की कोई मदद कीजिए।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपने जो आइसोलेशन सेंटर बनाया, इसके लिये आपने किसी प्रकार की कोई जगह नहीं दी। न ही सरपंच को किसी प्रकार की कोई सहायता दी, न कोई पैसा दिया तो क्या वह अपनी जेब से करेगा? जानवर मर जाता है तो आप कहते हैं कि उसको गाड़ो। गाड़ेंगे किससे, आपने उसको जेसीबी का पैसा दिया ही नहीं, उसको जगह ही नहीं दी तो कैसे करेगा? मैं कह रहा हूं कि आप प्रत्येक तहसील पर, हमारे क्षेत्र में अब आया है। पिछले महीने से हमारे एरिये में घुसा है। उससे पहले हमारा एरिया बचा हुआ था, लेकिन उस समय अगर वैक्सीन कर देते तो निश्चित रूप से हम लोग इस बीमारी से बच जाते लेकिन इसकी भी आपने चिंता नहीं की। जितने भी तहसील हैडक्वार्टर हैं, वहां एक मूविंग करती हुई गाड़ी दीजिए। उसमें स्टाफ लगाओ। जहां से कहीं से भी सूचना मिलती है तो उसको कीजिए।

सभापति महोदय, आपसे और सदन के सभी माननीय सदस्यों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई चिन्ता की बात नहीं परंतु आप प्रत्येक किसान को, जिसका जानवर मर गया, उसको कम से कम दो लाख रुपया अभी पशु खरीदने के लिये सहायता कर दीजिए और उस पर किसी प्रकार का ब्याज मत लगाओ। उसको किस्तों में फिर से वसूल कर लो, कम से कम वह अपने बच्चों को पाल लेगा। मैं सोचता हूं इसमें किसी प्रकार का जोर नहीं आयेगा। हमको कुछ पॉजिटिव सोचकर भी आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हम इस विषय को ठीक प्रकार से कर पाएंगे।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा आपसे फिर विनम्र निवेदन है, सभापति महोदय, आप जो कह रहे हैं न मृतक पशुओं को गाड़ो, देखकर के वास्तव में दिल दहल जाता है। हम कहते जरूर हैं कि उनको गाड़ दो, परंतु उनको गाड़े कहां? न तो उसकी जगह है, न उसके पास खुदाई का साधन है। आप इस बारे में व्यवस्था कीजिए। मंत्री महोदय, मैं आपको और आपके विभाग को इस लापरवाही के लिये, राजस्थान के लिये दोषी मानता हूं कि अप्रैल में आई हुई बीमारी का इलाज आप 27/07 के दिन अपना कागज निकालकर गाइडलाइन भेज रहे हैं। आप हमसे कहते हैं कि आपने पैसे, हमने पैसे तो कब के ही दे दिये हैं। जब वीसी 15 अगस्त के दिन मुख्य मंत्री जी ने की, उसके बाद हम सब लोगों ने पैसे दे दिये। आप आज बताना कि हमारा जो फंड है, उसकी कौनसी दवाई खरीदकर कहां खर्च किया वह पैसा? वह पैसा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आज दिन तक नहीं पहुंचा। क्या मजाक बना रखा है। पैसा देने के बाद भी पैसा नहीं पहुंचता है। बहुत दुख है इस बात का। मैं सोचता हूं मंत्री जी आप अपने डिपार्टमेंट को टटोलिये। इस प्रकार की भयंकर भूल के कारण से लाखों पशु राजस्थान के मर गये और उसके कारण किसान आज की तारीख में बरबाद हो गया। उसके घर में जैसे आदमी मरता है, उस तरह से उसका जानवर मरता है, उसके घर के सब लोग बैठकर रोते हैं। उसकी पीड़ा को कौन समझेगा? कोई मदद करने को तैयार नहीं है।

मैं धन्यवाद देता हूं सदन के माध्यम से कि ये जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जितनी गौ-शालाएं हैं, जितने गौ-भक्त लोग हैं, उन्होंने हर प्रकार की मदद की है और साथ खड़े हैं जिसके कारण से हम पशुधन को बचा पाए। आज भी अगर थोड़ा-बहुत कंट्रोल हुआ है इन गौशालाओं के अंदर, जिस प्रकार का इलाज उन्होंने अपने स्वयं के बूते पर किया, उससे हुआ।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से मंत्री महोदय न तो आप इनको बचाएं, न मुझको बचाएं, पर निश्चित रूप से विभाग की यह जो कमजोरी रही है कि अप्रैल में बीमारी का पता लगता है और जुलाई के लास्ट में हम ये आदेश जारी करते हैं तो डिपार्टमेंट सो रहा था या नहीं सो रहा था?

श्री सभापति: श्री लालचन्द कटारिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग कीजिए। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) विराजिए आप। श्री लालचन्द कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: कृपया शांत रहें। श्री लालचन्द कटारिया जी।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, लम्पी स्किन डिजीज पर इस सदन में आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई और नेता प्रतिपक्ष सहित 24 लोगों ने भाग लिया। जिस प्रकार की चिन्ता पूरे सदन में व्यक्त की गयी, मैं मानकर चलता हूं कि जो सुझाव आये हैं जो कमियां-खामियां रही हैं, उनको सुधारने का काम तो हम करेंगे ही करेंगे, परंतु साथ में यह भी

(श्री लालचन्द कटारिया)

आश्वस्त करना चाहता हूं कि विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से, माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से पूरे सदन के साथियों को आश्वस्त करता हूं कि ये जो महामारी आयी है जिसने प्रदेश को झकझोरा है और पूरे देश को झकझोरा है, कोविड काल का समय याद आता है लोगों को, उसी प्रकार की महामारी पशुधन में आयी है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है वह हमारा गौ वंश है।

नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष ने जो बातें कहीं और जो सुझाव दिये, मैं तो वैसे भी आपका काफी सम्मान करता हूं। आपने कहा बीमा के बारे में, बीमा 2018 में जब आप ही की सरकार थी, 2016-17 से 2018 में संचालित नहीं हुई। उसके बाद में वर्ष 2018-19 में बीमा कंपनियों द्वारा अधिक प्रीमियम दरें भरे जाने के कारण निविदा निरस्त कर दी गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): जन-घोषणा पत्र पढ़िए आप।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): पढ़ रहा हूं, साहब, आगे आ रहा हूं, बताऊंगा अभी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): वर्ष 2019-20 में भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण निविदा जारी नहीं की जा सकी। वर्ष 2020-21 में किसी भी बीमा कंपनी द्वारा भाग नहीं लिये जाने के कारण निविदा निरस्त कर दी गयी। इसके पश्चात् वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा जारी नवीन मार्गदर्शिका अनुसार संभागवार प्रीमियम दर जारी किये जाने हेतु निविदा जारी की गयी थी, जिसमें एकमात्र फर्म यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा मात्र दो संभागों हेतु दरें दी गयीं, जिसे एकल निविदा एवं उद्देश्यों की पूर्ति पूर्ण नहीं होने के कारण निरस्त कर दिया गया। माननीय मंत्री महोदय के स्तर पर बार-बार भारत सरकार को पत्र लिखे गये तथा निवेदन किया गया।

इसके बाद में स्थिति बदलती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा जारी नवीन मार्गदर्शिका अनुसार बोर्ड कार्यालय द्वारा निविदा प्रकिया उपरांत दो बीमा कंपनियां, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं दी ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की प्रीमियम दरों को अनुमोदित किया जाकर माह जुलाई, 2022 में दर अनुबंध सम्पादित कर लिया गया। योजना आगामी 15 दिन में प्रारम्भ कर दी जायेगी। दूसरी, जो बजट घोषणा

(श्री लालचन्द कटारिया)

150 करोड़ की है, जो 2022-23 में इस सदन में की गयी थी, उसकी प्रक्रिया एक महीने में पूर्ण कर ली जायेगी।

लम्पी के बारे में मेरा कहना है कि भारत सरकार के जो मंत्री आये थे रूपाला जी, जब मैं उनके साथ दिनभर रहा तो मैं यह कह सकता हूं कि उनकी जो खुद की जानकारी है, उन्होंने बताया कि मैं भी किसान परिवार से हूं और मैं पूरी स्थिति को अच्छी तरह जानता हूं और मैंने खेती भी की है और मेरे पशुपालन का व्यवसाय भी रहा है। कई बातें उन्होंने अपनी जानकारी के अनुसार, अपने अनुभव के आधार पर पूरे दिन मुझे बतायीं। हो सकता है कि अधिकारियों की कमी रही हो, परंतु जो बातें उन्होंने कही और जो उपाय उन्होंने बताए गौ-वंश को बचाने के लिये, उसमें पूरी सजगता के साथ ये बातें मैंने मुख्य मंत्री जी से चर्चा की। अगस्त में 15 तारीख को पहली वीसी हुई,

(समय: 15.00 बजे)

एक अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे देश में, एक अपील मुख्य मंत्री जी की तरफ से की गई। उसमें वार्ड पंच से लेकर सरपंच, जिला परिषद् के मैम्बर, पंचायत समिति के मैम्बर, विधायक और सांसद गणों को रखा गया। उसके बाद मैंने राज्य के करीब 10-12 ज़िलों के दौरे किये। सभापति महोदय, कई जगह तो मुझे अच्छा लगा। बीकानेर से नोखा के विधायक मेरे साथ थे। मैंने इनकी 2-3 गोशालाएं देखीं। नोखा की गोशाला भी देखी, अच्छी साफ-सफाई थी। उसमें रिटायर्ड डाक्टर भी बहुत सेवा कर रहे थे, वह मुझे मौक़े पर भी मिले। कई गोशालाएं पर ऐसी भी थी जिनकी दशा देखी नहीं जा सकती थी। वहां हमने स्टाफ को लगाया। खास तौर से मैंने एक आदेश जारी करवाया। हमारे जो कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक हैं, जो गांवों में रहते हैं, क्योंकि समय बारिश का था, यह रोग फैला है, इसका मुख्य कारण राजस्थान के कई ज़िलों में भारी बारिश रहा, जो कई वर्षों बाद हुई है। कीड़ेमकोड़े, मक्खियों से ज्यादा इन्फेक्शन फैला है। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, उसमें कृषि पर्यवेक्षकों को शामिल किया गया ताकि वह छिड़काव करा सकें, साफ-सफाई करा सकें, एलएसए डाक्टर की मदद की जा सके।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि विधायक साथियों ने और जन प्रतिनिधियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। उससे ज्यादा जो निजी संस्थाएं थीं, जो गौ पालक थे, जिनका गाय के प्रति प्रेम है, गौ-रक्षक हैं, उन संस्थाओं ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया। मुझे यह कहते हुए भी खुशी है कि राजस्थान के लोग

(श्री लालचन्द कटारिया)

जो बाहर रह रहे हैं, उन्होंने भी वहां से पैसा भेजने का काम राजस्थान की धरती पर किया। मैंने विभाग को कहा कि जितने भी भामाशाह हैं, जिन लोगों ने इसमें मदद की है, उनका चार्ट बनायें, आने वाले समय में उनको सम्मानित करने का काम हम लोग करेंगे, चाहे वह निजी संस्थाएं हों या अलग कोई संस्थाएं हो। हम सबका चार्ट बनवा रहे हैं।

(समय: 15.02 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

आपने भारत सरकार की 60 लाख गोट पॉक्स देने की बात कही। मैं कटारिया जी से निवेदन करूंगा कि भारत सरकार से हमें गोट पॉक्स दिलवाये। गोट पॉक्स बनाने वाली कम्पनी ने हमको मना कर दिया था कि हम आपको वैक्सीन नहीं देंगे। यह बात मैंने रूपाला जी को बताई, उन्होंने मेरे सामने स्पीकर आन करके कम्पनी के एमडी वगैरह थे, उनसे बात की। उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं कि उस कम्पनी ने पहले कोई दवा सप्लाई की थी जो अमानक पाई गयी थी और वह कम्पनी यहां से ब्लैक लिस्टेड थी। यह बात भी उन्होंने रूपाला जी को बताई, तो मैंने कहा कि मैं उसको सोर्टआउट करवा दूंगा, पर आप हमको गोट पॉक्स दवा दिलवायें। जो गोट पॉक्स दवा हमको मिली है उसका पूरा पैसा राज्य सरकार ने दिया है। रूपाला जी से मेरी, परसों भी मलिक साहब से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हमने कम्पनी को लगातार कह रखा है, आप टीकाकरण जारी रखें, आपको दवा की कोई कमी नहीं आयेगी, आप समय-समय पर पैसा दिलवाते रहे, यह बात भी मैं सदन को बताना चाहता हूं। मैं यह नहीं कह रहा कि भारत सरकार ने हमारी मदद नहीं की, हमारा उनसे सम्पर्क नहीं है। (व्यवधान)

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो भर्ती का मामला है, आपने पदों की कमी बताई, मुख्य मंत्री जी ने बीमारी की गम्भीरता को देखते हुए यूटीबी से 200 डाक्टर और 300 एल.एस.ए. की तुरंत भर्ती के आदेश दिये। हमने 200 डाक्टर्स की यूटीबी के माध्यम से भर्ती कर दी। आपने जो 900 डाक्टर्स की बात कही है, आज ही राजस्थान उच्च न्यायालय में, मुझे पता नहीं कि फैसला क्या हुआ है पर आज की तारीख थी और उसमें कोई फैसला होना था। भर्ती और रिटर्न का एग्जाम हो चुका था, सारे काग़ज़ात उनके देख लिए गये थे पर आर.पी.एस.सी. की कोई कमी के कारण वह न्यायालय में विचाराधीन है और

(श्री लालचन्द कटारिया)

आज उसकी तारीख थी। यह फैसला हो जायेगा तो हमें 900 डाक्टर्स और मिल जाएंगे। 1,436 एल.एस.ए. की भर्ती न्यायालय में अटकी हुई थी, उस पर न्यायालय ने अभी 15 दिन पहले रोक हटा दी। उसमें 730 लोगों को हमने फील्ड में लगा दिया है। 700 लोगों के लिए जैसे ही चयन बोर्ड से लिस्ट आयेगी, आने वाले 5-10 दिन में हम उनको फील्ड में लगा देंगे।

माननीय सदस्यों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि मैनपावर नहीं है, यह बात भी सही है कि हमने जितने उप केन्द्र खोले और जो पुराने थे, उनके अनुसार हमारे पास मैनपावर की कमी है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में करीबन 1 करोड़ 409 लाख गोवंश हैं। उप नेता प्रतिपक्ष ने एक बात कही, वह भी चिन्ता का विषय है कि गायों में तो था ही यह वायरस, पर हरियाणा की तरफ से सूचना आई उसके बाद हमने कुछ सैम्पल भेजे थे, जो रिपोर्ट आपने बताई, उसमें यह आया है कि यह वायरस भैंस को भी प्रभावित कर रहा है और हिरण की बात भी आई। हमने कल भी भारत सरकार को यह बात जानकारी में दी है। हरियाणा में कई जगह भैंसों में यह संक्रमण पाया गया है। हम उसके लिये सजग हैं कि यह गोवंश के बाद अन्य पशुधन में नहीं फैले। हमने टीकाकरण अभियान को तीव्र गति से बढ़ा दिया है। टीका लगाने की गणना थी उसको हमने कई गुना आगे बढ़ाकर, मैनपावर पूरा लगा दिया है, तो मैं आश्वस्त करना चाहूंगा।

परसों मलिक साहब ने मुझे एक बात बताई कि कुछ कंट्रोल, वह यह मानते हैं कि जैसे ही मानसून यहां से विदा होगा, मौसम के हिसाब से भी इसमें काफी रोक लगेगी। वह अपने मेडिकल सोर्स से बता रहे हैं या उनका जो अनुभव है, पर वह कह रहे हैं कि आने वाले 10-15 दिन में यह वायरस खातमे की ओर जायेगा।

एक नई बात और चिन्ता का विषय है वेरिएंट बदलने की बात की, उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास आई है। जैसे कोरोना के टाइम वेरिएंट बदला। यह बात भी भारत सरकार की एजेंसियां कह रही हैं कि इसमें भी वेरिएंट बदलने की बात है। अगर वह वेरिएंट बदलता है तो हमें आने वाले समय में पशु धन के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा।

माननीय कई विधायक साथियों ने एम्बुलेंस देने की बात की। मुझे सदन को यह बताते हुए भी खुशी है कि आने वाले समय में भारत सरकार ने भी एम्बुलेंस के लिये राज्य को पैसे दिये हैं। 500 एम्बुलेंस का हम जल्दी ही

(श्री लालचन्द कटारिया)

टेंडर करने जा रहे हैं। आने वाले समय में वह भी पशुधन को बचाने के काम आयेगी। विधायक साथियों ने जो बात कही है, वह मैंने मुख्य मंत्री जी को और फाइनेंस को भी बता दी है कि कुछ विधायक साथी चाहते हैं कि वह विधायक कोटे से अपने क्षेत्र के लिये पशुधन और गोवंश को बचाने के लिये जो पैसा देंगे, तो फाइनेंस ने मुझे आश्वस्त किया है कि हम जल्दी ही फाइल मूव करके मुख्य मंत्री को, एक-दो दिन में इसको क्लियर करा देंगे और जो भी विधायक साथी अपने क्षेत्र में एम्बुलेंस देना चाहे वह अपने फंड का उपयोग कर सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गोवंश को बचाना हम सबकी प्राथमिकता है। ज्यादातर लोग किसान परिवार से आते हैं। मुझे तो वह समय भी याद है, मैं सदन को बताना चाहूंगा, इसी सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष रहे, नेता रहे और देश के उपराष्ट्रपति रहे भैरोंसिंह जी शेखावत, वह दिल्ली में जब उपराष्ट्रपति बनकर गये, मैं एक दिन सुबह-सुबह उनसे मिलने गया। वह बाहर के एक कोने से आ रहे थे। मैंने पूछा कि क्या कर रहे हैं, उनकी सामान्य भाषा है, उन्होंने कहा कि एक गाय रख राखी है, बीने सम्भाल आयो हूं। मैंने पूछा कि यहां उपराष्ट्रपति भवन में गाय, तो उन्होंने कहा कि हां, मैं गाय रखता हूं और सुबहसुबह इसको देख लेता हूं कि इसका चारापानी ठीक हुआ कि नहीं हुआ। मैंने पूछा कि आपको गाय किसने दी, तो उन्होंने मुझे बताया कि साहिब सिंह जी वर्मा ने मुझे यह गाय भिजवाई है, आओ मैं दिखाता हूं। उन्होंने मुझे वह गाय दिखाई। कितना दूध देती है, ऐसी कामधेनु गाय थी, उन्होंने बताया कि 20 लीटर एक टाइम। उन्होंने कहा कि वर्मा जी ढूंढकर लाये हैं। मैं गाय रखने का शौकीन हूं। मैं गाय का दूध पीता हूं। मुझे उनके बारे में पता है कि उनका जीवन भर आपको तो शायद ध्यान है, मेरे पड़ोस से हैं, मेरे पड़ोसी हैं कल्याण मीणा जी और नारायण मीणा जी, उनके यहां नियमित गाय का दूध आता था। एक आदमी की ड्यूटी थी कि सुबह 5.30 से 6.00 बजे के बीच उनके मकान पर गाय का दूध, जिसका वह सेवन करते थे।

मेरा तो आप सब लोगों से निवेदन है कि गोवंश को बचाने के लिये हम किसी प्रकार की दलगत राजनीति नहीं करें। जो भी आप सुझाव दे सकें, कहीं किसी प्रकार की अव्यवस्था है उसको सुधारने का काम सरकार करेगी, विभाग करेगा पर राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी, जिनकी यह मंशा है और उन्होंने 30 करोड़ रुपये तो शुरू में ही जारी कर दिये थे, लगातार वी.सी. के माध्यम

(श्री लालचन्द कटारिया)

से और विभाग से और मेरे से जानकारी लेते रहते हैं कि किसी भी प्रकार से गौवंश की हानि रोकी जाये। जब सारे विधायक साथी पैसा दे रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं पैसा दे रही हैं और जो गौ-शालाओं के प्रबंधन कार्यकारिणी है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। पूरी अवेयरनेस के साथ में, पूरी साफ-सफाई रखते हुए गाय को बचाने का काम अधिक से अधिक किया।

मैं नोखा नगरपालिका में गया था तो वहां पर गौ-शाला के अन्दर मैंने यह देखा कि वहां की नगरपालिका की पूरी टीम जंगल से, जो यह कहते हैं कि अपन आवारा और असहाय गायें थीं उनको उठा-उठाकर लेकर आ रहे थे और उनका इलाज कर रहे थे। क्वारंटाइन सेंटर बना रखे थे। मैं हिंगोनिया गौ-शाला भी गया, जहां पर 14 हजार गौवंश है, वहां पर करीबन सौ गाय लम्पी से ग्रसित हो गयी थीं। वहां पर जाकर देखा कि वहां पर भी पूरी टीम और वहां पर तो आई.आई.टीयन, लड़के लगे हुए थे जो साफ-सफाई कर रहे थे, दवा दे रहे थे और उनका पूरा रख-रखाव कर रहे थे, तो रख-रखाव पूरा रखने से, सही ढंग से साफ-सफाई करने से भी गौवंश में काफी बचत हुई है पर जो इलाके खाली थे, जहां बड़े बीहड़ थे, बड़े लम्बे-चौड़े चरागाह थे, उनमें जरूर इस महामारी ने ज्यादा समस्या पैदा की है।

मैं सभी माननीय सदस्यों से, जो आपने सुझाव दिये हैं और जो बातें आपने कही हैं कि आपके पदों की कमी है, आपने जो एम.एल.ए. लैड में पैसा दिया है, इस बात से भी मैं व्यथित हूं कि जिन लोगों ने यह व्यथा व्यक्त की है कि हमने पैसा लिख दिया और जिला कलेक्टर्स ने उसका उपयोग सही नहीं किया, तो निश्चित तौर पर कल मैं इसको देखूंगा और इस पर कार्यवाही करूंगा।

नेता, प्रतिपक्ष ने जो सुझाव दिये हैं और जो बातें कही हैं, मैं उन पर चर्चा नहीं करना चाहता पर आपने जो विशेष तौर से बातें कही हैं मैं उनका जरूर पूरा ध्यान रखूंगा और विभाग के अधिकारियों को यह निर्देशित करूंगा कि जो बातें आपने कही हैं और कमी रही है, उसको हम दुरुस्त करेंगे।

मैं एक बार पुन: मुख्य मंत्रीजी की तरफ से सदन को यह आश्वस्त करता हूं कि इस गौवंश और गौ-माता को बचाने के लिए, इसी राजस्थान के पशुधन को जो 5 करोड़ और करीबन 66 लाख के आस-पास है, उसको बचाने के लिए हम काम करेंगे बिना किसी राजनीतिक द्वेषता के पर मैं, सुरेशजी, आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि वह गाय देसी नहीं थी और वह पता नहीं

(श्री लालचन्द कटारिया)

बिदकी क्यों? यह मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आज दिन तक। वह गेट तक तो आ गयी पर गेट पर आते-आते उसका विश्वास टूट गया और जिस हिसाब से उसने दौड़ लगायी ...(व्यवधान)

मैं फिर से एक बार नेता, प्रतिपक्ष का, उप नेता, प्रतिपक्ष का और सदन के सभी साथियों का आभार व्यक्त करूंगा कि यह अच्छी चर्चा रही, सबने सहयोग की बात की। आने वाले समय में हम इस लम्पी स्किन डिजीज से, जो एक महामारी के रूप में राजस्थान में आयी है, इससे हम पार पायेंगे और पशुधन को बचाने का काम करेंगे। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

बहिर्गमन

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा हमने कहा कि आपके डिपार्टमेंट ने, अप्रैल में जब आपको यह इंडिकेशन मिल गया तो पहला परिपत्र आपका 27.07.2022 को क्यों निकला और वह भी केन्द्र के बार-बार आग्रह के बाद क्यों निकला? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर समय पर यह व्यवस्था हो जाती तो हम लाखों पशुधन को बचा सकते थे। यह सामान्य गलती नहीं है। इसके लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, विभाग जिम्मेदार नहीं है तो फिर राजस्थान की जनता को क्या कहें?

मैं आपसे बहुत दुखी मन से यह कह रहा हूं। मैंने जब यह सारे रिकार्ड, मैं कोई बहुत पशुपालक नहीं हूं। स्वीकार करने में मुझे कोई मैंने रखी जरूर है अपने घर पर लेकिन मैं पशुपालक नहीं हूं लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जब अप्रैल में आपको इंडिकेशन जैसलमेर में मिल गया तो डिपार्टमेंट का पहला आदेश और गाइडलाइन केन्द्र के सात चिट्ठियों के बाद क्यों हुई? इसका कौन जवाब देगा? इसके लिए जिम्मेदार अगर नहीं है तो हमारे यहां बैठने का कोई मतलब नहीं है। हम वाकआउट करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं। सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं बरती गयी है। जितनी दवाई हमने दी है, आज पूरे राजस्थान के अन्दर कोई भी केन्द्र ऐसा नहीं है

(श्री लालचन्द कटारिया)

जहां पर हमारे पास दवाइयों की कमी है। हमने नोडल एजेंसी, नोडल अधिकारी लगा दिये हर जिले के अन्दर। टीकाकरण भारी मात्रा में किया जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटर बना दिये गये हैं और जो जितनी भी गौ-शालाएं थीं, आज जो यह सदन का वाकआउट कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले चार साल के अन्दर 2004 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है गौ-शालाओं को और इनके पूरे पांच साल के कार्यकाल में 499 करोड़ रुपये का, पूरे पांच साल के अन्दर, और हमने चार साल के अन्दर 2004 करोड़ रुपये का अनुदान गौ-शालाओं को दिया है। गौ-शालाओं की दशा देखो। इनके टाइम में छह महीने का अनुदान था और आज नौ महीने का अनुदान मुख्य मंत्रीजी ने किया है। गौशालाओं में जाकर पूछो कि किस तरह का वातावरण बना हुआ है? लोग गीत गाते हैं वहां पर बैठे-बैठे कि भला हो इस मुख्य मंत्री का जिसने गाय को बचाने का काम किया, गौवंश को बचाने का काम किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वाकआउट करने से गौ-माता नहीं बचेगी। वे सही कह रहे थे बलजीतजी यादव कि बात तो ये गाय की करते हैं और गेट के बाहर लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान, तो इस तरह का वातावरण इस प्रदेश में बना हुआ है।

हम गौवंश को बचाने के लिए पूर्णरूप से संकल्पित हैं। सरकार और विभाग दोनों मिलकर यह काम कर रहे हैं, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत -बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2022, श्री बी.डी.कल्ला।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2022

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2022 पर मैंने यह संशोधन दिया है और यह निवेदन किया है कि इसको एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये और वह इसलिए किया है क्योंकि जो पूर्व विधायक हैं, उनको हवाई जहाज में तो छूट है लेकिन हेलिकॉप्टर में और निजी बसों में छूट नहीं है और उसके कारण से जब रोडवेज की बसें उपलब्ध नहीं होती हैं तो कई बार निजी बसों में यात्रा करना पड़ता है और कई बार हमको जहां पर हवाई जहाज नहीं होते हैं, जैसे वैष्णो देवी जाते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Please be relevant.

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): उनको हेलिकॉप्टर से जाना पड़ता है, तो उसको इसमें सम्मिलित किया जाये, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय संयम लोढ़ाजी। आपके पास भी कोई नया सजेशन है? नहीं, आपके पास भी कोई नया सजेशन है क्या इसके अलावा?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सरकार ने यह निर्णय लिया है पूर्व विधायकों को आपकी अनुमति से विदेश जाने का, रिएम्बर्समेंट करने का उसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन महंगाई बहुत बढ़ गयी है और जो प्लेन का टिकट दो हजार रुपये का होता था, अब वह हो गया सात-आठ हजार रुपये का और रेल का भी जो टिकट है वह 600 रुपये में जो मिलता था पहले सैकण्ड ए.सी. का, वह 1500 रुपये तक पहुंच गया और फर्स्ट ए.सी. का ढाई से तीन हजार रुपये तक पहुंच गया, तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई आप लोग भी सदा वर्तमान तो रहेंगे नहीं, आपको भी और हम सबको पूर्व तो होना ही है और वैसे भी इस सदन का यह रिकार्ड है कि दो तिहाई हमेशा पूर्व होते ही हैं, तो आप लाये हो तो लगे हाथ इसको बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपया कर दो तो विदेश कोई जायेगा, पति-पत्नी भी जायेंगे तो एक लाख रुपये में कोई जाकर आ सकते हैं क्या? एक लाख में कोई पति-पत्नी भी जा सकते हैं क्या? जब आपको कृपा करनी ही है तो पूरी तरीके से करो, थोड़ा यह पैसा बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दो।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय मंत्रीजी।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): कर दो।

श्री अध्यक्ष: कर दो? इसमें कहां कर दोगे ऐसे ही? माननीय सदस्य, कैसे बिल पास होता है, कैसे वित्तीय स्वीकृति होती है, इस बिल में थोड़े ही हो सकता है। माननीय मंत्रीजी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं इसमें आप जानते हैं कि पहले शुरूशुरू में पच्चीस हजार रुपये तक की ही लिमिट थी, उसको बढ़ाकर पचास हजार रुपये किया है। अब एक लाख रुपये की है। इसमें तो खास तौर से यही कहा है कि आपकी अनुमति से अब भारत देश के अलावा विदेश में भी यदि कोई माननीय सदस्य या उसके संग जायेंगे तो उनका पुनर्भरण हो सकेगा। एक बहुत साधारण मतलब, 4-D में नयी उप-धारा (2) जोड़कर यह उपबंध किया गया है। मैं समझता हूं कि यह स्वागत योग्य है। बाकी इनके जो सुझाव आये हैं माननीय मुख्य मंत्रीजी तक हम पहुंचा देंगे।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): हेलिकॉप्टर का करवा दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। हेलिकॉप्टर मंगवा लेना मलिंगाजी, फिर बुक करेंगे।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2022 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियम सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

माननीय मंत्रीजी, आपको कुछ बोलना है? माननीय मंत्रीजी प्रस्ताव रखेंगे।

विधेयक का पारण

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022

श्री अंजना उदयलाल।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आज सदन के अन्दर राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 पर चर्चा हो रही है। यह जो संशोधन विधेयक मंत्री महोदय लेकर आये हैं, मूल रूप से यह राजस्थान सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2001 की मूल धारा 28 की उपधारा 7 (ए) को निरसन करने का यह प्रस्ताव लेकर आये हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है, सहकार की मूल भावना है, सह यानी सारे मिलकर एक साथ काम करें। यह जो संशोधन बिल आया है, यह सहकार की मूल भावनाओं के विपरीत है। 2016 के अन्दर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सहकार आन्दोलन में कतिपय लोगों का रहा हो, कुछ घरानों का सहकारी सोसाइटीज पर लगातार किसी न किसी माध्यम से कब्जा रहा। सीसीबी हो, अपेक्स बैंक हो, जिला दुग्ध उत्पादक समितियां हों। जब यह देखने में आया कि इन सब पर निरन्तरता से कुछ ही लोगों का कब्जा है, तब इस भाव से कि सहकारी आन्दोलन के अन्दर नये लोगों को मौका मिले, इस भाव से, यह जो मूल अधिनियम 2001 है, उसकी उपधारा 28 में 7(ए) इनसर्ट किया गया था।

अध्यक्ष महोदय, आज मतदाता सूची में नाम लिखवाना आसान है। आज अगर कोई ग्रामीण सहकारी समिति हो या दूसरी कोई भी सहकारी संस्थाएं हों, उनके अन्दर सदस्य तब तक नहीं बन सकते जब तक उस सहकारी संस्था के व्यवस्थापक और व्यवस्थापक के इशारे से संचालित होने वाले अध्यक्ष और दूसरे लोग अगर चाहें तो आप नये सदस्य नहीं बन सकते।

(समय: 15.23 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, हमने देखा है कि राजस्थान में 26 लाख से ज्यादा किसान आज किसी न किसी प्रकार से सहकारी समितियों से ऋण लेते हैं। जीरो इन्टरेस्ट पर ऋण की बात सरकार करती है। अगर आज आप देखें तो चाहे इधर बैठे माननीय सदस्य हों या सामने बैठने वाले माननीय सदस्य हों, पुराने ऋण को नये ऋण में परिवर्तित करना हो, परिवर्तन का एक विशिष्ट साइकल चलता है। नये लोगों का उसमें घुसना बड़ा मुश्किल है। मैं सदन का ध्यान प्रस्तुत राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 के उद्देश्य और कारणों के कथन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें आपने लिखा है कि सहकारी समितियों में दक्षता वाले लोग यानी कि दक्षता वाले लोग आयें, उसके लिए मूल अधिनियम की धारा 7(ए) डिलीट कर रहे हैं और उसमें लिखा है कि दक्षता वाले लोग, लम्बी सेवा व अनुभवी सदस्यों की भागीदारी के लिए हम यह संशोधन विधेयक लेकर आये हैं। आप यह क्यों नहीं कह देते कि आपका कहीं पर निशाना और कहीं पर इशारा है। यहां राजस्व मंत्री महोदय, विराजे हुए हैं। भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादन समिति के अध्यक्ष भी हैं। मैं समझता हूं कि इनको जवाजा जाने के लिए यह पांच साल कूलिंग पीरियड था।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहले मूल रूप से 7 (ए) जो इन्सर्ट किया गया था, उसके पीछे भावना क्या थी कि सहकारी संस्थाओं में दस साल तक लगातार कोई चुना जाए। दो टर्म अपने पूरे कर ले तो उसको एक कूलिंग पीरियड के रूप में, पांच साल के अन्तराल में वह दोबारा पांच साल के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा और पांच साल का समय व्यतीत होने के पश्चात् वह चुनाव लड़ने के लिए अर्हताएं रखेगा। इसके पीछे मूल बात एक ही थी, सभापति महोदय, आपको याद होगा, आप जैसा विद्वान व्यक्ति, अमरीका के अन्दर प्रेसिडेंट सिस्टम है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अमेरिका के अन्दर भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी यह प्रावधान किया गया है कि दो साल के बाद नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 7(ए) को जो इन्सर्ट किया, उसके पीछे भावना एक ही थी कि सहकारी संस्थाओं के अन्दर कुछ लोगों का कब्जा है। दस साल के बाद भी पन्द्रह साल, बीस साल उनमें चाहे कितने भी घोटाले कर लें, उसमें कितनी भी अनियमितता कर लें, ये बातें बाहर निकल कर आती नहीं क्योंकि उसमें एक ही प्रकार के लोगों का कब्जा रहे। सहकार के अन्दर सह और कार सब एक के लिए और एक सबके लिए, इस भाव के साथ नये लोगों को मौका मिले, नये खून को मौका मिले, इसलिए इस प्रकार का संशोधन किया गया था।

मैं समझता हूं कि अब जो यह सरकार लेकर आयी है, संशोधन तो पारित कर देंगे, कब्जा सच्चा और सारी बातें असत्य, इसी प्रकार के लोग लगातार इन संस्थाओं में आते रहेंगे और भ्रष्टाचार की जड़ें जो पहले से ही बहुत हो गयीं, मैं समझता हूं कि उनको और प्रश्रय देने का काम करेंगे।

अभी मैं मुख्य मंत्रीजी का बजट भाषण पढ़ रहा था। विवेकानन्दजी का उल्लेख करते हुए बजट भाषण में उन्होंने कई बातें कही हैं। नये खून और कई तरह की रवानगी की बातें कही हैं। मैं समझता हूं कि आप मूल रूप से नौजवानों की पैरवी करने वाले, मंत्री महोदय, क्या कारण है कि आप सहकार और सहकारी संस्थाओं में नये लोगों को रोकना चाहते हैं? इसके पीछे एक ही कारण है, सभापति महोदय, जब से यह अंतर्द्वन्द्व की राजनीति प्रारम्भ हुई है कांग्रेस के अन्दर, नौजवान से आपकी नाइंसाफी हो सकती है, आप अलगाव कर सकते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता और मैं कहना भी नहीं चाहता लेकिन उसकी आड़ में आपको सारे नौजवान खराब लगने लग गये, इसके बारे में सोचना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समय का थोड़ा ध्यान रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मूल रूप से सहकारी सोसाइटी 2001 का नियम 3 है, उसमें साफ लिखा गया है कि सहकारी संस्थाओं के बढ़ावे के लिए अनवरत रूप से, सहकार के भाव से इन संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस बात का प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आज हमको इस बात पर सोचना चाहिए।

मंत्री महोदय, आपने सहकारी संस्थाओं के चुनाव चालू कर रखे हैं। सहकारी संस्थाओं के लिए उसमें अर्हताएं लिख दीं कि इसके लिए आठवीं पास होना चाहिए। पंचायती राज के चुनाव में आपने अर्हताओं को कम किया।

श्री सभापति: माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष, पौने चार बजे हमें यह पारित कराना है। बोलने वाले बहुत हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं उसी आर्बिट में बोल रहा हूं। मैं उस आर्बिट के बाहर नहीं जा रहा हूं। सहकारी संस्थाओं के चुनाव के अन्दर फ्लड गेट खुल रहा है। जो पांच साल का कूलिंग पीरियड था, अब कोई भी व्यक्ति लगातार चुनाव लड़ सकता है। सहकारी संस्थाओं के चुनाव के लिए जो संशोधन बिल आया है तो मुझे एक तो बताना ही पड़ेगा कि जो आज की तारीख में चुनाव कर रहे हैं, उसमें आपके दोहरे मापदण्ड हैं। आपने ग्राम पंचायत और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में यह कहा कि पढ़े-लिखे लोगों की अर्हताओं को आपने समाप्त किया जन घोषणा पत्र के अनुरूप। इसके अन्दर आपने लगा रखी है। मैं समझता हूं कि आपने जन घोषणा पत्र में कहा कि हम चुनाव करायेंगे और पृष्ठ 6 में लिखा। अब सरकार की उम्र ढल गयी तो चुनाव आपने चालू किये और चुनाव में आपने आचार संहिता लगायी। आपकी आदर्श आचार संहिता लगी सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के सैक्शन 37 में, उसके तहत संचालक मण्डल की बैठक नहीं, कोई नीतिगत निर्णय नहीं। यह स्क्रीनिंग का क्या मामला है, मंत्री महोदय? क्या फाइल दौड़ाई है आपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से सीधा रजिस्ट्रार के पास। अब आज की तारीख में सहायक व्यवस्थापकों को स्थायी करने के लिये स्क्रीनिंग कमेटी हो रही है।

श्री सभापति: प्लीज कंक्लूड।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मेरा आपसे निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय, दामन में कालख नहीं लग जाए। जिस प्रकार से हर जिले के अंदर स्थायी समिति के नाम पर जमकर चांदी कूटी जा रही है। निश्चित तौर से इस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पर बात होनी चाहिए कि किस कारण से आपने स्क्रीनिंग कमेटी उस समय की, जब आचार संहिता लगी है। स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन जिला कलेक्टर होता है। आपने किस कारण से एडिशनल रजिस्ट्रार को चेयरमैन बनाया? स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर जो सहकारी समिति है, संबंधित अध्यक्ष उसमें सदस्य होता है। अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं इसलिए मेरा निवेदन है इस बारे में सोचें।

अंत में, मेरी एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। यह जो आपने इस बार किसानों को झुनझुना पकड़ाया है जीरो इंटरेस्ट पर सहकारिता लोन लेने के लिये, आपको मालूम है कि इस लोन की जो अंतिम तिथि थी जीरो इंटरेस्ट पर लोन चुकाने की, वह 30 जून थी। ऑनलाइन लोन देते हैं, वह ऑनलाइन ही लोन चुकाता है। उदयपुर की घटना के बाद 29 जून से 04 जुलाई तक पूरे राजस्थान के अंदर इंटरनेट बन्द रहे। किसान समय पर चुका नहीं सका और यह जो 30 जून के बाद 31 अगस्त तक का समय बढ़ाया तो एफ.डी. ने यह कैसे कह दिया कि बढ़े हुए समय के अंदर जो किसान डिफाल्टर हो गया, 20 हजार ओवरड्यू पर चार प्रतिशत इंटरेस्ट लेंगे। मैं समझता हूं कि आप जैसा व्यक्ति, इसमें इतनी कमजोरी आपकी होगी। जीरो इंटरेस्ट लोन की बात, किसान चुका नहीं पाया ऑनलाइन लोन इसलिए.. (व्यवधान)

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बिलकुल बिल पर बोल रहा हूं।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वैरी मच। प्लीज वाइंड-अप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यह जो खोटा बिल सरकार लेकर आयी है...(व्यवधान)

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): Sir, it is not related with the subject.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप कौन होते हो? रोकेंगे? (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप इस पक्ष के हो क्या कि जिन किसानों ने लोन लिया है, उन किसानों से इंटरेस्ट लेना चाहिए? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिये। बैठिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मेरे पजेशन में फ्लोर है। माननीय सभापति महोदय, फ्लोर मेरे पजेशन में है। इनके स्प्रिंग लगी है, यह खड़े हो जाते हैं। मैं इर्रिलेवेंट नहीं बोल रहा। चूंकि चुनाव के अंदर व्यापक संशोधन हो रहा है। 28 के 7(ए) को डिलीट करके आप कुछ लोगों का सहकारी संस्थाओं पर कब्जा कराने का काम कर रहे हैं। यह सरकार का चेहरा कुछ और है। आज इंटरनेट बंद होने के कारण किसान ने जो जीरो इंटरेस्ट पर अपना समय पर लोन नहीं जमा करवा पाया, उस पर पेनल्टी लगा रहे हो, उससे पैसा ले रहे हो। मैं समझता हूं यह खोटा बिल है। यह बिल सहकारी संस्थाओं को कमजोर करने वाला है।

श्री सभापति: धन्यवाद, विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला है। मेरा प्रस्ताव है कि इस बिल को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: देखिए, बोलने वालों की सूची बहुत लम्बी है। समय की सीमा है और आपको पता है कि आगे के कार्यक्रम भी बिलकुल पूर्व निर्धारित हैं। इसलिए जितने बोल सकेंगे, वह टाइम उसमें डाला हुआ है, उसके हिसाब से ही मैं नाम लूंगा और उसके बाद में विधिवत यह बिल पारित होगा। श्री संयम लोढ़ा। प्लीज समय का ध्यान रखें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पूर्णत: पालन करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि जो सहकारी संस्थाओं के चुनाव लम्बे समय से रुके हुए थे, वह आपने...(व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मेरा नाम है।

श्री सभापति: उधर से भी बुला रहे हैं, इधर से भी बुला रहे हैं। (व्यवधान) आप बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): जिस-जिसने संशोधन दिया, उस सूची के अनुसार नाम पुकारेंगे सभापति महोदय। यह नया काम नहीं।

श्री सभापति: Let him speak. ...(व्यवधान)

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सूची के अनुसार पुकारिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय,

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

इसमें सदन की परम्परा रही है कि सचेतक आपको जो सूची देते हैं, उसके आधार पर बुलवाते हैं। जब समय का अभाव होता है न, उस समय सदन की यह परम्परा रही है कि अलग-अलग पार्टियों के चीफ व्हिप जो सूची देते हैं, उसके आधार पर बुलाते हैं।

श्री सभापति: वही किया है। (व्यवधान) वही किया है। एक पक्ष से बुला रहे हैं, एक विपक्ष से बुला रहे हैं। (व्यवधान) बैठिये। बैठो आप। अशोक लाहोटी, बोलिये। जिनका मैं नाम लूंगा, कृपया दो-तीन मिनट का समय ही लेंगे। दो-तीन मिनट से ज्यादा का समय नहीं मिलेगा।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा अपनी सीटों पर प्रस्थान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, हाउस आर्डर में तो लाओ, उसमें ही पांच मिनट लग जाएंगे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अलग से क्यों नहीं दे रखा इसमें? (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, हाउस आर्डर में लाओ, हाउस आर्डर में नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदयजी। मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिये अलाउ किया है। जिस तरह से आसन पर दबाव डाला है...(व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, आसन व्यवस्था दे। हाउस आर्डर में लेकर आयें। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अलाउ किया है। आसन पर दबाव डालना प्रजातंत्र पर कुठाराघात है यह। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये, बैठिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, हमारा आपके अलावा कौन है?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): कुछ भी उठाकर बोल दें, ऐसा सम्भव नहीं है। (व्यवधान) आसन को नियम और प्रक्रियाओं से चलना होता है। माननीय सभापति महोदय, हाउस को आप नियम और प्रक्रिया से चलाइये। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आसन निर्णय ले सकता है, सक्षम होता है।

श्री सभापति: आप बैठिये, मैं बोल रहा हूं न। (व्यवधान) प्लीज आप बैठिये। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): आसन को चैलेंज नहीं करना चाहिये।

श्री सभापति: देखिए, सामान्यतया पक्ष और विपक्ष अलग-अलग सूची देते हैं। इसमें सूची कॉमन है, इसलिए ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सूची नहीं होती, हमने संशोधन दिया है। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): आसन पावरफुल होता है। आसन को चैलेंज नहीं कर सकते। (व्यवधान) आसन को भी अधिकार है।

श्री सभापति: उनको बोलने दो न आप। (व्यवधान) नहीं, उनको बोलने दो न आप। आप उनको बोलने दीजिए। (व्यवधान) बोल दिया न।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): हाउस आर्डर में तो लाओ माननीय सभापति महोदय। हाउस आर्डर में लाओगे तभी बोलूंगा न मैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: बोलिये आप। (व्यवधान) बोलिये।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा अपनी सीटों पर प्रस्थान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): हाउस आर्डर में नहीं है। हाउस आर्डर में तो लाओ आप।

श्री सभापति: बोलिये आप। आप चालू करिये। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आप खुद खड़े हैं। (व्यवधान) इनको बिठाइये, हाउस आर्डर में नहीं है। मैं कैसे बोलूं, हाउस आर्डर में लेकर आयें आप।

श्री सभापति: बैठ जाओ एक बार। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, आप हाउस को आर्डर में लायें। यह हर समय खड़े होते हैं, इनको बाहर निकालें। बाहर निकालें इनको। बाहर निकालो, यह हर समय बीच में खड़े होते हैं। आप इनको

(श्री अशोक लाहोटी)

बाहर निकालो। (व्यवधान) राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: देखिए, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी जो नियम बनाये हैं, उसमें 268 में चेयर को पावर है क्रम बदलने का, आप चाहें तो देख लें। पावर है, 268 में यह रहा। आप देखिए न। ...(व्यवधान) 268 है, यह रहा।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): चेयर को पूरा अधिकार है।...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नो-नो।

श्री सभापति: आप देख लीजिये, यह कोई बात है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): चेयर को पूरा अधिकार है कि, वह क्रम बदल सकते हैं।

श्री सभापति: आप बोलिये न। आप बोलते क्यों नहीं हो?...(व्यवधान) आप बोलिये।

सदन कूप में

(सदन कूप में भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों की उपस्थिति)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आपने मुझे नाम लेकर पुकार लिया, आपने मुझे नाम लेकर पुकारा, उसके बाद ये कैसे बोल लेंगे?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं बोल सकता हूं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक 2022 में जिस प्रकार से धारा 28 में उप धारा 7(क) को जोड़ा जा रहा है ...(व्यवधान) आपने मुझे नाम लेकर पुकारा है इसलिए मेरा अधिकार है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ...(व्यवधान) हमने किसानों का कर्जा माफ किया।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): यह मेरा अधिकार है, आपने मुझे नाम लेकर पुकारा है। उसके बाद में किसी दूसरे को नहीं बुला सकते। माननीय सभापति महोदय, ये जो बार-बार बीच में खड़े होते हैं, इनको बैठाइए। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को आप रोकिये। इस ढंग से बीच में नहीं खड़े हो सकते। (व्यवधान) आप हाउस को आर्डर में लेकर आयें। माननीय सभापति

(श्री अशोक लाहोटी)

महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक 2022 में आपने मुझे नाम लेकर पुकारा है और मेरा अधिकार है, मैंने संशोधन दिया है और यह मेरा अधिकार है, मेरे अधिकारों की रक्षा करना आपका, चेयर का कर्तव्य है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय ने व्यवस्था दी है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): ये जो बार-बार बीच में खड़े होते हैं, व्यवस्था देने के बाद बैठने के लिए कह दिया, उसके बाद मेरा नाम पुकारा है, मैं बोलूंगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह हमारे अधिकारों पर कुठाराघात है, लोकतंत्र पर कुठाराघात है, इन्होंने हमेशा इस तरीके से ऐसा किया है। ये प्रतिपक्ष के उप नेता, जमीन पर कब्जा ...(व्यवधान) और वाइस चांसलर ...(व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आपने जब मुझे नाम लेकर पुकार लिया, यह मेरा अधिकार है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आज ये जिस तरीके से आसन पर हमला कर रहे हैं, यह लोकतंत्र पर कुठाराघात कर रहे हैं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): ये लोग आसन पर दबाव बनाकर जिस प्रकार से विधान सभा का दुरुपयोग कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, पहली बार राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के इस सदन की परम्पराओं को सरकार तार-तार कर रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बोलिये। (व्यवधान) बोल सकता है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप हाउस आर्डर में लाओ, फिर बोलूंगा मैं। ...(व्यवधान) हाउस आर्डर में लाओ, माननीय सभापति महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ...(व्यवधान) जब जनमत जानने का प्रस्ताव आपने ले लिया, इनको पुकार लिया, इसमें ये कहां से आ गये? ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सूची कंटीन्यूएशन में है। आपके पास दूसरी है। यह कंटीन्यूएशन में है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राजस्थान सहकारिता अधिनियम, 2008 की धारा 28 की उप धारा 7(क) में जो संशोधन लाया गया है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: टेबल पर सूची यही है। (व्यवधान) सूची तो विधान सभा की है। बोलिये आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह संशोधन तब इन्होंने किया, माननीय सभापति महोदय, यह संशोधन, इनकी नीयत खराब थी, और यह संशोधन इसलिए लाया गया।

श्री सभापति: यह रहा न नाम। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों की सदन कूप में उपस्थिति)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, कुछ लोग जो लोग लगातार सहकारिता आंदोलन के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे थे।

श्री सभापति: एक ही सूची है। ये रही न। आसन के पास में जो सूची है वही है। आपको दे दी होगी। वही है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कमजोर स्तर के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रहे थे, सबके उत्थान के लिए जो सहकारिता आंदोलन में काम कर रहे थे।

श्री सभापति: बोलिये आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो संशोधन तत्कालीन भाजपा सरकार लेकर आई, वो संशोधन उसी मानसिकता के कारण था। माननीय सभापति महोदय, इनकी नीयत खराब थी, खराब नीयत के चलते वो संशोधन लाया गया था। (व्यवधान)

श्री सभापति: बोलिये, बोलिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हम यह संशोधन इसलिए लेकर आये कि हम लोग नये लोगों को मौका देना चाहते थे।

श्री सभापति: शोर्ट करिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि ये गुलाब चन्द कटारिया ...(व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता हैं, 1980 से इस सदन में बैठे हुए हैं। इन्होंने नये लोगों को मौका देने के लिए अपनी कुर्सी क्यों नहीं छोड़ी? वसुन्धरा राजे 1985 से या तो यहां असेम्बली में हैं या पार्लियामेंट में हैं, उन्होंने नये लोगों को मौका क्यों नहीं दिया? (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: शोर्ट करिये। ...(व्यवधान)... थैंक यू, ...(व्यवधान)... थैंक यू। बोल लिए आप। अशोक लाहोटी। ...(व्यवधान)... अशोक लाहोटी, बोलिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: आप कंक्लूड कीजिये। आप कंक्लूड कीजिये। ...(व्यवधान)... आपका हो गया।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, यह मजाक, आप सभापति हैं, मेरा निवेदन है कि विधान सभा की परम्पराओं को बनाये रखना आपकी जिम्मेदारी है।

श्री सभापति: आप बोलिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आपके आसन पर बैठने के बावजूद इस प्रकार सदन को शर्मसार किया जा रहा है।

श्री सभापति: बोल रहे हो न आप?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): कभी आप मेरा नाम बोल रहे हैं और कभी उनका नाम बोल रहे हैं, कभी आप किसी का नाम बोल रहे हैं, इस प्रकार सदन नहीं चल सकता।

श्री सभापति: आप बैठिये। ...(व्यवधान)... एक मिनट आप बैठिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, यहां सदन की परम्पराओं को नष्ट किया जा रहा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पहले जो संशोधन लाया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट।

(समय : 15.45 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, राठौड़ साहब, आप अपनी जगह पर जाकर बोलो। ...(व्यवधान)... कृपया आप बैठें। दो मिनट बैठें। माननीय कटारियाजी, क्या इश्यू है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जनमत जानने के प्रस्ताव जो इन लोगों ने दिए हैं, उनको नहीं बुलवाकर ये जो एक बाद की नई सूची जोड़ी है जबकि हमको जो सूची मिली है सवेरे, उसमें जो 29 नाम हैं, उन 29 नाम में सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

का नाम नहीं है। हमारा यह कहना है कि आप उनको उस नई सूची में से इसमें जोड़ रहे हो जो हमारे पास नहीं उपलब्ध है। यह वास्तव में +++ जो नियम के विरुद्ध है।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी, कल जब बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी तब कहा गया था कि 10 बजे तक अमेंडमेंट दे सकते हैं। ये जो 2 नाम हैं, ये 10 बजे बाद वाले अमेंडमेंट थे। जो लिस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं किया है। लिस्ट में जो नाम थे 19, उसके बाद में जो 2 अमेंडमेंट आये संयम लोढ़ाजी के और दिव्या मदेरणा के, उनके नाम उसमें हैं। लिस्ट में कोई अल्टरेशन नहीं किया गया है। जहां तक बोलने का सवाल है, कल ही अपने फैसला हो गया था कि अपन 3 बजे तक लम्पी पर चर्चा करेंगे और 2 बिल अपन पास करवायेंगे। अब आपके जो बोलने का क्रम है, आप बुलाना चाहें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। 4 बजे तक करना था, हमने सबसे पहले राजेन्द्र राठौड़ साहब को बोलने का मौका दिया। मैं भी सुन रहा था, राजेन्द्र राठौड़ साहब ने करीब 10-15 मिनट में अपनी बात कही है तो नीयत तो किसी को रोकने की नहीं है। माननीय सदस्य यदि कोई बोलना चाहें तो उसमें कोई तकलीफ थोड़े ही है। आर्डर तो आगे-पीछे करने में कोई तकलीफ नहीं है। आर्डर करने में कोई इंटेन थोड़े ही है कि किसी को डिप्राइव कर रहे हैं। आर्डर तो 4 बजे तक इस हाउस को बिल को पास करने का है। इसके क्रम में किया होगा, मैं समझता हूं इसमें किसी को डिप्राइव करने का नहीं है और न इसमें संशोधन करके किसी के राइट को छीना गया है। यह जो अमेंडमेंट करने के लिए 10 बजे तक अलाउ किया था, इसमें पहले वाले नाम वो वाले हैं, दूसरे जो नाम हैं जिन्होंने अमेंडमेंट दिया है उनके नाम हैं। मैं समझता हूं इसमें जो कंफ्यूजन है वह दूर हो गया होगा। अब क्या बोलेंगे राजेन्द्रजी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बिलकुल सही फरमाया। कार्य सूची की सूची संख्या 1 है, हम सब लोगों ने जनमत जानने के लिए अपना दिया, जनमत जानने का प्रस्ताव आसन ने पहले ले लिया और मुझे बुला लिया तो मेरे बाद यह पूरी सूची एग्जॉस्ट होने के बाद फिर माननीय सदस्यों को बुलवाते तो कोई बात नहीं थी, वैसे मैं मानता हूं कि रिजूडियल पावर है आपके पास, 309 में भी पावर है, आप चेंज कर सकते हैं पर यह परिपाटी, हमें डर की इतनी-सी बात है माननीय अध्यक्ष महोदय, आप

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पर नहीं, इस बार सत्रावसान के बाद हमें जो डर सता रहा है हमारे अधिकारों के लगातार कर्टेल होने का, और मुख्य मंत्रीजी ने आज खुद ने ही कह दिया कि हमने जान-बूझकर सत्रावसान नहीं किया। इसीलिए थोड़े-से डर के कारण हमने किया।

श्री अध्यक्ष: अध्यक्ष मुख्य मंत्री से गाइड नहीं होता। बैठो आप। आपको बोलना है तो बोलो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह बात मैं मानता हूं।

श्री अध्यक्ष: बैठो आप। आपको बोलना है तो बोलो। आपके जो साथी बोलना चाहें वो संयमजी के बाद बोल लें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): दो मिनट में अपनी बात कह दूंगा।

श्री अध्यक्ष: हां, वाइंडअप प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन भाजपा सरकार जो संशोधन लायी थी, इनकी नीयत साफ नहीं थी। इन्होंने कुछ लोगों को डिप्राइव करने के लिए जो अच्छा काम कर रहे थे, उन सहकारी संस्थाओं के अंदर सेवा के माध्यम से लोगों के उत्थान का काम कर रहे थे, उनको ये वहां से वंचित करना चाहते थे। अब आपने यह कहा कि हम नये लोगों को रोकना चाहते हैं इसलिए सरकार यह संशोधन लेकर आई है, तो अगर नये लोगों को इतना ही मौका देने का शौक है तो कटारियाजी 1980 से इस सदन में बैठे हुए हैं, नये लोगों को मौका क्यों नहीं देते? ये राजेन्द्र राठौड़ साहब 1990 से बैठे हुए हैं, नये लोगों को मौका क्यों नहीं देते? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप नये लोगों को मौका क्यों नहीं देते, तकलीफ है क्या इनको? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप अपनी डिबेट में अपने संशोधन पर बोलें। आप वाइंडअप प्लीज, हो गया आपका। (व्यवधान) टाइम इज रनिंग आउट, प्लीज वाइंडअप इन वन मिनट।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं अपना जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य कोई बोलना चाहे? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आई विल नोट अलाउ इट। आप अपने स्थान पर बैठें। आई विल नोट अलाउ इट। रिकार्ड नहीं होगा।

माननीय सदस्य, किसी को जनमत पर बोलना है? (व्यवधान) यह गलत परम्परा नहीं चलेगी। I will not allow it. (व्यवधान)

श्री सतीश पूनियां (आमेर): बाहर लाठीचार्ज हुआ है। बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। यह दमन की सरकार है। आपको संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जब तक सरकार मुआवजे की मांग स्वीकार नहीं करती, हमारा प्रतिरोध जारी रहेगा। (व्यवधान)

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: सुश्री दिव्या मदेरणा। माननीय सदस्या, We have to wind up at 4 o' clock.

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): सर, जो मूल भावना है डेमोक्रेसी की, उसका ये हनन करना चाहते हैं। सहकारिता कांग्रेस की लायी हुई थी कि गरीब किसान सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़े। यह इन्हें बर्दाश्त नहीं है। उसकी स्पिरिट को ये खतम करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी की स्पिरिट को ये किल करना चाहते हैं। विधान सभा में, सांसद को, लोक सभा सांसद को, राज्य सभा को, कहीं नहीं है। अभी मुझ से पूर्व प्रतिपक्ष के लोग यहां कह रहे थे कि एक ही व्यक्ति का यहां कब्जा हो जाता है। सात बार चुनकर आते हैं, नौ बार चुनकर आते हैं, उनका कब्जा नहीं होता, लेकिन इसमें सीसीबी में कब्जा हो जाता है, जीएसएस में कब्जा हो जाता है। यह इनकी मानसिकता है।

They are anti cooperative. ये इस पूरे आन्दोलन के खिलाफ रहे हैं। ये हमेशा इसे वीकन करने के लिये लेकर आये हैं। पहले जब इनका विरोध हुआ तो आंशिक रूप से इन्होंने इसे संशोधित किया 2018 में। हम उसकी जो उप-धारा रह गयी थी, आज इस भावना के साथ में कि वह व्यक्ति जो आन्दोलित कर रहा है, सहकार को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, उसे हम हटा रहे हैं। एक और चीज है प्रशासक काल। मैं इससे रिलेट करना चाहूंगी कि ये चाहते हैं कि सीसीबीज के अन्दर कांग्रेस आती है तो मूलतः उसे खतम किया जाये और प्रशासक लगाये जाएं। दूसरा, ये लेकर आये थे, जिसमें पांच साल से पांच साल प्रशासक काल लग जायेगा, लेकिन उच्च न्यायालय ने उसमें कहा कि नहीं, elected body to elected body handover होगा और

(सुश्री दिव्या मदेरणा)
इस तरीके से ये इसकी जो पूरी मूल भावना है, उसके विरोध में थे। उसे आज संशोधन करके लेकर आये हैं, मैं इसके लिये धन्यवाद देना चाहती हूं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि जब फर्स्ट टाइम 2018 में हम यह बिल लेकर आये थे, उस वक्त भी मैं को-आपरेटिव के संशोधन पर बोल रही थी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि हमें आर्डिनेंस बिल लाने की जरूरत नहीं है। हमें चेंज करना चाहिये था रूल्स में। आज जब पुन: जीएसएस के इलेक्शंस हो रहे हैं, एससी, एसटी और महिलाएं, ये हमारे वार्ड अधिकतम खाली रहे हैं। आठवीं का जो सर्टीफिकेट है, उन महिलाओं के पास नहीं है। हमारी लिटरेसी रेट 100 परसेंट नहीं है। मैं चाहती हूं कि इसे भी आप रूल्स में अमेंड करें। Thank You.

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: I will not allow it. चार बज गये हैं। समझ नहीं आ रहा है आपको। गलत बात है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, बस एक मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष: चलिये बोलिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन), विधेयक, 2022 में जनमत जानने का प्रस्ताव मैंने किया था, मैं उसे इस शर्त के साथ वापस ले रहा हूं कि इसमें जो चुनाव अभी हो रहे हैं, उसमें जो आपने साक्षरता की शर्त लगायी है, उसे आप हटाएं, नहीं तो हर समिति में दो-दो, तीन-तीन वार्ड खाली रह जाएंगे, इसलिये उसे हटाया जाये। मैं जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन), विधेयक, 2022 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन), विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(श्री अध्यक्ष)

खण्डश: विचार।

खण्ड 2-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव रखेंगे।

विधेयक का पारण

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन), विधेयक, 2022 को पारित किया जाय?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन), विधेयक, 2022 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन), विधेयक, 2022 पारित किया गया।

माननीय सदस्यगण, कुछ ही समय बाद माननीय उप-राष्ट्रपति जी विधान सभा सदन में आएंगे। आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि पूर्व की तरफ अल्पाहार की व्यवस्था की गयी है। माननीय सदस्य वहां उपस्थित हों और जो अलग-अलग पार्टियों के नेतागण हैं, वे सामने वाले गेट पर उनका स्वागत करेंगे। बाकी सब चाय पर उनसे मिलेंगे। इसलिये चार बजे सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद माननीय सदस्यगण पूर्वी द्वार पर चाय के लिये उपस्थित हों।

बाकी जो माननीय सदस्य हैं, जिन्हें उप-राष्ट्रपति जी का स्वागत करना है, चीफ व्हिप हैं, डिप्टी चीफ व्हिप हैं, अलग-अलग पार्टियों के नेतागण

(श्री अध्यक्ष)

हैं, वे सामने वाले गेट पर आएंगे। पौने आठ बजे राजस्थान विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण सपरिवार मुख्य मंत्री जी के घर पर भोजन पर आमंत्रित हैं। हमारा यह कार्यक्रम, जो पांच बजे शुरू होगा, जब समाप्त हो जायेगा, उसके बाद पौने आठ बजे तक माननीय मुख्य मंत्री जी के निवास पर सपरिवार सभी माननीय सदस्यगण पधारें।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 21 सितम्बर 2022 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15:56 बजे बुधवार, दिनांक 21 सितम्बर 2022 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

ओसियां में पर्यटन को बढ़ावा देने की कार्ययोजना

465. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ओसियां विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु कोई भूमि अवाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां व कितनी तथा ओसियां कस्बे में पर्यटन विकास हेतु कब-कब कार्यवाही करके कितनी भूमि अवाप्त की जा चुकी है व कितनी भूमि की अवाप्ति शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ओसियां विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बजट घोषणा वर्ष 2019-20 में राज्य निधि योजना अन्तर्गत शिव मंदिर ओसियां में राशि रुपये 18.03 लाख के विकास कार्य करवाये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। उपखण्ड अधिकारी, फलौदी जिला जोधपुर द्वारा ओसियां जिला जोधपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पर्यटन विकास के कार्यों हेतु कुल 77 बीघा भूमि अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 17.01.1996 को जारी कर अन्तरिम मुआवजा राशि हेतु दिनांक 01.09.1998 को आदेश जारी किये गए। उक्त अवाप्ति के विरुद्ध प्रभावित खातेदारों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया है।

ओसियां कस्बे में पर्यटन विकास हेतु पूर्व में कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई है। पर्यटन विकास के कार्यों हेतु 77 बीघा भूमि की अवाप्ति का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

भीलवाड़ा में कृषक सहायता के लम्बित आवेदन

478. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला भीलवाड़ा में वर्ष 2018 से जनवरी, 2022 तक कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा कृषि कार्य करते समय कृषकों के घायल होने अथवा मृत्यु होने पर कितने कृषकों को सहायता राशि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में वर्ष 2018 से 10 सितम्बर, 2022 तक कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितने आवेदन स्वीकृत किये गये, कितने आवेदन किन-किन कारणों से लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा में 05 कृषि उपज मण्डी समितियां आती हैं तथा 2 गौण मण्डी प्रांगण जहाजपुर एवं गुलाबपुरा है जो क्रमश: कृषि उपज मण्डी समिति देवली एवं कृषि उपज मण्डी समिति विजयनगर के अधीन है, जिनका गौणमण्डी क्षेत्र जिला भीलवाड़ा के भौगोलिक क्षेत्र में आता है। जिला भीलवाड़ा में कृषकों के कृषि कार्य करते समय अंग-भंग अथवा मृत्यु हो जाने पर कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजनान्तर्गत वर्ष 2018 से माह जनवरी 2022 तक 655 कृषकों/आश्रितों को कुल रुपये 1265.80 लाख की सहायता राशि दी गई है, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जिला भीलवाड़ा में वर्ष 2018 से 10 सितम्बर, 2022 तक राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजनान्तर्गत कुल 1070 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। उनमें से 746 आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये, 250 आवेदन पत्र योजना के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने के कारण निरस्त किये गये हैं तथा शेष 74 आवेदन पत्र एफ.एस.एल., लम्बित पुलिस जांच, सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, तहसील स्तर पर जांच, मृतक का पहचान दस्तावेज सत्यापन, वैध उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेजों का अभाव होने के कारण लम्बित हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट "ब",

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

स्वीकृत आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट "स" एवं वर्तमान में लम्बित आवेदनों का कारण सहित विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना में आबंटित बजट

479. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2018 से 2021 तक मुख्यमंत्री युवा रोजगार के तहत प्रदेश में कितने युवाओं को रोजगार के लिए कितना-कितना ऋण उपलब्ध करवाया गया? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त योजना के लिए कितना बजट आबंटित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के पीलीबंगा में कितने आवेदन प्राप्त हुए? कितने आवेदनों को स्वीकृत कर ऋण उपलध करवाया गया व कितने आवेदन शेष हैं? क्या सरकार शेष आवेदकों को ऋण प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत रोजगार विभाग द्वारा ऋण उपलब्ध नहीं करवाया जाता है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत वर्ष 2018 से वर्ष 2021 तक रोजगार हेतु उपलब्ध करवाये गये ऋण एवं लाभांवितों की जिलेवार सूचना **परिशिष्ट-अ** एवं **ब** पर संलग्न है।

(2) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आबंटित बजट की सूचना **परिशिष्ट-स** पर उपलब्ध है।

(3) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के प्राप्त आवेदन स्वीकृत, लम्बित की सूचना **परिशिष्ट-द** पर संलग्न है। शेष वंचित आवेदकों को आगामी वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप लाभान्वित किया जायेगा।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

बांसवाड़ा में वेद विद्यापीठ की स्थापना

480. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बांसवाड़ा में 25 करोड़ की लागत से वेद विद्यापीठ स्थापना की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यापीठ के लिए सरकार द्वारा भूमि आबंटन की गई है? यदि हां, तो कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यापीठ के निर्माण के लिए बजट आबंटन कर निर्माण कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के बिन्दु संख्या 51 के अंतर्गत बांसवाड़ा में 25 करोड़ रुपये की लागत से वेद विद्यापीठ की स्थापना की घोषणा की गई है। बजट घोषणा की प्रति परिशिष्ट "अ" पर एवं विभाग द्वारा जारी स्वीकृति पत्र दिनांक 01.02.2022 की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) जी हां। वेद विद्यापीठ की स्थापना हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2013 में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर को 25 बीघा भूमि ग्राम बारीडायलाब तहसील एवं जिला बांसवाड़ा में आबंटित की गई थी, जिसकी प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

तत्पश्चात् वर्ष 2016 में बांसवाड़ा जिले का क्षेत्राधिकार गोविंद गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा को दिये जाने के फलस्वरूप आयुक्त, कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के आदेश दिनांक 11.01.2018 द्वारा उक्त भूमि गोविंद गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा को आबंटित/हस्तान्तरित की गई, जिसकी प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार के पत्र दिनांक 01.02.2022 (परिशिष्ट "ब") के द्वारा वेद विद्यापीठ की स्थापना से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु 672.00 लाख रुपये की सहमति प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय द्वारा विस्तृत डीपीआर तैयार करवायी जा रही है। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

आरएसआरडीसी को रुपये पन्द्रह लाख हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यक बजट जारी किया जाएगा।

वेद विद्यापीठ का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। वर्तमान में वेद विद्यापीठ का संचालन गोविंद गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा कैंपस में किया जा रहा है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कनिष्ठ लेखाकारों के रिक्त पद

499. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कनिष्ठ लेखाकारों के कितने पद कब से रिक्त हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कनिष्ठ लेखाकारों की भर्ती CET (Common Entrance Test) के माध्यम से की जाएगी? यदि हां, तो भर्ती प्रक्रिया कब से प्रारम्भ कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 14.09.2022 की स्थिति में कनिष्ठ लेखाकार के कुल 5556 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 5202 पद रिक्त हैं। उक्त रिक्त पदों में वे 3108 पद भी सम्मिलित हैं, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 की रिक्तियों के विरुद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.08.2022 की अभिशंसा अनुसार सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।। में कार्मिकों के पदोन्नत होने से रिक्त हुए हैं।

(2) जी हां। विभाग द्वारा कनिष्ठ लेखाकारों के पूर्व में रिक्त 1923 पदों पर सीधी भर्ती हेतु अर्थना दिनांक 20.05.2022 को कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को प्रेषित की जा चुकी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती CET (Common Entrance Test) के माध्यम से की जानी है, जिसके संबंध में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शीघ्र विज्ञापन जारी किया जा रहा है।

पदोन्नत कनिष्ठ लेखाकारों के कार्यग्रहण करने के पश्चात् शेष रहे (बिन्दु संख्या 1 के अनुसार) रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी हां। बोर्ड द्वारा कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती CET (Common Entrance Test) के माध्यम से की जानी है। बोर्ड द्वारा CET पात्रता परीक्षा हेतु शीघ्र ही विज्ञापन जारी किया जा रहा है।

पुलिस थानों में संचालित सी.सी.टी.वी. कैमरे

500. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बजट में प्रत्येक पुलिस थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो जिला झालावाड़ के कौन-कौन से पुलिस थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरे सुचारु रूप से संचालित है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। सरकार द्वारा बजट सत्र 2019-20 में प्रत्येक पुलिस थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की घोषणा की गई थी।

झालावाड़ जिले के 27 पुलिस थानों में से 23 पुलिस थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जा चुके हैं जो सुचारु रूप से संचालित हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। शेष 4 पुलिस थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाने का कार्य माह सितम्बर, 2022 के अन्त तक कर लिया जायेगा। इसके उपरान्त समस्त थानों के सी.सी.टी.वी. कैमरे अभय कमाण्ड से जोड़े जायेंगे।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी।)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साइकिल व वर्दी भत्ते में वृद्धि

501. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साइकिल व वर्दी भत्ते में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना एवं कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी संवर्ग के विगत वर्षों में अत्यधिक पद रिक्त हुए हैं? यदि हां, तो प्रदेश में कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से स्वीकृत रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तों क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के पैरा 69 के संबंध में वित्त (नियम) विभाग के आदेश संख्या प.7(4)वित्त/नियम/2021 दिनांक 05.08.2021 द्वारा विभिन्न कर्मचारी व अधिकारी संवर्ग की मांगों का परीक्षण करने हेतु श्री खेमराज चौधरी, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. की अध्यक्षता

(वित्त मंत्री)

में कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति का गठन किया गया हैं। उक्त समिति द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय भत्तों की निरन्तरता एवं उपयोगिता के परिप्रेक्ष्य में भत्तों की दर का परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को देय भत्ते भी शामिल हैं।

(2) जी हां। प्रदेश में वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल स्वीकृत 82314 पदों में से 54170 पद रिक्त हैं।

उक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया से भरने हेतु नियमों में संशोधन परीक्षणाधीन है।

बाड़मेर व जैसलमेर जिले में संचालित मॉडल विद्यालय

502. श्री अमीन खां (शिव): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में कुल कितने मॉडल विद्यालय संचालित हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिलों में ऐसे कितने मॉडल विद्यालय हैं जिनमें स्वीकृत पदों में से 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं? पंचायत समितिवार सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में 05 एवं जिला जैसलमेर में 03 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय संचालित हैं। जिलेवार विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	जिला	ब्लाक	माडल स्कूलों की संख्या
1	बाड़मेर	गडरारोड	01
		चौहटन	01
		बाड़मेर	01
		सिवाणा	01
		बालोतरा	01
			कुल 05
2	जैसलमेर	सांकडा	01
		जैसलमेर	01
		फतेहगढ़ (सम)	01
			कुल 03

(शिक्षा मंत्री)

(2) शाला दर्पण से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार पंचायत समिति गडरारोड जिला बाड़मेर एवं पंचायत समिति फतेहगढ़ जिला जैसलमेर में 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं। पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

पंचायत समिति गडरारोड जिला बाड़मेर मे रिक्त पदों पर 10 कार्मिकों के पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति आदेश दिनांक 18.08.2022 एवं 19.08.2022 को जारी कर दिये गये हैं जिनके कार्यग्रहण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सराड़ा के खेल मैदानों को स्टेडियम में विकसित करने की कार्ययोजना

503. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेल के प्रति रूचि जाग्रत करने के लिए ऐसे विद्यालय जिनके पास पर्याप्त खेल मैदान उपलब्ध है, वहां खेल स्टेडियम बनाने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में केजड़, सेमारी पंचायत समिति के बडावली व सलूम्बर राउमा विद्यालयों में पर्याप्त खेल मैदान है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों के खेल मैदान को खेल स्टेडियम के रूप में विकसित कर ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में केजड़, सेमारी पंचायत समिति बडावली व सलूम्बर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पास स्वयं का पर्याप्त खेल मैदान उपलब्ध है।

वर्तमान में युवा मामले एवं खेल विभाग अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में केजड, सेमारी पंचायत समिति बड़वली व सलूम्बर राउमा विद्यालयों में खेल मैदान को खेल स्टेडियम के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

टोडारायसिंह व मालपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मिनी स्टेडियम की स्थापना

504. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टोडारायसिंह व मालपुरा में मिनी स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मालपुरा के लिए राशि 3.21 करोड़ तथा टोडारायसिंह के लिए 3.20 करोड़ के प्रस्ताव भिजवाये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रस्तावित मिनी स्टेडियमों हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। युवा मामले एवं खेल विभाग अन्तर्गत वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टोडारायसिंह तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालपुरा में मिनी स्टेडियम बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। वर्ष 2016-17 में तीन वर्षों (2016-17, 2017-18, 2018-19) हेतु कुल 1049.00 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उक्त प्रस्ताव बजट में शामिल किये जाने हेतु पेश किये गये थे, किन्तु उक्त प्रस्ताव तत्समय बजट में सम्मिलित नहीं होने के कारण इनकी स्वीकृति जारी नहीं हो सकी।

विद्यालयों में ब्रिज कोर्स

505. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि आगामी वर्ष से स्कूली विद्यार्थियों के लिए तीन माह की अवधि के लिए ब्रिज कोर्स चलाया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो किस-किस कक्षा के लिए तथा उक्त के लिए क्या योजना प्रस्तावित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की अनुपालना में कोरोना काल के कारण शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा तथा आर.एस.सी.ई.आर.टी, उदयपुर द्वारा

(शिक्षा मंत्री)

संयुक्त रूप से सत्र 2022-23 में राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए तीन माह की अवधि का ब्रिज कोर्स संचालित किया जा रहा है।

इस ब्रिज कोर्स की योजनानुसार कक्षा 1 से 8 के लिए कार्यपुस्तिकाएं हिन्दी, अंग्रेजी व गणित विषय पर आधारित हैं। विद्यालय खुलने के प्रारम्भिक तीन माह तक 4 कालांश एवं शेष सत्र के लिए 2 कालांश में कार्यपुस्तिकाओं में शिक्षण करवाया जा रहा है।

ब्रिज कोर्स कार्यपुस्तिकाओं का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	**कक्षा**	**कक्षा स्तर**	**विषय**	**नाम पुस्तक**	**कुल पुस्तक**
1	1	कक्षानुरूप	हिन्दी, अंग्रेजी व गणित	प्रथम	3
2	2	कक्षानुरूप	हिन्दी, अंग्रेजी व गणित	पल्लव	3
3	3	कक्षा न्यून स्तर (1 व 2)	हिन्दी, अंग्रेजी व गणित	पहल-2	3
4	4-5	कक्षा न्यून स्तर (2, 3 व 4)	हिन्दी, अंग्रेजी व गणित	प्रयास-2	3
5	6-7	कक्षा न्यून स्तर (4, 5 व 6)	हिन्दी, अंग्रेजी व गणित	प्रवाह-2	3
6	8	कक्षा न्यून स्तर (5, 6 व 7)	हिन्दी, अंग्रेजी व गणित	प्रखर-2	3
				कुल कार्य पुस्तिकाएं	18

वंशावली संरक्षण एवं संवर्द्धन अकादमी का गठन

506. श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वंशावली संरक्षण एवं संवर्द्धन अकादमी का गठन किया गया है? यदि हां, तो अकादमी के गठन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वंशावली सरंक्षण एवं संवर्द्धन अकादमी के गठन के पश्चात् बजट आबंटित किया गया है, यदि हां, तो विगत दो वर्ष में कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अकादमी की आगामी दो वर्ष की कार्ययोजना व लक्ष्य क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वंशावली संरक्षण एवं संवर्द्धन अकादमी के गठन की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। विगत 05 वर्षों में वंशावली संरक्षण एवं संवर्द्धन अकादमी को आबंटित बजट की सूचना निम्नानुसार है:-

वर्ष	आवंटित बजट
2018-19	53.00 लाख
2019-20	शून्य
2020-21	शून्य
2021-22	शून्य
2022-23	शून्य

(3) वंशावली संरक्षण एवं संवर्द्धन अकादमी के आगामी 02 वर्षों की कार्ययोजना और लक्ष्य कार्यों की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

वेद विद्यालय

507. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अशोक डोगरा)

(1) राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा प्रदेश में कुल कितने वेद विद्यालय संचालित हैं? उक्त में से कितने स्वयं के भवन में संचालित हैं व कितने किराये के भवन में चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वेद विद्यालयों को मदरसों अथवा अन्य विद्यालयों की भांति अनुदान व अन्य सुविधाएं देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वेद अध्यापकों का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें

उत्तर

(1) राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा वर्तमान में 26 आवासीय वेदाश्रम (वेद विद्यालय) पी.पी.पी. मोड पर संचालित किये जा रहे हैं। वेद विद्यालय के संचालनीय नियमों के अन्तर्गत छात्रों एवं अध्यापकों की आवास व्यवस्था सम्बन्धित संस्था का दायित्व है। उक्त भवन सम्बन्धित संस्था के स्वयं के भवन में ही संचालित है।

(2) वर्तमान में विभाग में इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

(3) इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव विभागीय स्तर पर परीक्षणाधीन है।

विधान सभा नगर धौलाई में सड़क सीमा में आये भू-खण्डों का मुआवजा

508. श्रीमती गंगा देवी (बगरू): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1993 में सृजित विधान सभा नगर, धौलाई, मानसरोवर, जयपुर का जेडीए द्वारा वर्ष 2008 में 90बी की कार्यवाही की गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त कालोनी के बी, सी, डी ब्लाक में स्थित भूखण्डों के ऊपर से जेडीए द्वारा सेक्टर रोड निकाली गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त कालोनी में सड़क में आये भूखण्डों के बदले भूखण्ड या भूखण्डधारियों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो अब तक कितने भूखण्डधारियों को मुआवजा दिया गया व शेष को अब कब तक मुआवजा दे दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती गंगा देवी)

(3) क्या सरकार विधान सभा नगर धौलाई के ई ब्लाक की सभी प्रमुख सड़कों को कलर्स स्कूल, कुमावत आटो के सामने की सड़क एवं होटल जिन्दगी के सामने की सड़क को सम्मिलित करते हुए पत्रकार कालोनी की 100 फीट की रोड से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि संयुक्त गृ.नि.स. समिति की योजना विधान सभा नगर ग्राम धौलाई की 90बी की कार्यवाही दिनांक 15.02.2008 को की गई थी। योजना के बी, सी, डी, ई, जी, एच ब्लाक में जविप्रा के सेक्टर प्लान के अनुसार 200 फीट, 100 फीट व 80 फीट की सडकें निकाली गई थीं।

(2) जी नहीं। समापक द्वारा विधान सभा नगर धौलाई जयपुर आवासीय योजना के सड़क में आये सभी भूखण्डों का सेक्टर प्लान अनुसार मानचित्र में समायोजित कर आबंटियों की सूची मय संशोधित भूखण्ड संख्या एवं भूखण्ड क्षेत्रफल जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसे जयपुर विकास प्राधिकरण की बीपीसी समिति द्वारा दिनांक 07.01.2010 की बैठक में अनुमोदित किया जा चुका है।

(3) जी नहीं।

जयपुर शहर की नींदड़ आवासीय योजना

509. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जयपुर शहर में जेडीए की नींदड़ आवासीय योजना लम्बे समय से विकसित अवस्था में लम्बित चल रही है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त आवास योजना को तत्काल प्रारम्भ कर इसके सुनियोजित विकास हेतु प्रतिबद्ध है? यदि हां, तो उक्त की कार्ययोजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नींदड़ आवासीय योजना की अवाप्ति की कार्यवाही की जाकर अवार्ड दिनांक 31.05.2013 को पारित किया गया। अवाप्ति के विरुद्ध खातेदार माननीय उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय तक गये। माननीय उच्चतम

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 04.09.2018 द्वारा अवाप्ति प्रक्रिया को सही माना गया। दिनांक 16.09.2022 को नगरीय विकास विभाग द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को आदेश क्रमांक प.6(29)नविवि/3/2004 दिनांक 01.06.2022 के तहत अवाप्तशुदा भूमि के बदले विकसित भूमि दिये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

(2) नियमानुसार मुआवजा संबंधी मांगों का निस्तारण एवं पी.टी. सर्वे तथा प्लानिंग की कार्यवाही कर संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार मौके पर विकास कार्य करवाये जायेंगे।

वन रक्षकों की ग्रेड पे का पुलिस कांस्टेबल के समान निर्धारण

510. श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार वन रक्षकों की ग्रेड पे पुलिस कांस्टेबल के समान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वन कर्मचारियों का वेतनमान व भत्ता पुलिस विभाग के कर्मचारियों के समान करने के संबंध में प्रस्ताव दिनांक 16.01.2018 द्वारा वेतन विसंगति निवारण समिति को प्रेषित किये गये हैं।

भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में ओरेंज जोन की कम्पनियां

511. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में ओरेंज जोन की कम्पनियों को रेड जोन में रखा जा रहा है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र से अब तक कितनी कम्पनियों ने पलायन किया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) रेड जोन व ओरेंज जोन के क्या पैमाने हैं व इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों की श्रेणी बदलने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में ओरेंज जोन की कम्पनियों को रेड जोन में रखा जा रहा है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल उद्योगों का वर्गीकरण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के वर्गीकरण, उद्योग के प्रदूषणकारी सूचकांक, उद्योगों के प्रदूषण करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए करता है न कि किसी स्थान विशेष के लिए करता है।

अत: भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा उद्योग के वर्गीकरण हेतु कोई पृथक वर्गीकरण लागू नहीं किया गया है।

(2) रेड जोन व ओरेंज जोन के वर्गीकरण का निर्धारण इकाइयों की प्रदूषण करने की क्षमता, प्रदूषण सूचकांक एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा समय-समय पर जारी किये गये वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में विस्तृत परीक्षण के बाद किया जाता है। (प्रतिलिपि संलग्न है।)

(3) जी नहीं। विभाग के अधीन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों की श्रेणी बदलने से संबंधित प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मण्डावर (महवा) का उपखण्ड कार्यालय

512. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र महवा के मण्डावर में उपखण्ड कार्यालय कब खोला गया तथा क्या उक्त कार्यालय में कार्य प्रारम्भ हो गया है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के मण्डावर में तहसील कार्यालय कब खोला गया तथा उसमें कब से कार्य प्रारम्भ किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नवीन उपखण्ड कार्यालय मण्डावर (दौसा) का सृजन, वित्तीय स्वीकृति एवं कार्यालय संचालन संबंधी सूचना निम्नानुसार है:-

(राजस्व मंत्री)

प्रशासनिक स्वीकृति अधिसूचना क्रमांक व दिनांक	**वित्तीय स्वीकृति आज्ञा क्रमांक व दिनांक**	**कार्यालय संचालन दिनांक**
प. 9(56)राज-1/2021 दिनांक 28.05.2021	प. 7(15)राज/2/2021 दिनांक 13.07.2021	दिनांक 30.07.2021

अधिसूचना एवं आज्ञा की छायाप्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) क्रमोन्नत तहसील कार्यालय मण्डावर (दौसा) का सृजन, वित्तीय स्वीकृति एवं कार्यालय संचालन संबंधी सूचना निम्नानुसार है:-

प्रशासनिक स्वीकृति अधिसूचना क्रमांक व दिनांक	**वित्तीय स्वीकृति आज्ञा क्रमांक व दिनांक**	**कार्यालय संचालन दिनांक**
प.9(4)राज-1/2017 दिनांक 09.10.2017	प. 7(12)राज/2/2017 दिनांक 28.02.2018	दिनांक 23.04.2018

अधिसूचना एवं आज्ञा की छायाप्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं।)

राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा

513. श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): क्या भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलवाने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1956 अवस्थित है। राजस्थानी भाषा को राजभाषा में सम्मिलित किये जाने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1956 में संशोधन करने के लिए प्रकरण का परीक्षण कराया जा रहा है।

(भाषा मंत्री)

(2) वर्तमान में राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1956 अवस्थित है। राजस्थानी भाषा को राजभाषा में सम्मिलित किये जाने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1956 में संशोधन करने के लिए प्रकरण का परीक्षण कराया जा रहा है।

राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलवाने के लिए किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर कार्यालय में रिक्त पद

514. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर कार्यालय व जिले के सभी तहसील व उपखण्ड कार्यालयों में कितने पद स्वीकृत हैं? उनमें से कितने पद भरे हुए हैं व कितने रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जिला कलेक्टर, कार्यालय प्रतापगढ़ व जिले की तहसीलों एवं उपखण्ड कार्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जी हां। रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही समय-समय पर की जाती रहती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राणासर ग्राम (कुचामन सिटी) में गोचर भूमि पर अतिक्रमण

515. श्री विनोद कुमार (हनुमानगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 04 जनवरी, 2022 को सरकार द्वारा राजस्व ग्राम राणासर तहसील कुचामन की गोचर भूमि से अतिक्रमणों को हटाया गया था? यदि हां, तो उक्त अतिक्रमणों की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम की उक्त गोचर भूमि की सही माप न करके कुछ लोगों को निजी लाभ पहुंचाने के लिए नाडी के एक तरफ

(श्री विनोद कुमार)

(पश्चिम में) कार्यवाही की गई है? क्या सरकार इसकी जांच उच्च अधिकारियों से करवाकर दोषी अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र की समस्त गोचर भूमियों को अतिक्रमण मुक्त किये जाने के लिए कलेक्टर (राजस्व) की निगरानी में उचित कार्यवाही करवायी जावेगी? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि दिनांक 4 फरवरी, 2022 को तहसील कुचामन सिटी के राजस्व ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 301 रकबा 0.67 हैक्टेयर, ख.नं. 302 रकबा 8.60 हैक्टेयर किस्म गै.मु. नाडी व गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। वर्तमान में उक्त नाडी व गोचर भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

(2) ग्राम राणासर की उक्त नाडी व गोचर भूमि पर पूर्व में राजस्व कार्मिकों की टीम द्वारा अतिक्रमियों को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाया गया था। उक्त कार्यवाही द्वेषतापूर्वक नहीं की जाकर नियमानुसार की गयी थी।

(3) पटवार हल्का या अन्य परिवादियों से जानकारी/रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाती है।

चारागाह भूमियों पर अतिक्रमण किये जाने के प्रकरणों में अतिक्रमियों के विरुद्ध राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर अतिक्रमियों को बेदखल करने की कार्यवाही की जाती है।

शामलात भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने हेतु समय-समय पर राज्य सरकार स्तर से समस्त जिला कलेक्टर्स को आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं। राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 11.09.2017 के द्वारा राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत विद्यमान प्रावधानों की कठोरता से पालना किये जाने के आवश्यक निर्देश समस्त जिला कलेक्टरों को जारी किये गये हैं।

डी.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 10819/2018 जगदीश प्रसाद मीणा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में मा. न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2019 की अनुपालना में समस्त जिला कलेक्टर्स को पत्र दिनांक 24.04.2019 एवं 26.12.2019 के द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में

(राजस्व मंत्री)

जिले की राजस्व शाखा में PLPC सेल का गठन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यह सेल ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक भूमियां एवं सार्वजनिक स्थलों इत्यादि पर अतिक्रमण के संबंध में प्राप्त शिकायतों के समुचित निस्तारण एवं अतिक्रमण हटाने का प्रभावी कार्य करेगा।

डी.बी. सिविल रिट याचिका (पी.आई.एल.) संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.01.2017 एवं 08.08.2017 की अनुपालना में राज्य में स्थित गोचर भूमियों पर किये गये अनधिकृत कब्जों को हटाने के संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रपत्र में भिजवाने हेतु समस्त जिला कलेक्टर्स को दिनांक 20.05.2019 एवं 10.07.2019 जारी किये गये है।

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की कार्ययोजना

516. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन के साथ ही प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये कोई नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में स्थित ऐतिहासिक हवेलियों, दुर्गों एवं धार्मिक स्थलों के लिये पर्यटन की दृष्टि से कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन तथा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 09.09.2020 के द्वारा राजस्थान पर्यटन नीति, 2020 लागू की गई है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त नीति के अनुच्छेद 2.3.13 (स) एवं बिन्दु सं. 4.6 की अनुपालना में ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने हेतु विभाग द्वारा राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना का प्रारूप तैयार कर अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र थानागाजी स्थित ऐतिहासिक

(पर्यटन मंत्री)

हवेलियों, दुर्गों एवं धार्मिक स्थलों के लिये पर्यटन की दृष्टि से कार्ययोजना बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विभाग में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य स्वीकृत किये जाते हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

धौलपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने की कार्ययोजना

517. श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला धौलपुर में पर्यटन को बढावा देने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं स्वीकृत हैं व उक्त जिला में कौन-कौन से पर्यटन स्थल हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

धौलपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

धौलपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयसमन्द बांध को पर्यटक स्थल बनाने की कार्ययोजना

518. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयसमन्द बांध पर्यटक स्थल के रूप में सम्मिलित है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि वर्तमान में उक्त बांध की पाल व छतरियां जर्जर अवस्था में हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त बांध को अत्यधिक आकर्षक पर्यटक स्थल बनाने हेतु विकास कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयसमन्द बांध एक पर्यटक स्थल के रूप में शामिल है।

(पर्यटन मंत्री)

वर्तमान में जयसमन्द बांध की पाल व छतरियां जर्जर अवस्था में नहीं हैं।

(2) जयसमन्द बांध को अत्यधिक आकर्षक पर्यटक स्थल बनाने हेतु विकास कार्य कराने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विभाग में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य स्वीकृत किये जाते हैं।

जयपुर में आकाशीय बिजली से हुई मौतें

519. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक प्रदेश में बारिश के मौसम के दौरान किसानों के खेत में काम करने व मवेशी ले जाने के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से कितने किसानों की मृत्यु हुई? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला जयपुर के किन-किन विधान सभा क्षेत्रों में उक्त प्रकार के कितने हादसे होने की जानकारी सरकार को प्राप्त हुई तथा उक्त प्रकरणों में सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही कर किस-किस प्रकार से राहत पहुंचाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक राज्य में बारिश के मौसम के दौरान किसानों के खेत में काम करने तथा मवेशी ले जाने के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से हुई किसानों की मृत्यु का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जयपुर जिले में उक्त अवधि में बारिश के मौसम के दौरान किसानों के खेत में काम करने तथा मवेशी ले जाने के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से हुई किसानों की मृत्यु तथा मृतकों के परिजनों/आश्रितों को उपलब्ध कराई गई सहायता का विधान सभावार विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

मिनी व मेगा फूड पार्क हेतु बजट का आबंटन

520. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अशोक लाहोटी)

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में वर्ष 2021 में कहां-कहां पर मिनी व मेगा फूड पार्क प्रारम्भ किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त के लिये कितने बजट का कब-कब आबंटन किया गया तथा उसमें से कितना बजट व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2021 में पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, बीकानेर जिलों में मिनी फूड पार्क एवं मथानियां जोधपुर में मेगा फूड पार्क बनाये जाने की बजट घोषणा की गयी है। इसके क्रम में मिनी फूड पार्क पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, करौली, सवाईमाधोपुर एवं दौसा तथा मेगा फूड पार्क मथानियां जोधपुर हेतु भूमि आबंटित की जा चुकी है। बीकानेर जिले में मिनी फूड पार्क स्थापना हेतु भूमि आबंटन प्रक्रियाधीन है।

(2) पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा जिलों में मिनी फूड पार्क निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करवाई जाकर प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) से वित्तीय सहायता/अनुदान के लिए परियोजना प्रस्ताव अनुमोदन हेतु खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं। मिनी एवं मेगा फूड पार्क के विकास हेतु भूमि आबंटन राशि, सम्पर्क सड़क निर्माण, वायर फेन्सिंग आन बाउन्ड्री एवं विद्युत कनेक्शन आदि कार्यों हेतु व्यय कृषक कल्याण कोष से किये जाने की सहमति/स्वीकृति दी गई है। पार्कों के विकास हेतु अब तक किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

जनजाति क्षेत्र में मण्डी परिवहन सेवा का क्रियान्वयन

521. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्र में अपने मण्डी परिवहन सेवा के नाम से योजना स्वीकृत कर बजट में प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त की क्रियान्विति की गयी है? यदि नहीं,

(श्री फूल सिंह मीणा)

तो क्यों तथा अब कब तक क्रियान्विति कर दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि विपणन विभाग द्वारा दिनांक 22.01.2020 से आपणी मण्डी परिवहन सेवा योजना स्वीकृत की जाकर वर्ष 2020-21 हेतु कृषि उपज मण्डी समिति उदयपुर (अनाज) को राशि 50.00 लाख रुपये की वित्तीय प्रावधान किया गया था।

(2) जी नहीं। आपणी मण्डी परिवहन सेवा योजना के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, उदयपुर से मण्डी समिति द्वारा बताये गये रूट पर बस चलाने हेतु संविदा दर पर बसें उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया जो उपलब्ध नहीं हो पाई। इस वित्तीय वर्ष में मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति ऋणात्मक होने से उक्त परिवहन सेवा प्रारम्भ नहीं की जा सकी। आगामी वित्तीय वर्ष में वित्तीय स्थिति को मध्यनजर रखते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

नागौर में सड़कों का निर्माण

522. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में विगत तीन वर्षों में सरकार द्वारा कितनी सड़कों का निर्माण करवाया गया है? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र जायल में सड़क निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां, कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विगत 3 वर्षों में (वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं अप्रैल 2022 से दिनांक 30.08.2022) तक कुल स्वीकृत 39 सड़कों में से 12 सड़कों के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 15 सड़कों का कार्य प्रगतिरत है, एक सड़क की निविदा प्रक्रियाधीन है एवं 11 सड़कों के तकमीने प्रक्रियाधीन हैं, जिनका सड़कवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

(2) जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति नागौर द्वारा विधान सभा क्षेत्र जायल में प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार सम्पर्क सड़क मद में बचत एवं गुणावगुण के आधार पर विभागीय पत्र दिनांक 01.07.2020 के द्वारा 3 सम्पर्क सड़क राशि 222.50 लाख रु. पत्र दिनांक 29.04.2022 के द्वारा 1 सम्पर्क सड़क राशि 75.00 लाख रु. एवं पत्र दिनांक 08.06.2022 के द्वारा 2 सम्पर्क सड़क राशि 150.00 लाख रु. कुल स्वीकृत राशि 447.50 लाख रु. की जारी गई। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

विभागीय सड़क नीति दिनांक 31.12.2014 के प्रावधानानुसार कृषि उपज मण्डी समिति नागौर से जायल विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित सम्पर्क सड़कों के प्रस्ताव प्राप्त होने पर सम्पर्क सड़क मद में उपलब्ध बचत एवं गुणावगुण के आधार पर परीक्षणोपरान्त स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निजी खेल अकादमी निर्माण हेतु निवेशकर्ताओं को प्रोत्साहन

523. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में निजी खेल एकेडमी निर्माण हेतु निवेशकर्ताओं को प्रोत्साहन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अजमेर दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में निजी खेल एकेडमी निर्माण हेतु भूमि आबंटन किये जाने का प्रस्ताव अजमेर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान मे ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। अजमेर विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार निजी खेल एकेडमी निर्माण हेतु ईस्ट पाइंट स्कूल सोसायटी अजमेर का स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स हेतु 3.5 बीघा भूमि आबंटन करने का आवेदन पत्र अजमेर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है जो कि प्राधिकरण स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु पत्रावली विचाराधीन है।

विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की मान्यता

524. श्री अविनाश (जैतारण): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालय अपने अधीन महाविद्यालय की मान्यता केवल उसी संभाग में ही प्रदान कर सकते हैं, जिस संभाग में महाविद्यालय संचालित है?

(2) क्या सरकार पुराना नियम लागू कर पूर्व की भांति प्रदेश में किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी महाविद्यालय को मान्यता देने के पुराने नियम लागू करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विश्वविद्यालयों का क्षेत्राधिकार उनके विभाग, संघटक कालेज तथा विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में वर्णित प्रावधानानुसार अथवा राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा निर्धारित क्षेत्राधिकार (जिलों) में आने वाले सम्बद्ध महाविद्यालयों तक होता है।

(2) जी नहीं।